खण्ड–31, अंक–05
बुधवार, 02 चैत्र, शक संवत्, 1933
(23 मार्च, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 31 में 09 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक -
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य.

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	...	...	...	'क'
दिनांक 22 मार्च, 2011 को कॉंग्रेस के कुछ सदस्यों के निलम्बन किए जाने के विरोध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य		...	...	1–5
प्रश्नोत्तर	...	...	...	5–32
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	32
जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भुरनी–कुआँखेड़ा सैलानी पुल मार्ग के सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	32
प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पौड़ी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना			...	33
जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत चौखुटिया तथा द्वाराहाट में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...				33
जनपद अल्मोड़ा के स्याल्दे विकास खण्ड अन्तर्गत लम्बाड़ी ग्राम में दीमकों के आतंक के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना			...	33–34
जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज क्षेत्र में जनता कनेक्शनों के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	34
दिनांक 11 मार्च, 2011 को जापान में आये समुद्री भूकम्प (सुनामी) से हुई भारी तबाही पर शोकोद्‌गार	...	...	...	34–40
दिनांक 22 मार्च, 2011 को छह विधान सभा सदस्यों के निलम्बन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार		...	...	40–47
विधान सभा सदस्यों के निलम्बन का असमाप्त भाग निरस्त करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री	...	...	...	47
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2009–10 के वार्षिक लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	47
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	...	...	...	47–48

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2009—10) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	48
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009—10) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	48
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009—10) का सोलहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	48
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009—10) का सत्रहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	48
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009—10) का अठारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	48—49
जनपद हरिद्वार के रुड़की विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुड़की शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	49
श्री खड़क सिंह बोहरा, सदस्य विधान सभा द्वारा परिवहन मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	49—50
श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा शिक्षा मंत्री एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	51—53
डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रभारी मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	53—54
उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011	55
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	55—56
कार्य—स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	57—60
वित्तीय वर्ष 2011—2012 के आय—व्ययक पर सामान्य चर्चा ...	61—100
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	100—102
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	102—104
उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ...	105—106

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (पारित)	...	106—138
नियम—53 के अन्तर्गत सूचनाएँ	... ...	138
देहरादून शहर में सर्वे चौक से रायपुर तिराहे और रायपुर तिराहे से सहस्त्रधारा रोड एवं आई0टी0 पार्क तक लोक निर्माण विभाग की सड़क की दयनीय हालत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा नियम—53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	...	139
जनपद पौड़ी के डॉडा नागराजा, कोलापाताल, सबदरखाल, पुड़दौड़ी एवं ढिकालू में स्वैप मोड के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल पम्पिंग योजनाओं पर कोई प्रगति न होने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन कोटवाल द्वारा नियम—53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य	... ...	140—142
नत्थी—क	... ...	143—145

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन माहरा
8—सुश्री किरन मण्डल
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री खजान दास
11—श्री खड़क सिंह बोहरा
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गोपाल सिंह
14—श्री गोपाल सिंह रावत
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
17—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
18—श्री चन्दन राम दास
19—श्री जोगा राम टम्टा
20—श्री जोत सिंह गुनसोला
21—हाजी तस्लीम अहमद
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री दिवाकर भट्ट
24—श्री दिवान सिंह
25—श्री नारायण पाल
26—काजी मो0 निजामुद्दीन
27—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
28—श्री प्रकाश पन्त
29—श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30—श्री प्रीतम सिंह
31—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
32—श्री प्रेमानन्द महाजन
33—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
34—श्री बिशन सिंह चुफाल
35—श्री बंशीधर भगत
36—श्री बृज मोहन कोटवाल
37—श्री शेर सिंह
38—मे0जन0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
39—श्री मदन कौशिक
40—श्री मनोज तिवारी
41—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महरू भाई"
42—श्री मातबर सिंह कण्डारी
43—श्री कुलदीप कुमार
44—श्री यशपाल आर्य
45—श्री यशपाल बेनाम
46—चौ0 यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत रावत
48—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
49—श्री राजकुमार
50—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
51—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
52—श्रीमती वीना महराना
53—श्री शहजाद
54—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
56—श्री सुरेन्द्र राकेश
57—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58—श्री सुरेश चन्द जैन
59—डॉ0 हरक सिंह रावत
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरिदास
62—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

दिनांक 22 मार्च, 2011 को कॉंग्रेस के कुछ सदस्यों के निलम्बन किए जाने के विरोध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने—अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी—अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन एवं चौ0 यशवीर सिंह भी अपने—अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, हमारे साथियों का कल जो निलम्बन किया गया और एक साथी हमारे आमरण अनशन पर बैठे हैं और कल से उनको कोई देखने तक नहीं गया, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, सरकार गंभीर नहीं है, ये इस बात से पता लगता है कि एक सदस्य आमरण अनशन पर बैठा है, उसको देखने के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रणजीत रावत—

मान्यवर, ये सरकार जंगलराज से चल रही है। एक माननीय सदस्य सड़क पर धरने पर बैठे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है। सामान्य रूप से भी जांच की जाती है, तो तो हमारे सम्मानित सदस्य हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, ये सरकार का फासीवादी चेहरा उजागर हो रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, दो–दो बार उनको उठाकर बाहर किया गया, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। मान्यवर, और इन सब बातों को सरकार मूकदर्शक बनकर देख रही है। जैसे उसने बहुत बडा काम कर दिया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

एक व्यवस्था होती है मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो कोई नहीं बोलना चाहिए और जब नेता सदन बोल रहे हों। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा पक्ष तो आ जाए कि क्या व्यवस्था बनायी है माननीय मंत्री जी ने, आपके प्रश्न की क्या परिस्थिति है ? माननीय मंत्री जी का पक्ष तो आ जाए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप निर्देश दें तो मैं सरकार की तरफ से वक्तव्य रखने के लिए तैयार हूँ। कल से सम्पूर्ण घटनाक्रम पर और आज की अद्यतन स्थिति पर मैं वक्तव्य रखने को तैयार हूँ। श्रीमन्, दिनांक 22 मार्च, 2011 को विधान सभा सदन की कार्यवाही के समय श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य.....(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात का संज्ञान लिया है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो विषय उठाया गया है, उस पर मैं सरकार की ओर से वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ। आखिर यह घटनाक्रम किस तरह से घटित हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में हुआ और अद्यतन स्थिति क्या है। ये सदन श्रीमन्, चर्चा के लिए है, ये सदन कोई धरना–प्रदर्शन का स्थल नहीं है श्रीमन्, धरना–प्रदर्शन करने की इजाजत किसी को सदन में नहीं मिल सकती। श्रीमन्, ये उचित बात नहीं है, ये उचित कार्य–व्यवहार नहीं है और मैं कहना चाहूँगा श्रीमन्, माननीय सदस्यों का एकमात्र उद्देश्य है कि सदन न चलने दिया जाए। जिस तरह की परिपाटी पड़ रही है श्रीमन्, ये गम्भीर विषय है। आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कोई नये सदस्य नहीं हैं। श्रीमन्, कैसी परिपाटी हम सदन के अंदर डाल रहे हैं, यह विचार करना पड़ेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं चौ0 यशवीर सिंह 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से नारे लगाने लगे।)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह एवं माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें। (घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं के समाधान हेतु आहूत किया जाता है। मैं समझता हूँ जब संविधान निर्माताओं ने इस देश के संविधान के तहत प्रदेश की, केन्द्र की समवर्ती सूची का गठन किया होगा तो बहुत सारे विषय प्रदेश की सूची के तहत रखे गये और प्रदेश की विधान सभा के अन्दर उन समस्याओं पर चर्चा और उनके समाधान तक पहुँचने की बात रखी गई, इसी के तहत सदन के पटल पर माननीय सदस्यगण विभिन्न तरीके से विभिन्न नियम, परिनियम और परम्पराओं के तहत बात को रखते हैं। कभी–कभी परिस्थितियाँ यह बनती हैं कि जब हमारे माननीय विधायकों की समस्या बहुत ज्वलन्त होती है, उन नियमों के तहत.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जायें, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कृपया उनका सम्मान तो कर लीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। माननीय नेता बसपा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक जिस तरह से अपने क्षेत्रों की और प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कल धरने पर बैठे थे और माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के प्रस्ताव पर आपकी ओर से विनिश्चय आया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति की सुनिश्चितता।

**काजी मो0 निजामुद्दीन–

** क्या कृषि मंत्री जी अवगत हैं कि राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति न होने के कारण किसानों को फसल को बोने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता यथाशीघ्र सुचारु करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

राज्य में रबी फसलों हेतु उर्वरकों की आपूर्ति मांग के अनुरूप ही की जा रही है।

रबी हेतु यूरिया 108000 मै0टन मांग के सापेक्ष अब तक 91372 मै0टन की आपूर्ति प्राप्त हुई है तथा माह मार्च 9100 मै0टन की आपूर्ति होनी शेष है। राजस्थान में चलाये गये गुर्जर आन्दोलन के कारण भी यूरिया की आपूर्ति बाधित हुई थी। डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 37750 मै0टन के सापेक्ष अब तक 36882 मै0टन की आपूर्ति हुई है तथा माह मार्च में 3200 मै0टन की और आपूर्ति होनी है। इस प्रकार माह मार्च तक मांग के सापेक्ष 2332 मै0टन की अधिक आपूर्ति हो जाएगी। एम0ओ0पी0 की 2451 मै0टन की आपूर्ति हुई है, इसके एम0ओ0पी0 की अतिरिक्त मांग नहीं है।

फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों की कमी को पूरा करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सहकारी विपणन संघ को रू0 3.65 करोड के रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की गयी है, जिससे फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की कमी को पूरा किया जाता है।

प्रदेश में उर्वरकों के उपयोग का अनुपात वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत एन0पी0के0 के अनुपात 4:2:1 के सापेक्ष 8:2:1 का है, जिसको संतुलित करने हेतु यूरिया के प्रयोग

को कम करने तथा डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक है।

राज्य में उर्वरकों की सुचारु व्यवस्था हेतु यथोचित कार्रवाई की जा रही है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जैसा कि पूरी सरकार की एक आदत हो गयी, कि आंकड़े रखती है उसी तरह से इस प्रश्न के उत्तर में भी सरकार की तरफ से आंकड़े रखे गये हैं कि उर्वरकों की आपूर्ति मांग के अनुरूप ही की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पर्सनली चेक करा लिया है कि आपूर्ति हो रही है ? हरिद्वार जिले के किसी भी को–ऑपरेटिव सोसाइटी पर यूरिया उपलब्ध है या नहीं आपने दिखवा लिया है क्या ? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो आपूर्ति की जा रही है वह मांग के हिसाब से की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास मांग थी अक्टूबर माह में, वह 8 हजार मीट्रिक टन की थी, उसके अनुरूप जो आपूर्ति की गयी वह 8 हजार 96 मीट्रिक टन की गयी। नवम्बर में 20 हजार की थी, उसमें 20 हजार 872 की गयी और दिसम्बर का महीना, इसमें 25 हजार की डिमाण्ड थी, जो 18 हजार 408 हुई। दिसम्बर माह में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की वजह से आपूर्ति नहीं हो सकी। वहाँ पर लगातार गुर्जर आंदोलन चलता रहा और जिस कारण आपूर्ति नहीं हो पाई जिस कारण हमारा जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य से लगभग 7 हजार मीट्रिक टन कम सप्लाई कर पाए। लेकिन जनवरी माह में 25 हजार मीट्रिक टन की डिमाण्ड के सापेक्ष 27 हजार 991 मीट्रिक टन यानी लगभग 3 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त दिया गया। फरवरी माह में 12 हजार की हमारे पास मांग थी, और 12 हजार 711 मीट्रिक टन आपूर्ति की गयी और जो मार्च माह में अभी तक 8 हजार 32, यह 20 मार्च तक आपूर्ति की गयी है और अभी आने वाले 3 दिनों में लगभग 6 हजार मीट्रिक टन और कर देंगे।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब आया और उन्होंने आंकड़े दिये कि इतना–इतना कराया गया, कोई भी उर्वरक रहा हो। मान्यवर, किसी भी काश्तकार से आप जानकारी कर लीजिए, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, जो बुआई का सीजन रहा है अप्रैल–मई–जून तक और फिर उसके बाद गेहूं की बुआई का सीजन रहा हो, रबि की फसल रही हो उस समय कोई भी उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं रहा। अब आपने आंकड़े कहाँ से तैयार किये यह मैं नहीं कह सकता लेकिन अगर प्रेक्टिकल बात

आप करें तो आज भी माननीय अध्यक्ष जी, उर्वरक मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं। अभी आपने चार दिन की बात कही है कि चार दिन के बाद आ जाएगा लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना उर्वरक रहा लेकिन जब उपलब्ध नहीं रहा तो कैसे इत्मीनान कर लें सरकार का।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में भी हमारे हरिद्वार जनपद में चूँकि सहकारिता विभाग के द्वारा ये आपूर्ति की जाती है। 600 मीट्रिक टन यूरिया तथा 12 सौ मीट्रिक टन एन0टी0के0 इस समय भी उपलब्ध है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि किस जनपद द्वारा कितनी मांग की गयी और इस मांग के सापेक्ष कितना आपने उपलब्ध करा दिया और इसके मानक क्या हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मांग के जो मानक हैं, उसमें क्षेत्रफल और फसल हैं, अलग–अलग फसलों के लिए अलग–अलग मांग है और वही क्षेत्रफल के हिसाब से मांग की आपूर्ति की जाती है, तो मानक क्षेत्रफल और फसल हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा कि जनपद की कितनी मांग थी, उस मांग के सापेक्ष कितनी आपूर्ति की गई ?

श्री अध्यक्ष–

जनपदवार बता दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माहवार बता देते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माहवार मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि किस जनपद की कितनी मांग थी और उसके सापेक्ष कितनी उपलब्धता आपके द्वारा दी गई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी जिले की डिमाण्ड है उसी के हिसाब से आपूर्ति की जाती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एक तरफ तो कह रहे हैं कि उपलब्धता पूर्ण नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जनपदवार आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न तो इससे जुड़ा हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, चूँकि यह अल्पसूचित प्रश्न है और पूरे जनपदों की जानकारी अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से देना सम्भव कैसे होगा, आपने नीतिगत विषय पूछा है और नीतिगत जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है, यह अल्पसूचित प्रश्न है, एक दिन में जानकारी देनी पड़ती है तो 13 जिलों की मांग और आपूर्ति की जानकारी कैसे दें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, क्या सरकार के पास जब अल्पसूचित प्रश्न पूछेंगे तो तभी जवाब आएगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हर जनपद की वर्षवार जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आप कहें कि सीधे अभी दे दें तो कैसे होगा ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जनपद देहरादून, हरिद्वार का बता दें कि यहाँ पर कितनी मांग थी और उसके सापेक्ष आपने कितना आवंटन किया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में जो खरीफ की डिमाण्ड थी, यह जो एन0पी0के0 की है, वह 6335 मीट्रिक टन है, नाइट्रोजन फास्फोरस 14338 मीट्रिक टन और 3595 मीट्रिक टन फॉस्फोरस और 922 टन पोटाश है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसके सापेक्ष आपूर्ति कितनी हुई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपूर्ति मैंने पहले बता दी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, डिमाण्ड के सापेक्ष कितनी आपूर्ति हुई ?

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि 7 हजार मीट्रिक टन की कमी है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है कि उपलब्धता कम है, मैंने कहा कि केवल दिसम्बर के महीने में आपूर्ति की कमी थी, क्योंकि गुर्जर आन्दोलन के कारण समय पर आपूर्ति नहीं कर सके। ये तो मार्च के महीने की आपूर्ति आपको बता रहे हैं।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ मान्यवर, रिवॉल्विंग फंड क्या होता है और इससे जो खाद मिलेगी वह अनुदान के रूप में मिलेगी या ऋण के रूप में मिलेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हम किसानों को जो खाद उपलब्ध कराते हैं। यह जो चक्रीय निधि है, यह निधि इसलिए है कि कभी जो धन के अभाव के कारण दिक्कत न हो किसानों को, इसलिए एडवांस में इसकी व्यवस्था की गयी है, ताकि समय पर किसानों को आपूर्ति की जा सके। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर उपलब्ध कराया गया है, उसमें 4-2-1 के सापेक्ष 8-2-1 का अनुपात दिया गया है। जिसमें कहते हैं कि जमीन के अंदर जो मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक है, जो एग्रो यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। मान्यवर, वैज्ञानिक जो कहते हैं, क्या इससे अगले लक्ष्य पर फर्क पड़ेगा ? क्या आप इस रेश्यो के तहत अगली डिमांड करेंगे या डिमांड घटाएंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जो मृदा का स्वास्थ्य है, वह ठीक रहे। यूरिया को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, एन0पी0के0 का इस्तेमाल करें, ताकि मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहे, बाकी जो डिमांड है उसी के अनुरूप हम सप्लाई का कार्य कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में ग्रामीण ग्रेन बैंक की स्थापना तथा प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों का जिलेवार विवरण।

*श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में ग्रामीण ग्रेन बैंक (अनाज भण्डार) योजना की स्थापना किस वर्ष की है तथा प्रत्येक वर्ष जिलावार कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

प्रदेश में ग्रामीण ग्रेन बैंकों की स्थापना वर्ष 2009–2010 में की गयी।

प्रदेश में ग्रामीण अन्न बैंक योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी जिले में 823, देहरादून में 299 तथा टिहरी में 403 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य स्थापना से लेकर सन् 2009–2010 में ग्रामीण ग्रेन बैंक की स्थापना की गयी और यह भी जानना चाहता था कि प्रत्येक जिले में इस ग्रेन बैंक के कितने लाभार्थियों को लाभ मिला ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण ग्रेन बैंक में किन–किन अनाजों का भण्डारण किया जाता है और प्रत्येक जिले में ग्रेन बैंक की कितनी भण्डारण क्षमता है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि राज्य बनने के बाद वर्ष 2009–2010 में ही यह योजना प्रारम्भ हुई, इससे पूर्व यह योजना राज्य में नहीं थी। मान्यवर, दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने भण्डारण पूछा है कि भण्डारण किन–किन अनाजों का होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह केवल चावल का है, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा अनाज नहीं है। तीसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया कि अन्य जिलों में, तो इस सम्बन्ध में भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरे राज्य के अंदर यह योजना तीन जिलों में और यह योजना पूरे देश के अंदर तीन राज्यों में लागू है। यह योजना वर्तमान में तीन जिलों के अन्दर प्रारम्भ हुई है, यह पायलट प्रोजेक्ट है। मान्यवर, हम यह देख रहे हैं कि यदि इसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ता है तो, तब अन्य जिलों में भी यह लागू की जाएगी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि इन ग्रामीण ग्रेन बैंकों की क्या क्षमता है, जहाँ आप चावल का भण्डारण करते हैं और यह भी जानना चाहता

हूँ कि क्षमता के सापेक्ष में आप लाभार्थी को जो चावल निर्गत करते हैं, इन तीनों जिलों में, उसका रेशियो क्या है और उसका दाम क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। विशेष तौर पर 55 खाद्य गोदाम इसके हैं और 1200 के लगभग इसमें लाभार्थी हैं। इसमें जहाँ तक आपने क्षमता का उल्लेख किया, 55 स्थानों पर जो ग्रेन बैंक हैं, इसके अन्तर्गत 1200.60 कुन्तल चावल से इसकी शुरुआत की गयी है। श्रीमन्, जो 55 गोदाम बनाये गये हैं, इनके माध्यम से यह योजना संचालित होती है। इसके साथ–साथ इसमें ग्राम अनाज बैंक, जो ग्रेन बैंक हैं, इसमें प्रत्येक गाँव की अपनी महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक समिति गठित है, उस समिति के माध्यम से यह योजना संचालित होती है और प्रत्येक गाँव का पृथक–पृथक बाई–लॉज है। इस योजना में विशेष तौर पर उल्लिखित है कि प्रति वर्ष एक परिवार को 100 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा, जो ऋण के रूप में होगा, जिसको कि वह उस बैंक को वापस करेगा। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। इस पायलट प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य यही है।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें केवल 1200 लाभार्थी हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 1200 लाभार्थी नहीं, 1500 लाभार्थी इसमें आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन 55 स्थानों का जिक्र आपने किया कि इन 55 स्थानों पर यह पायलट प्रोजेक्ट लागू है, क्या माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि इसमें प्रत्येक गाँव के चयन की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें गाँवों का चयन किया जाता है ? वह प्रक्रिया बता दें।

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, इसमें प्रत्येक गाँव में जो बी0पी0एल0 लाभार्थी होते हैं, वह इस समिति के सदस्य होते हैं। इसमें जो सदस्य बनेंगे, वही इसके लाभार्थी होंगे। जहाँ तक आपने बताया कि 1500 लाभार्थी हैं, तो पूर्व में 1525 सदस्य इसमें थे, बाद में कुछ ने अपनी सदस्यता समाप्त कर ली। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 1200 सदस्य हैं, जो इसका लाभ उठा रहे हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें गाँवों का चयन किस तरह होता है ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, इनकी समिति बनती है और वह समिति बाई–लॉज के आधार पर बनती है और प्रत्येक गाँव का बी0पी0एल0 परिवार का जो सदस्य होगा, वही इस समिति का सदस्य होगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, इसमें गाँवों का चयन कैसे होता है ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। जब यह पायलट प्रोजेक्ट आया तो इसमें 3 जिले लिए गए। जिसमें उत्तरकाशी का नौगाँव ब्लॉक, पुरोला ब्लॉक और मोरी ब्लॉक, देहरादून का चकराता ब्लॉक और टिहरी का थत्यूड़ ब्लॉक। इस प्रकार से ये 5 ब्लॉक इसके अन्तर्गत लिए गए। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष, 2009—10 में प्रारम्भ हुआ है। इस योजना का जो लाभ है, उसकी व्यापकता के आधार पर सरकार इसके बारे में पुनर्विचार करेगी कि इसको अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, मैं यही जानना चाह रहा था। क्या यह केन्द्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की, यह भी बता दें ?

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, इसमें दोनों का 50—50 रेशियो है। इसमें खाद्यान्न हमें एफ0सी0आई0 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इसमें जो खाद्यान्न का ढुलान है, वह 50 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार।

प्रदेश में गन्ना क्रयकर के सापेक्ष शक्कर निधि के अन्तरण का अनुपात तथा प्रत्येक वर्ष भुगतान का जिलेवार विवरण।

*2—श्री जोत सिंह गुनसोला—

*क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना क्रयकर के सापेक्ष शक्कर निधि को किस अनुपात पर अन्तरण प्रदान किया जाता है एवं राज्य स्थापना से लेकर वर्ष 2010—11 तक प्रत्येक वर्ष कितना—कितना भुगतान जिले वार किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)—

गन्ना क्रयकर की मिलों से वसूल धनराशि का 50 प्रतिशत एवं खाण्डसारी इकाइयों से 50 पैसे प्रति क्विंटल से अधिक वसूल धनराशि का 50 प्रतिशत शक्कर विशेष निधि में स्थानान्तरित किया जाता है।

शक्कर विशेष निधि की धनराशि को जनपदवार भुगतान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि शक्कर विशेष निधि से किन–किन मदों में भुगतान किया जाता है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गन्ना क्रय करके रोप में वसूल होने वाले 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल कितनी धनराशि शक्कर विशेष निधि में जमा की गई है ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनपदवार इसका भुगतान ही नहीं होता है, तो मिलवार तो भुगतान होता होगा, जहाँ क्रय सेन्टर होते हैं, तो क्या इनका भुगतान सेन्टरवार होता है ?

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, शक्कर विशेष निधि का भुगतान उत्तराखण्ड गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961 की धारा 3(10) के प्राविधानों के तहत किया जाता है। यह चार मदों में खर्च किया जाता है, गन्ना शोध एवं विकास हेतु जितनी भी निधि प्राप्त होती है, उसका 36 प्रतिशत खर्च किया जाता है, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये 24 प्रतिशत खर्च किया जाता है, चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ऋण सहायता के रूप में 30 प्रतिशत और कल्याण निधि में 10 प्रतिशत खर्च किया जाता है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि हमें अभी तक यह कितना प्राप्त हुआ है, (व्यवधान) राज्य स्थापना से बता देता हूँ, वर्ष 2001–02 में नैनीताल जिले में हमें 64 हजार खांडसारी में प्राप्त हुआ है, चीनी मिल से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऊधमसिंह नगर में एक लाख 91 हजार हमें खांडसारी से प्राप्त हुआ और चीनी मिलों से 1 करोड़ 28 लाख 61 हजार प्राप्त हुआ। हरिद्वार में 5 लाख 41 हजार खांडसारी से और 59 लाख 15 हजार चीनी मिल से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देहरादून में खांडसारी से 51 हजार तथा चीनी मिलों से 18 लाख 20 हजार प्राप्त हुआ था।

मान्यवर, इसी प्रकार से वर्ष, 2001–02 में हमें 8 लाख 51 हजार खांडसारी से प्राप्त हुआ और 2 करोड़ 5 लाख 96 हजार चीनी मिलों से प्राप्त हुआ और उस साल में हमें टोटल 2 करोड़ 14 लाख 50 हजार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से वर्ष, 2002–03 में नैनीताल में खांडसारी से 64 हजार और चीनी मिलों से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऊधमसिंह नगर जिले से......। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत—

मान्यवर, इस सूची को सदन तथा माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाए।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं उपलब्ध करवा दूँगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शोध कार्यों में 36 फीसदी धन खर्च करने की बात की है, यह कुल कितना आज तक शोध में खर्च हुआ और शोध का रिजल्ट क्या रहा ?

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक शोध कार्यों के लिये 36 प्रतिशत के हिसाब से जो अनुमन्य धनराशि हमें मिलनी थी, वह 8 करोड़, 2 लाख, 9 हजार थी, यह मैं 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन हमें केवल 1 करोड़ 90 लाख, 55 हजार ही मिले। हमारे शोध संस्थान में गन्ने के नये–नये बीजों आदि पर शोध होता रहता है।..................(व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, कौन–कौन से बीज आपने बनाए ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुनसोला जी, कृपया ऐसा न करें।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, वर्ष 2001–02 में हमने 5 लाख रुपये दिये, वर्ष 2002–2003 में हमने 70 लाख रुपये दिये।............

.........मान्यवर, वर्ष 2003–04 में 9 लाख 45 हजार...(व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, एक जानकारी और दे दें। माननीय मंत्री, 24 प्रतिशत जो है आपने आधुनिकीकरण के लिए इंगित किया कि 24 प्रतिशत टोटल जो आएगा, उसका करेंगे। कौन–कौन सी मिलें हैं जिनका आधुनिकीकरण किया गया ? इसका जरा जवाब दे दें।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, अभी तक आधुनिकीकरण में हमें जो प्राप्त धनराशि मिलनी चाहिए थी वह 6 करोड़ 68 लाख और 41 हजार है, लेकिन अभी तक जो स्वीकृत राशि प्राप्त हुई वह केवल हमें 01 करोड़ प्राप्त हुई है और उसके माध्यम से अभी हम लोगों ने जो योजना बनायी है इस साल जो हमारा बाजपुर का प्लांट है, उसमें एथोनाल लगाना चाहते हैं। उसके संबंध में पूरी प्रक्रिया चल रही है, जब बनेगी तब बता देंगे।

प्रदेश में खेतों की चकबन्दी का वर्ष 2010 11 तक जिलेवार विवरण तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने एवं सरकारी अभिलेखों में राजस्व विभाग की मान्यता।

*3–श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खेतों की चकबन्दी की स्थिति वर्तमान वर्ष 2010–11 तक जिलेवार क्या है ?

क्या सरकार स्वैच्छिक चकबन्दी करने का निर्णय पर्वतीय क्षेत्र में ले चुकी है ?

यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत किन–किन गांवों में स्वैच्छिक चकबन्दी करायी गयी है तथा क्या सरकारी अभिलेखों में इस व्यवस्था को राजस्व विभाग की मान्यता दी गयी है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जिन जनपदों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है उनका विवरण निम्नवत है.–

जनपद	चकबन्दी हेतु लिए गए ग्रामों की संख्या	चकबन्दी पूर्ण हो चुके ग्रामों की संख्या	धारा 6 के अंतर्गत डिनोटिफाइड ग्रामों की संख्या	वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या
ऊधमसिंहनगर	273	122	99	52
चम्पावत	28	2	96	—
नैनीताल	20	3	15	2
हरिद्वार	579	402	25	152
देहरादून	12	12	—	—
उत्तरकाशी	2	—	—	2

अन्य जिलों में चकबन्दी प्रक्रिया नहीं चल रही है।

जी हाँ,

स्वैच्छिक चकबन्दी के अंतर्गत ग्राम बीफ एवं खरसाली, जिला उत्तरकाशी में जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत अधिसूचना सं0–260/180(1)/2007 दि0–2.7.2002 जारी कर चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जानना चाहा था राजस्व मंत्री जी से कि चकबंदी किन–किन जिलों में की गयी है, इसका उत्तर आया था कि 4–5 जिलों में इन्होंने चकबंदी का कार्य किया है। क्या जो स्वैच्छिक चकबंदी आपने बीण गाँव में की है, वह स्वैच्छिक चकबंदी कानूनी अधिकार ले चुकी है या नहीं और यदि कानूनी अधिकार ले चुकी है तो क्या सरकार अन्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी पर कोई कार्य करने जा रही है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, स्वैच्छिक चकबंदी, माननीय सदस्य ने पूछा अभी तक उत्तरकाशी के दो गाँव में प्रारम्भ की गयी है और ये उत्तरकाशी के बीण और खरसाली में कृषकों द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों की प्रेरणा लेकर की गयी स्वैच्छिक चकबंदी को विधिक स्वरूप दिये जाने हेतु जो माननीय सदस्य ने पूछा, अधिसूचना संख्या 260/18 (1) 2007 दिनांक 02.07.2007 जारी की गयी है। वर्तमान में इस अधिसूचना के तहत चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये बीफ और खरसाली ग्राम में जो चकबंदी प्रारम्भ की गयी है, ये कौन सी तारीख को प्रारम्भ की गयी, इसके लिए कौन–कौन से अधिकारी नियुक्त किये गये और अभी तक ये जो चकबंदी अधिकारी नियुक्त किये गये, इन्होंने क्या–क्या कार्रवाई कर ली है ? और जो–जो कार्रवाई इन्होंने की है, ये चकबंदी अधिकारी, कर्मचारी कहाँ पर तैनात हैं, जिले के अंदर तैनात हैं या प्रदेश के अंदर तैनात हैं ? ये पूरी जानकारी चाहिए।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, ये पर्वतीय क्षेत्र में स्वैच्छिक चकबंदी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ करने के उद्देश्य से नीति निर्धारण एवं दिशा–निर्देशन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, वो माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में है। इसी तरह से जिन गाँव की चकबंदी की गयी है, उन गाँवों की भी समिति बनायी गयी है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो तो अलग से एक प्रक्रिया शुरू हुई है अभी, उसमें मैं भी सदस्य हूँ।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, गाँव की चकबंदी को प्रारम्भ करने के लिए गाँव की ही एक समिति बनी है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा पिन प्वाइंट प्रश्न है कि बीफ और खरसाली गांव में जो प्रक्रिया शुरू हुई है, यह किस तारीख को शुरू हुई ? उसमें कौन–कौन से अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किये गये ? उन अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी चकबंदी के लिए ? और वो अधिकारी, कर्मचारी कहाँ पर कार्यरत हैं, उनका कार्यालय कहाँ है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2 तारीख, 7वाँ महीना और वर्ष 2007 को ये प्रारम्भ हुई।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें कौन–कौन से अधिकारी और कर्मचारी हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, इसमें डी0एम0 उप संचालक हैं और एस0डी0एम0 बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं।

श्रीमती अमृता रावत—

मान्यवर, इसका कार्यालय कहाँ है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, कार्यालय जिलाधिकारी के यहाँ है।

श्री केदार सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, इन अधिकारियों ने वर्ष 2007 से अब तक क्या कार्रवाई की है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, वहाँ पर जो चकबंदी स्टाफ है वह डेपुटेशन पर है। वह हमारे अधिकारी नहीं हैं, इसका गठन किया जा रहा है। हमने हरिद्वार में कार्यरत दो अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त किया है।

श्री केदार सिंह रावत—

मान्यवर, कहाँ नियुक्त किये हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में नियुक्त किया है।

श्री केदार सिंह रावत—

मान्यवर, उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि कार्रवाई गतिमान है और इसके रिजल्ट आने हैं।

श्री केदार सिंह रावत—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया है, जो यह टीम गठित हुई है इसने बीफ और खरसाली गाँवों में जहाँ ऑलरेडी स्वैच्छिक चकबन्दी हुई है, चार साल व्यतीत होने के पश्चात् उन्होंने वहाँ पर क्या कार्रवाई की है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, जो पर्वतीय क्षेत्र में स्वैच्छिक चकबन्दी है, वह इतना आसान नहीं है कि इसको प्रारम्भ कर दिया जाए, सरकार की पूरी मंशा है कि यहाँ पर चकबन्दी कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दिया जाए।

श्री केदार सिंह रावत—

मान्यवर, मेरा पिन प्वाइंट प्रश्न है कि इस चकबन्दी टीम ने अभी तक क्या कार्यवाई की है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, यह अन्तिम चरण में है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है।

श्री केदार सिंह रावत—

मान्यवर, इसका अन्तिम चरण क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय पर पूरे सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कि उत्तरकाशी के बीफ और खरसाली में क्या कार्यवाही की गई है। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उत्तरित किया कि दिनांक 02—07—2007 को अधिसूचना जारी हुई। यह अधिसूचना इसलिए जारी की गई क्योंकि जो कृषकों द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों की प्रेरणा से स्वैच्छिक चकबन्दी की गई थी, उसको विधिक रूप दिया जाए, इस उद्देश्य से वह अधिसूचना जारी हुई ताकि उसको विधिक मान्यता मिल जाए, विधिक रूप दिया जाए। इसका सर्वे काम पूरा हो चुका है और प्रारम्भिक अभिलेख तैयार हो चुके हैं और जोतों का सीमांकन कार्य प्रगति पर है और कार्य पूरी तेजी से चल रहा है।

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ऊधमसिंह नगर में धारा—6 के अन्तर्गत जो डिनोटीफाई विलेजेज हैं वह 99 हैं और जिनमें चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है वह 52 गाँव हैं। मैं जानना चाहूँगा कि दस, पन्द्रह और बीस साल से यह चकबन्दियाँ चल रही हैं, क्या सरकार इसे समयबद्ध करने जा रही है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में माननीय सदस्य ने जो 52 गाँवों के बारे में पूछा है, कब तक हो जाएगा। (व्यवधान)......

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

मान्यवर, क्या इसको समयबद्ध करने जा रहे हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या—08 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह समयबद्ध ही किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में लागू अटल सस्ता अनाज योजना का ब्यौरा।

*4–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अटल सस्ता अनाज योजना के प्रचार–प्रसार पर कितना खर्चा किया गया है ? उक्त योजना सरकार द्वारा लागू की गयी है या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के माध्यम से ए0पी0एल0 परिवारों को कितना चावल व गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा ? क्या योजना के अनुरूप अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत नगर निगम को आवंटित धनराशि।

*5–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट (एस0डब्लू0एम0) के अन्तर्गत कितना धन नगर निगम को आवंटित किया गया था तथा वह धन कब आवंटित हुआ था ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या अभी तक इस योजना में कार्य प्रारम्भ करवाया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

रू0 615.00 लाख वित्तीय वर्ष 2008–09 में नगर निगम को आवंटित किया गया है।

न्यूनतम निविदादाता कम्पनी के साथ दिनांक 04–03–2011 को कन्सेशन एग्रीमेंट कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को ए0पी0एल0 अन्तर्गत निर्धारित राशन कोटे का ब्यौरा।

*6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या खाद्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को ए0पी0एल0 का गेहूँ, चावल कितना मीट्रिक टन निर्धारित है तथा उसके सापेक्ष कितना मीट्रिक टन मिल रहा है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राज्य में उपलब्ध ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्डों की संख्या एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा के अनुसार राज्य के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं हेतु प्रतिवर्ष 35 किलो खाद्यान्न (20 किलो गेहूँ तथा 15 किलो चावल) की दर से प्रतिवर्ष 36182.00 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 27136.00 मीट्रिक टन चावल अर्थात कुल 63318.00 मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, परन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य को नियमित एवं तदर्थ आवंटन को सम्मिलित करते हुए 32071.000 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 8814.000 मीट्रिक टन चावल कुल 40885.000 मीट्रिक टन खाद्यान्न मिल रहा है।

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जारी बी0पी0एल0 कार्ड के मानकों में हुई अनियमितताओं की जाँच।

*7–श्री गणेश जोशी–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये सरकार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड बनाए गए हैं ?

क्या यह सत्य है कि बी0पी0एल0 कार्ड मानकों के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं और पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

बी0पी0एल0 कार्ड मानकों के अनुरूप बनाये गये हैं, पात्र लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के बी0पी0एल0 परिवारों को आवंटित राशन एवं अन्त्योदय कार्ड की संख्या

*8–डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आर्थिक सर्वे के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे कुल कितने परिवार हैं ?

इनमें से कितने परिवारों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड उपलब्ध हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

ग्राम्य विकास विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर शासनादेश दिनांक 25–01–2011 के द्वारा संशोधित बी0पी0एल0 सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 6,20,737 परिवार बी0पी0एल0 की श्रेणी में हैं।

राज्य में 3,07,074 बी0पी0एल0 एवं 1,90,926 अन्त्योदय राशन कार्ड उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल 4,98,000 राशन कार्ड लक्ष्य के अनुरूप प्रचलित हैं।

अतारांकित प्रश्न

1–विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के तृतीय बुधवार तक स्थगित।

2–विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–66 में स्थानांतरित।

जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट को जिला बनाया जाना।

3–श्री केदार सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव, पुरोला व मोरी की जनता नये जनपद का सृजन किये जाने की मांग वर्षों से कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बड़कोट को जनपद बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ,

जी नहीं, नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरकों को लाभांश का भुगतान।

4–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्न वितरकों को लाभांश का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में विगत कितने समय से खाद्यान्न वितरकों को लाभांश का भुगतान नहीं हुआ है ?

क्या सरकार खाद्यान्न वितरकों को उचित लाभांश शीघ्र दिलाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

ए0पी0एल0, बी0पी0एल योजनान्तर्गत उचित दर विक्रेताओं द्वारा लाभांश खाद्यान्नों के उपभोक्ता मूल्यों में जोड़कर उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता रहा है, अतः विक्रेता को तत्काल ही लाभांश का भुगतान हो जाता है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर का नए जनपद के रूप में गठन

5–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि काशीपुर (जनपद ऊधमसिंह नगर) को नए जनपद के रूप में गठित किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में क्रियान्वित "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2007 2011 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि का जनपदवार विवरण

6–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है ?

यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	2007–2008			2008–2009		
		स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1	नैनीताल	1477.04	369.26	0.00	2248.00	143.75	77.00
2	ऊधमसिंह नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	देहरादून	7095.76	1299.34	0.00	19510.60	6017.84	1328.23
8	हरिद्वार	5145.99	717.66	0.00	4965.00	2885.67	1196.00
9	चमोली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	पौड़ी	585.44	292.71	0.00	0.00	0.00	5.00
11	टिहरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उत्तरकाशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	रुद्रप्रयाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	14304.23	2678.97	0.00	26723.60	9047.26	2606.23

क्र0 सं0	जनपद का नाम	2009—2010			2010—2011		
		स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1	नैनीताल	4938.04	806.87	320.75	931.00	2285.20	1028.00
2	ऊधमसिंह नगर	5839.00	2242.70	0.00	0.00	675.17	2216.00
3	पिथौरागढ़	1095.02	548.01	0.00	0.00	0.00	428.00
4	चम्पावत	381.15	0.00	0.00	0.00	190.58	3.00
5	बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अल्मोड़ा	833.32	0.00	0.00	0.00	416.66	154.00
7	देहरादून	11068.59	6313.55	2499.77	0.00	1462.55	3970.00
8	हरिद्वार	2613.22	2465.11	2894.00	0.00	1497.37	2012.00
9	चमोली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	पौड़ी	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	191.00
11	टिहरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उत्तरकाशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	रूद्रप्रयाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	26019.70	12376.24	5730.52	931.00	6527.53	10002.00

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महायोग		
		स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1	नैनीताल	9644.52	3605.08	1425.75
2	ऊधमसिंह नगर	5839.00	2917.87	2216.00
3	पिथौरागढ़	1096.02	548.01	428.00
4	चम्पावत	381.15	190.58	3.00
5	बागेश्वर	0.00	0.00	0.00
6	अल्मोड़ा	833.32	416.66	154.00
7	देहरादून	38574.98	15093.28	7798.00
8	हरिद्वार	12724.21	7565.81	6102.00
9	चमोली	0.00	0.00	0.00
10	पौड़ी	585.41	292.71	212.00
11	टिहरी	0.00	0.00	0.00
12	उत्तरकाशी	0.00	0.00	0.00
13	रूद्रप्रयाग	0.00	0.00	0.00
	योग	69678.61	30630.00	18338.75

जनपद हरिद्वार में कृषि भूमि के पट्टों का श्रेणी परिवर्तन

7—हाजी तसलीम अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में सरकार राज्य निर्माण से पूर्व व बाद में आवंटित कृषि भूमि के पट्टों को श्रेणी तीन से दो व श्रेणी दो से परिवर्तन कर श्रेणी एक संक्रमणीय भूमिधरी घोषित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—132 के अंतर्गत श्रेणी—3 आसामी पट्टेदार के रूप में आवंटित भूमि को श्रेणी—2 का भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा—131ख के अंतर्गत श्रेणी—2 के असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार वाले पट्टेदारों को 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर श्रेणी—1क, संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान किये जाने का प्राविधान है तथा उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये छोटे जिलों का गठन

8—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम एवं जटिल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नये छोटे जिले बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां तो सरकार भविष्य में कौन—कौन से जिलों का गठन करने जा रही है ? क्या द्वाराहाट को नया जिला बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी नहीं, नयी प्रशासनिक इकाइयों का गठन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया में गैस गोदाम का निर्माण

9—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया में उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को देखते हुए क्या सरकार वहां पर गैस गोदाम निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक गैस गोदाम का निर्माण कराकर गैस वितरण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

10–विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

कोटद्वार तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण

11–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 06 फरवरी, 2011 को कोटद्वार तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण हेतु 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) की स्वीकृति की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ,

जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा कोटद्वार तहसील में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण हेतु आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत कण्डीसौड़ को तहसील का दर्जा

12–श्री ओम गोपाल–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार विकासखण्ड के अन्तर्गत स्थान कण्डीसौड़ में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2009 में स्थान टिहरी में उप तहसील की घोषणा की गयी थी ?

क्या यह सत्य है कि घोषणा के कुछ समय उपरान्त तक कण्डीसौड़ में अस्थायी रूप से उपजिलाधिकारी तैनात रहे, किन्तु वर्तमान में लम्बे समय से कण्डीसौड़ में उप जिलाधिकारी नहीं बैठ रहे हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक कण्डीसौड़ को तहसील का दर्जा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी नहीं, दिनांक 19—02—2009 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "गजा उपतहसील में कण्डीसौड स्थान पर एस0डी0एम0 सप्ताह में एक दिन बैठेंगे।" विषयक घोषणा संख्या—176/2009 की गयी।

गजा उपतहसील के अन्तर्गत कण्डीसौड में जगह न होने के कारण उपजिलाधिकारी टिहरी को गजा उपतहसील में सप्ताह में एक दिन कैम्प करने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में एस0डी0एम0 टिहरी के पास सब डिवीजन धनौल्टी एवं पुनर्वास का अतिरिक्त प्रभार होने व नियमित रूप से कैम्प किया जाना सम्भव न होने के कारण समय—समय पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा कैम्प किया जा रहा है।

नई प्रशासनिक इकाई का गठन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जनपद पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील का भवन निर्माण।

13—श्रीमती अमृता रावत—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल तहसील के भवन निर्माण के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्रवाई और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने की सम्भावना है और वर्ष 2004 से स्थापित इस तहसील के भवन निर्माण हेतु वार्षिक योजना में प्रावधान किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट—

तहसील भवन के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। शासकीय भवनों के निर्माण से संबंधित नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी पौड़ी को कार्य का आगणन गठित कर शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन तहसील भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति की कार्यवाई की जायेगी।

प्रदेश के अधूरे/निर्माणाधीन पटवारी चौकी भवनों का निर्माण

14—श्रीमती अमृता रावत—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के द्वितीय सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अधूरे/निर्माणाधीन पटवारी चौकी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की दिशा में तब से अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा इन्हें दोमंजिला कराए जाने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

प्रदेश में कुल स्वीकृत 1161 पटवारी चौकियों के सापेक्ष 867 पटवारी चौकियों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 196 पटवारी चौकियां निर्माणाधीन हैं एवं 101 पटवारी चौकियों में अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। जनपद पौडी में एक मंजिला पटवारी चौकियों को दोमंजिला किये जाने हेतु मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

जनपद पौडी के अन्तर्गत सन्तूधार की पटवारी चौकी का निर्माण

15—श्रीमती अमृता रावत—

विधानसभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम बुधवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—05 के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड एकेश्वर के स्थान सन्तूधार में निर्माणाधीन पटवारी चौकी का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण करवाए जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पटवारी चौकी का निर्माण कार्य कब पूर्ण किया गया तथा इस चौकी में पटवारी कार्यालय कब स्थापित किया गया है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

सन्तूधार में निर्माणाधीन पटवारी चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त चौकी में विद्युत एवं जल संयोजन को स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कर चौकी राजस्व विभाग को हस्तगत करने के उपरान्त ही चौकी में पटवारी कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

जनपद पौडी के बीरोंखाल को जिला बनाया जाना

16—श्री यशपाल बेनाम—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नये जिलों के सृजन पर विचार कर रही है ?

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि बीरोंखाल की जनता बीरोंखाल को जिला बनाने के लिए आन्दोलनरत है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बीरोंखाल को जिला बनाने की पहल कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं,

जी हाँ,

जी नहीं, नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जनपद देहरादून के लिए जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से स्वीकृत धन एवं स्वीकृत कार्यों की स्थिति।

17–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जेएनएनयूआरएम से कितना धन किस–किस मद में देहरादून के लिए स्वीकृत हुआ है तथा स्वीकृत कार्यों की क्या स्थिति है ?

क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

क्र सं0	परियोजना	स्वीकृत परियोजना	अवमुक्त धनराशि	व्यय	भौतिक प्रगति
अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स (यूआईजी)					
1	जलापूर्ति	70.02	52.50	41.35	17 ट्यूबवैल, 17 जलाशय 15 पम्प हाउसों का निर्माण कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
2	सीवरेज सिस्टम फेज–1	54.65	13.66	12.35	03 जोन में सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर तथा 04 एसटीपी के लिए पुनः निविदायें आमंत्रित।
3	सीवरेज सिस्टम फेज–2	62.83	14.46	1.50	कार्य प्रगति पर तथा एसटीपी एवं सीवर लाईन हेतु निविदायें आमंत्रित
4	चौराहों का सुधार	29.43	7.36	7.36	11 चौराहों पर कार्य प्रगति पर।
5	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट	24.60	6.15	0.37	न्यूनतम निविदादाता फर्म का चयन तथा कार्य माह अप्रैल, 2011 में प्रारम्भ किया जायेगा।
6	सिटी बस सर्विस	11.40	5.70	5.70	60 बसों की आपूर्ति प्राप्त।

बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर (बीएसयूपी)

1	2	3	4	5	6
1	शांति कुञ्ज रोग आश्रम	1.37	0.69	0.34	28 आवासों में से 18 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।

1	2	3	4	5	6
2	राम मन्दिर कुष्ठ आश्रम	1.64	0.41	0.35	27 आवासों में से 14 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
3	रोटरी कुष्ठ रोग आश्रम	1.63	0.41	0.26	34 आवासों में 22 आवासों का निर्माण कार्य छत लेवल पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
4	चकशाह नगर	8.60	2.15	0.00	स्थल विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया किन्तु कार्य प्रारम्भ कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
5	काठ बंगला	6.23	1.55	0.00	स्थल विवाद के कारण विलम्बित वर्तमान में निविदायें आमंत्रित
6	खाला बस्ती	3.73	0.93	0.00	स्थल विवाद
7	रामनगर मलिन बस्ती	11.60	2.90	0.00	निविदा प्रक्रिया में
8	निरंजनपुर ब्रहमपुरी, फेज–1	11.15	2.78	0.00	निविदा प्रक्रिया में
9	निरंजनपुर ब्रहमपुरी, फेज–2	16.67	4.17	0.00	धनराशि माह जनवरी, 2011 में अवमुक्त। निविदा प्रक्रिया में
	योग	315.56	115.02	69.50	

जी नहीं।

कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के मंदिरों का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास

18–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उप निदेशक पर्यटन उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून के पत्रांक 3007/2–550/2010 दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 के साथ विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत मंदिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों पर प्रस्तुत आख्या में अधिकांश प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाई हेतु जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किए जाने की जानकारी दी गई है ?

यदि हाँ, तो जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा की गई कार्यवाई और अब तक हुई प्रगति का प्रस्तावबार विवरण क्या है ?

तथा कब तक प्रस्तावित मंदिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा की गई कार्यवाई और अब तक हुई प्रगति का प्रस्ताववार विवरण मा0 प्रश्नकर्ता विधायक के निजी सचिव को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–593/वि0स0बीरों/2010–11, दिनांक 26–02–2011 द्वारा † संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार मा0 विधायक को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रस्तावित योजनाओं आगणनों के गठन, भूमि की उपलब्धता तथा संचालन व रखरखाव की व्यवस्था आदि कार्यवाई पूर्ण होने पर बजट उपलब्धता के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जाएगी।

19. श्री महेन्द्र सिंह माहरा सदस्य विधान सभा के सदन की सेवा से निलम्बित होने के आधार पर व्यपगत।

गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम के 22 कर्मचारियों को गढ़वाल मण्डल विकास निगम में समायोजन

20–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि शासन द्वारा वर्ष 2002 में गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम के 22 कर्मचारियों को गढ़वाल मण्डल विकास निगम में समायोजन का निर्णय लिया गया था ?

यदि हाँ, तो सरकार इन 22 कर्मचारियों को गढ़वाल मण्डल विकास निगम में समायोजित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† विवरण देखिए नत्थी–'क' आगे पृष्ठ संख्या–143–145 पर

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत पहली सूचना कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", दूसरी सूचना श्री यशपाल बेनाम, तीसरी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, पांचवीं सूचना श्रीमती अमृता रावत, छठी सूचना श्री नारायण पाल तथा सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश की, इस प्रकार कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री यशपाल बेनाम, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा श्री नारायण पाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भुरनी कुआँखेड़ा सैलानी पुल मार्ग के सुदृढीकरण किये जाने के संबंध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्रांतर्गत एक महत्वपूर्ण मार्ग है– पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार मार्ग, जिसका उपयोग देहली से हरिद्वार रूट पर मुख्य वैकल्पिक मार्ग के रूप में किया जाता है। कई दफा उक्त मार्ग से रुडकी, सहारनपुर की ओर जाने हेतु "लक्सर–लन्ढौरा–रुडकी" मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में "भुरनी–कुआंखेडा–सौलानीपुल मार्ग" का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन विगत लगभग डेढ वर्ष से उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा सूचनाकर्ता द्वारा कई मर्तबा जिला प्रशासन एवं शासन से उक्त मार्ग के सुदृढीकरण हेतु अनुरोध किये जाने पर कोई भी कार्यवाई नहीं किया जाना खेदजनक है। विगत सितम्बर, 2010 में अतिवृष्टि से हुए भीषण जल प्रवाह के कारण यह मार्ग ध्वस्त हो गया है जिससे क्षेत्र में आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार उक्त "भुरनी–कुआंखेडा–सौलानी पुल मार्ग" को तत्काल सुदृढीकरण कराना सुनिश्चित करे, जिससे सादर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण मार्ग से क्षेत्रवासी लाभांवित हो सकें।

अतः लोकहित के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाई कराए जाने की माँग करता हूँ।]

नोट:–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पौड़ी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल बेनाम—

[मान्यवर, आप अवगत हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद इसके अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिये राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि की उपलब्धता का आग्रह किया गया। इसी क्रम में लगभग 6 माह पूर्व पौड़ी में इसके निर्माण के लिये क्षेत्रवासियों ने निःशुल्क भूमि के दस्तावेज विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपे, किन्तु इस भूमि का निरीक्षण किये बिना सरकार द्वारा कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी गई, जबकि आपके संज्ञान में लाना है कि नियमतः इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिसर टिहरी, श्रीनगर व पौड़ी में ही खोला जाना चाहिये था। इसी उपेक्षा के चलते पौड़ी के नागरिकों द्वारा पिछले 3 माह से लगातार धरना–प्रदर्शन जारी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाई करते हुये वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत चौखुटिया तथा द्वाराहाट में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

मान्यवर, तहसील चौखुटिया, द्वाराहाट में वर्तमान में पटवारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों के अधिकांश पद रिक्त हैं, जिसके कारण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं सहित सभी जनहित के विकास एवं अन्य कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इससे दोनों विकास खण्ड व तहसीलें विकास के मामले में पिछड़ रही हैं।

इससे सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। अतः इन सभी रिक्त पदों पर एक माह के भीतर नियुक्ति किये जाने हेतु सरकार से प्रभावी कार्यवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा के स्याल्दे विकास खण्ड अन्तर्गत लम्बाड़ी ग्राम में दीमकों के आतंक के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में लम्बाड़ी नामक स्थान पर लम्बे समय से दीमकों का आतंक व्याप्त है। वर्तमान में वहाँ कोई भी घर सुरक्षित नहीं है, किसी घर में भी खिड़की दरवाजे नहीं हैं। यहाँ तक कि अधिकांश घरों में छतें भी

नोट—* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गिरने के कगार पर हैं, लोग अत्यन्त विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। प्रायः फसलें भी दीमकों की भेंट चढ़ रही हैं। साधन विहीन परिवारों में लगभग 20 परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं। अनेकों बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के उपरान्त भी आवश्यक कार्रवाई न हो पाने के कारण लोगों में भारी असन्तोष व्याप्त है जो भविष्य में किसी बड़े आन्दोलन का कारण बन सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की तात्कालिक सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि सरकार लम्बाड़ी गांव को अन्यत्र बसाने में उनकी मदद करते हुए उन्हें बुनियादी सुविधाऐं मकान, पानी, बिजली की व्यवस्था आपदा या अन्य किसी मद से कराने की अविलम्ब व्यवस्था करे।]

जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज क्षेत्र में जनता कनेक्शनों के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण पाल—

[मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र के अन्तर्गत शक्तिगढ़, वीरेन्द्रनगर गोठा, जोका, कल्याणपुर, नकुलिया, सिसौवा आदि तमाम गाँवों समेत समीपवर्ती किच्छा के गऊधार, शहदोरा बरा–बरी, सेमलपुरा में जहाँ पर सरकार द्वारा गरीबों को उनकी मांगों के अनुरूप जनता कनेक्शन व कुटीर ज्योति के नाम से विद्युत की सुविधा दी थी। यह सुविधा बी.पी.एल. व उससे नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को मिली, जिनके पास कनेक्शन लगने से वर्षों तक पहले तो कोई विद्युत बिल नहीं आता है और अब आ रहा है तो बीस से पचास हजार रुपये का भारी–भरकम बिल आ रहा है। जो इन लोगों के साथ धोखा व सरासर अन्याय है, क्योंकि उन्हें फ्री कनेक्शनों के नाम पर विद्युत की सुविधा दी गई थी। अब विभाग बिल चुकाने में असमर्थ इन लोगों के कनेक्शन काट रहा है।

मैं इस लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ]

*श्रीमती अमृता रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना थी।

दिनांक 11 मार्च, 2011 को जापान में आये समुद्री भूकम्प (सुनामी) से हुई भारी तबाही पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

सुनामी लहरों के कारण हुई त्रासदी के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

नोट—* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि गत शुक्रवार 11 मार्च, 2011 को आये समुद्री भूकम्प से जापान के उत्तरपूर्वी तट से पैदा हुई सुनामी लहरों ने भारी तबाही मचाई है। रिक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता वाले भूकम्प का केन्द्र जापान के उत्तरपूर्वी तट से 125 कि0मी0 दूर समुद्र में 10 कि0मी0 की गहराई में स्थित था। भूकम्प से पैदा हुई सुनामी लहरों ने जापान के टोक्यो, सेंदई, हौंशू सहित उत्तरपूर्व के कई शहरों में भारी विनाश किया।

जापान में इस शक्तिशाली भूकम्प और सुनामी के कारण आये पानी के कई कि0मी0 से ज्यादा चौड़े तेज बहाव में अनेक इमारतें, गाड़ियाँ, बड़े–बड़े शेड, ट्रेन तथा पानी के जहाज बह गये अथवा लापता हैं। परमाणु बिजलीघर, तेल रिफाइनरी, स्टील प्लांट के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की भी खबर है। इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति ठप हो गई तथा ट्रेन एवं विमान सेवायें रद्द करनी पड़ी। अपुष्ट समाचारों के अनुसार इस जबरदस्त प्राकृतिक आपदा से जापान में अभी तक लगभग 20,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके साथ ही परमाणु संयंत्रों में विस्फोट की विभीषिका पैदा हो गई है। फुकुशिमा स्थित परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ है तथा परमाणु विकिरण का खतरा उत्पन्न हो गया है। जापान में भारतीय उच्चायोग के अनुसार जापान में रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जापान में आये तीव्र भूकम्प सुनामी के पश्चात् वहाँ फंसे उत्तराखण्ड निवासी भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय भारत सरकार से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि दिनांक 15.03.2011 तक लगभग 4500 नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से हटाकर टोक्यो लाया गया है। विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर, ओवरसीज अफेयर्स द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अभी उपरोक्त भारतीय नागरिकों का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसके सम्बन्ध में भारतीय दूतावास, जापान से जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस सम्बन्ध में भारतीय दूतावास, टोक्यो में फर्स्ट सैक्रेटरी, श्री स्वामीनाथन से भी सम्पर्क किया गया। श्री स्वामीनाथन द्वारा बताया गया है कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टोकियो लाये गये सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी भारतीय नागरिक की कैज्वेलिटी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है तथा भारतीय दूतावास लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जापान में फंसे उत्तराखण्ड के निवासियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने तथा उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने हेतु टोक्यो में भारतीय राजदूत को लिखा जा चुका है तथा उत्तराखण्ड शासन भी लगातार विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के सम्पर्क में है। उत्तराखण्ड राज्य भी भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहा है। गत वर्ष भी राज्य पर अतिवृष्टि, भूस्खलन

और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप रहा। हम समझ सकते हैं कि इन विपदाग्रस्त परिस्थितियों का जापान के हमारे साथी नागरिक किस प्रकार सामना कर रहे होंगे। हमारी संवेदनाएं एवं सहानुभूति उनके साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय डा0 मनमोहन सिंह जी ने जापान के प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि इस घड़ी में पूरा भारत देश जापान के लोगों के साथ खड़ा है। यह सदन भी प्रधानमंत्री जी के इस आश्वासन से स्वयं को सम्बद्ध करता है तथा विश्वास दिलाता है कि उत्तराखण्ड का प्रत्येक नागरिक भी जापानी भाइयों की इस संकट की घड़ी में उनके साथ है तथा उनकी हर संभव सहायता को तैयार है। यह सदन इस त्रासदी में मारे गये लोगों के प्रति शोक व्यक्त करता है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता है। मैं इस दुखमय घड़ी में इस सदन के माध्यम से उनको शोक संवेदना अर्पित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष*(डा0 हरक सिंह रावत)—

माननीय अध्यक्ष जी, जापान की इस दुखद घटना पर जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दुख के शब्द व्यक्त किये हैं और संवेदना के शब्द व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल इससे अपने आप को संबद्ध करता है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से 11 मार्च को जो अप्रिय घटना हुई है, 8.9 तीव्रता रिक्टर का भूकम्प जो जापान में आया है। उससे जो सुनामी की लहरें पैदा हुई हैं। इससे केवल जापान ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी हमने टेलीविजन खोला और कोई सा न्यूज चैनल लगा कर देखा, उससे प्रकृति का नजारा, प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता था कि इन्सान ने अपने आप को आदिकाल से लेकर अभी तक तरक्की के रास्ते से आगे बढ़कर विज्ञान और टैक्नोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए खड़े करने की कोशिश की है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, प्रकृति का वह विकट रूप, विराट रूप इंसान को असहाय जैसे महसूस बनाने के लिए दिखायी दे रहा है। मान्यवर, विज्ञान और टैक्नोलॉजी हमने इन हजारों वर्षों में जो अर्जित की है वह नेचर के सामने, प्रकृति के सामने, उसकी लाठी के सामने सब कुछ विवश कर दिया है और असहाय कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से प्रकृति की यह चुनौती, केवल जापान ही नहीं पूरी मानवता की है और केवल मानवता की नहीं इस ब्रह्माण्ड में, इस धरती पर जीव–जन्तु, पेड़–पौधे जो सब कुछ है जिसे जीवन कह सकते हैं। उन सबके लिए प्रकृति की यह बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे दुःख के समय में जापान के साथ पूरे हिन्दुस्तान के खड़े होने की बात की है और निश्चित रूप से हमारा हिन्दुस्तान, दुनिया के किसी कोने में कभी भी कोई अप्रिय घटना होती है इतिहास इस बात का साक्षी है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत ने दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रकार की जो दु:खद घटना हुई हो तो वह केवल खड़ा ही नहीं हुआ है, दु:ख ही नहीं व्यक्त किया है बल्कि सहारा बनने की भी कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस तरह के भाव, जिस तरह की सहायता के लिए भारत वर्ष का उनके साथ खड़ा होने का विचार और प्रधानमंत्री जी द्वारा जापान सरकार को आश्वस्त किया गया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं निश्चित रूप से पूरा उत्तराखण्ड जापान की इस दु:खद घटना के साथ खड़ा है।

जैसे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि उत्तराखण्ड के काफी लोग जापान में व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए कार्यरत हैं। निश्चित रूप से जापान की इस घटना का बहुत बड़ा असर हमारे उत्तराखण्ड के आम जन–मानस पर पड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जापान की इस घटना ने मुझे तो आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड, जहाँ भूकम्प आने की अधिक स्थिति बनती है, वहाँ जाने का अवसर मिला है। हमारा उत्तराखण्ड भी भूकम्प के दृष्टिकोण से जोन–5 और जोन–4 में है जो अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। भूकम्प के दृष्टिकोण से मुझे आज भी याद है जब उत्तराखण्ड में भूकम्प आया था 7.3 के आसपास, 702 मौतें, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में हुई थी। उस समय मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। यह मेरा दुर्भाग्य रहा है कि वर्ष 2002 में भी जब बूढ़ाकेदार टिहरी में भू–स्खलन हुआ और 30 से अधिक मौतें हुईं। आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में मुझे उन मौतों को, उन शवों को अपनी आँखों से देखने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इन दोनों घटनाओं के बाद जापान की इस घटना ने हमको हिला कर रख दिया है और यह सोचने के लिए विवश कर दिया है जब भी हम टेलीविजन देखते हैं तो ऐसा लगता है हम में कभी कभी मानव होने का अहम आ जाता है, अपनी बुद्धि पर, अपने कौशल पर गर्व होने लगता है लेकिन प्रकृति की इस मार के सामने ऐसा लगता है कि वैराग्य जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी घटनाएँ दुनिया में कहीं भी होती हैं तो वैराग्य जैसी स्थिति बन जाती है। जब हम खुद शव–यात्रा में जाते हैं, किसी अर्थी को देखते हैं तो जीवन के प्रति जो विरक्ति पैदा होती है वैसे ही जापान की इस घटना के बाद मैं सोचता हूँ। हम ही नहीं पूरी दुनिया के मन में विरक्ति पैदा होगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, रात चाहे कितनी ही काली क्यों न हो सुबह जरूर होती है और सुबह की किरण के साथ फिर असहाय और दुखी होने के बावजूद भी हम नये जीवन की तलाश में निकल पड़ते हैं।

मान्यवर, मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति में यह जो दु:ख की घटना जापान में हुई है, इसके साथ हम सब खड़े हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, अपने देवी–देवताओं से, बद्री–केदार से, जिनके प्रति हमारी आस्था है, गंगोत्री,

यमुनोत्री, जागेश्वर के प्रति हमारी आस्था है, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर! केवल अपने उत्तराखण्ड पर ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में इस तरह का रूप इन्सान को कभी देखने को न मिले, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पुनः मैं आपके माध्यम से दुःख व्यक्त करता हूँ और इस उम्मीद के साथ निश्चित रूप से यह प्रस्ताव शुरू में लाना चाहिए था और हम चाहते थे कि शुरू दिन जिस दिन विधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई थी उस दिन यह प्रस्ताव आये, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रस्ताव विलम्ब से आया, लेकिन आज पुनः इस उत्तराखण्ड की विधान सभा ने यह महसूस किया कि हम बहुत दुःखी हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सदन की यह दुःख की भावना जापान की सरकार तक भारत सरकार के माध्यम से पहुँचाने का कष्ट करेंगे, बहुत धन्यवाद।

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, इतने गम्भीर विषय पर बात हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सुनामी पर अपने विचारों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्मिलित करते हुये इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो जापान में हुआ है यह शायद सदी की सबसे बड़ी घटना है और यह घटना जापान में जिस समय घटित हुई है, इसलिए भी यह भारत के लिए बड़ा गम्भीर विषय है, क्योंकि भारत की जो प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति है तो उसमें और जापान की भौगोलिक स्थिति में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है, क्योंकि जापान में भी बहुत पर्वतीय क्षेत्र हैं और उसकी सीमायें समुद्र से मिलती हैं, इसी तरह से भारत की सीमायें भी समुद्र से बहुत मिलती हैं और प्राकृतिक स्रोत भी जापान की तरह हैं, वहाँ पर जो स्थितियाँ इस समय हुई हैं, जब हमारे देश के अन्दर स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन चल रहा था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना थी उसमें अमेरिका द्वारा जो वहाँ पर हाईड्रोजन बम का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से वहाँ पर नरसंहार हुआ था, उसका परिणाम केवल उसी समय तक नहीं बल्कि यह कहा जाता है कि 3–3 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा, आज जब वहाँ पर यह स्थिति हुई कि इसकी विभीषिका से जो वहाँ पर परमाणु विकिरण केन्द्र, जितने भी उनके थे उस पर भी इसका असर पड़ा और इसका भविष्य में कितना असर कब तक रहेगा, वैज्ञानिकों के अनुसार काफी असर हो सकता है। मान्यवर, वही जो 1942 वाली घटना है उसके जो परिणाम निकले थे, शायद उन परिणामों की ओर वहाँ की जनता को फिर गुजरना पड़े यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा सदन में जापान के अंदर घटित पूरी घटना का चित्रण किया गया तो निश्चित रूप से पूरे भारत को इस दुःखद घड़ी में जापान के साथ खड़ा होना चाहिए, यही हमारी परम्परा भी रही है और मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य भी है। मैं आपके माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, इस सदन के सभी साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे जहाँ पूरा भारत खड़ा

है, हम भी खड़े हैं। मान्यवर, जापान में हुई दुर्घटना में हम उनके साथ हैं। मैं एक बार पुनः अपनी ओर से यह विश्वास दिलाते हुए कि देश की सरकार, देश की जनता जो कुछ भी इस त्रासदी में जापान के लिए करना चाहेंगे, उसमें हम भी पीछे नहीं रहेंगे। यही संदेश मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ।

*श्री शहजाद

मानीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः अपने आप को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य श्री दिवाकर भट्ट से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि दिनांक 11 मार्च, 2011 को आये समुद्री भूकम्प से जापान के पूर्वी समुद्री तट पर हुई सुनामी लहरों ने भारी तबाही मचायी है, यह भूकम्प रिक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता वाले भूकम्प का केन्द्र बिन्दु जापान के उत्तर पूर्वी तट से 125 किलोमीटर दूर समुद्र में 10 किलोमीटर गहराई में स्थित था। भूकम्प से पैदा हुई समुद्री लहरों ने जापान के टोक्यो, शंघाई एवं उत्तर पूर्व के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञान कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन जब कुदरत अपना कहर बरपाती है, तो वह किसी भी रूप में हो, तो इसे सहने की शक्ति किसी में भी नहीं है, जब कुदरत चाहती है तो इससे उभार भी बहुत जल्दी मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जापान की सरकार से सहयोग की जो बात कही है, इससे मैं और मेरा दल भी भारत के प्रधानमंत्री जी के पीछे इस मामले में खड़ा है और मैं और मेरा दल जो वहां के 20 हजार के अधिक लोग इस सुनामी में मरे हैं, उनके परिवारों के प्रति, वहाँ की सरकार के प्रति, वहाँ के जनमानस के प्रति और जो भारत के निवासी हैं उनके प्रति एवं जो उत्तराखण्ड के निवासी हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी और माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल द्वारा जो भावनाएँ व्यक्त की गयी हैं, मैं भी अपने आप को उनसे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि निःसंदेह 11 मार्च, 2011 को सुनामी लहरों से जो त्रासदी जापान में आयी है, वह अपने आप में बहुत ही दुःखद है और इससे सम्बन्धित जो भूकम्प और समुद्र की लहर जो 10–10 मीटर ऊँचाई तक उठी और उनसे जो नुकसान हुआ, जिससे वहाँ की सारी व्यवस्था ठप हो गयी। लगभग 20 हजार लोगों के मारे जाने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है। यह अपने आपे में एक ऐसी दुःखद घटना है, शायद इतिहास में हमें ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती हो। इस सम्बन्ध में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लोगों की जो संवेदनाएँ हैं, वह जापान सरकार तक पहुँचाई हैं। इसकी कल्पना हम मात्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतनी से कर सकते हैं कि अभी उत्तराखण्ड में भी जो आपदा आयी थी, उससे भी जितने लोग प्रभावित हुए थे और आज इतने बड़े स्केल पर जापान में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, निःसंदेह यह बहुत दुःखद स्थिति है। माननीय सदस्यों द्वारा यहाँ पर जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से जापान सरकार को इन भावनाओं और संवेदनाओं को प्रेषित कर देंगे। इसके साथ ही गत वर्ष उत्तराखण्ड में भी दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि कृपया खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(दो मिनट का मौन)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

दिनांक 22 मार्च, 2011 को छह विधान सभा सदस्यों के निलम्बन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, कल हमारे माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी, बलबीर सिंह नेगी जी, राजेश जुवांठा जी, मयूख महर जी, गोविन्द सिंह कुन्जवाल जी, महेन्द्र सिंह माहरा जी अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर यहाँ धरने पर बैठे थे। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के लिए नियम, उप–नियम और परम्पराओं के माध्यम से, उनका समाधान करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए निर्मित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग इस सदन के सदस्य, अपने–अपने क्षेत्र की लाखों की तादाद में जनता का विश्वास लेकर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये सदन में आते हैं। मान्यवर, जनता की उम्मीदें हमसे बहुत अधिक होती हैं, हमारी भी कोशिश होती है चाहे हम सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, अपने विधान सभा क्षेत्र के प्रति हम न्याय कर पायें। उनके अधिकारों को, उनके हक की बातों को विभिन्न नियमों के तहत यहाँ पर उठा सकें, उसका समाधान कर सकें और उसके लिये संघर्ष कर सकें। मान्यवर, कभी–कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिये निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ है और वर्ष, 1991 से हमें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड की विधान सभा में आपके साथ काम करने का अवसर मिला है। आपने भी स्वयं महसूस किया होगा, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में और उत्तराखण्ड की विधान सभा में, क्योंकि आपको भी पक्ष में और विपक्ष में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हममें से कई माननीय सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में पक्ष और विपक्ष

की बेंच में बैठने का अवसर मिला है। हमने भी महसूस किया है और आपने भी महसूस किया होगा कि कभी–कभी अपरिहार्य परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जब जनभावना और जनसमस्यायें हमारे जीवन से, नियमों से, परिनियमों से बड़ी हो जाती हैं।

मान्यवर, लोहिया जी ने भी कहा है कि जब देश की बात हो, तब परिवार और व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है। तो मान्यवर, जब क्षेत्र की समस्यायें मुंह खोले खड़ी हों, मुंह फैलाये हों, तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य उन समस्याओं की जटिलताओं को देखते हुये, उन समस्याओं की विस्फोटक और भयंकर स्थिति को देखते हुये, उसके सामने अपने को असहाय महसूस करते हुये, उन समस्याओं के मायाजाल में वशीभूत होकर, नियम और परम्पराओं से हटकर, उस पीड़ा की लय में, उस समस्या के भयंकर जाल में परम्पराओं और नियमों से हट जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ रोज सदन के सम्मुख खड़ी नहीं होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ अपरिहार्य होती हैं, अपवाद स्वरूप होती हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के सदन की स्थिति हो या हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों के सदनों की स्थिति हो, लोक सभा और राज्य सभा में भी नजीरें हैं कि अपरिहार्य परिस्थितियों में, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब–जब माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया, तो देश की लोक सभा हो, राज्य सभा हो या विभिन्न प्रदेशों की विधान सभायें हों। मान्यवर, या अपने उत्तराखण्ड की या उत्तर प्रदेश की विधान सभा हो। सदनों ने हमेशा माननीय सदस्यों के कृत्य को पीछे रखकर, उनके उस कृत्य या उत्तेजना कह सकते हैं या तरीके को कह सकते हैं, अपनी बात को जो कहने का उनका तरीका है या फिर जन समस्याओं के लिए जो उनकी अभिव्यक्ति है, उससे कभी हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कभी नियमों पर खरे उतर सकते हैं, कभी नियम के विरुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सदनों ने सौहार्द और बड़प्पन का परिचय देते हुए माननीय सदस्यों का निलम्बन, यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में हुआ भी है तो उसको निरस्त किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि हमारे जो माननीय सदस्य हैं वो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण या अपने परिवार के स्वार्थ के कारण तो इतने आक्रोशित नहीं हुए, अगर व्यक्तिगत स्वार्थ में उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता तो निश्चित रूप से ये क्षम्य योग्य नहीं था, लेकिन अगर माननीय सदस्यों के द्वारा एक बहुत बड़ी जनभावना के केन्द्र में अगर यह कदम उठाया गया है। हमने आपके विनिश्चय का बहुत आदर और विनम्र शब्दों में स्वागत भी किया है और उस संबंध में आपका निर्णय, आपका विनिश्चय सर्वोपरि भी है। आप हमारे संरक्षक हैं और हमेशा गार्जियन या संरक्षक बड़प्पन दिखाता है और कहा भी गया है "क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घटियो हरि को जो भृगु मारे लात।" माननीय अध्यक्ष जी, बड़प्पन को हमेशा आप जिस पीठ पर बैठे हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान

की कुर्सी पर, पीठ पर बैठे हैं और बड़ी कुर्सी पर बैठकर व्यक्ति का और माननीय अध्यक्ष जी, कभी कुर्सी बड़ी नहीं होती है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कुर्सी पर बैठकर कभी, कुछ लोगों का महत्व कुर्सी के महत्व से ऊपर हो जाता है और मैं आज आपसे यह अपेक्षा करना चाहता हूँ कि जनहित में हमारे माननीय विधायकों के द्वारा जो लोकतांत्रिक तरीके से सदन में अभिव्यक्ति या विरोध किया गया और आपका विनिश्चय उनके निलम्बन के रूप में आया है, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि माननीय विधायकों को क्षमा याचना करते हुए उनका निलम्बन अगर आप वापस करेंगे, निरस्त करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से पीठ के द्वारा एक बहुत अच्छी नजीर दूसरे प्रदेश की विधान सभाओं के लिए बनेगी कि उत्तराखण्ड की विधान सभा में इस तरह की लोकतांत्रिक और बड़प्पन की नजीरें पेश की गयी हैं।

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी कल घटना घटी है, हम–आप सब लोग यहीं थे, क्योंकि आप ही हमारे संरक्षक हैं, गार्जियन हैं। हम विधायकों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो हमारे माननीय 06 विधायकों का निलम्बन 03 दिन के लिए हुआ है, क्योंकि 06 महीने के बाद विधान सभा सत्र हुआ है और 06 महीने के बाद अगला सत्र होगा। क्षेत्र की अनेक समस्यायें विधायकों को आन्दोलित करने के लिए बाध्य करती हैं, वरना किसी भी विधायक की मंशा पीठ के प्रति या किसी के प्रति द्वेष भावना की नहीं है। लेकिन अनेक समस्यायें ऐसी होती हैं जो विधायकों को बार–बार आन्दोलित करती रहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सदाशयता दिखाते हुये माननीय विधायकगणों का निलम्बन रद्द करेंगे। अभी जो दोहा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पढ़ा है वह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्षमा तो बड़े को ही करना पड़ता है, हमारे भाई किशोर, वैसे भी उनका नाम भी किशोर ही है तो उनके उत्पात को तो क्षमा करना ही होगा, ऐसी अपील मेरी है।

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ भी इस सदन में कल–परसों हुआ है उसके बाद जो विनिश्चय आपका आया, मैं उस पर बहुत कुछ कहने से पूर्व इतना जरूर कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को दोहरा कर कहना चाह रहा हूँ। जब समाज के प्रति उत्तरदायित्व किसी के ऊपर होता है तो वह समझता है कि मुझे उस उत्तरदायित्व को निभाना है, तो वह आन्दोलित होता है और वह प्रयास करता है उन तमाम ताकतों को विवश करने के लिए जिनके माध्यम से उसकी वह इच्छा पूरी हो सके, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी आन्दोलनकारी रहा हूँ इसलिए मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उसके लिए वह स्थल कौन सा हो, वह स्थान कौन सा हो, अगर उसकी मर्यादायें, उसकी सीमायें इन तमाम चीजों को देखते हुए, वह अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह निःसंदेह गलत नहीं होता है।

विधान सभा इस राज्य की सर्वोच्च संस्था है, इस राज्य की तमाम जनता के हकहकूक की रक्षा को लेकर, उसके भविष्य को सजाने सँवारने का यह वह स्थान है, यहाँ से कोई भी निर्णय होगा वह पूरे राज्य के निवासियों को प्रभावित करेगा। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर भी कहा है और साथ ही माननीय सदस्यों से अनुरोध भी किया यह परम्परा जो हो रही है, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भी देखा है, उन्होंने इस विधान सभा को देखा है पता नहीं आगे क्या–क्या देखेंगे, क्योंकि उनकी उम्र अभी काफी लम्बी है। हमने तो अभी एक ही विधान सभा को देखा और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो नजीर आप लोगों ने यहाँ पर पेश की उसी का अनुसरण करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इतने अनुभवी लोगों की मौजूदगी में अगर इस तरह की घटनायें होती हैं, पूरे राज्य से संबंधित अगर कोई मसला हो तब भी यह उचित होगा कि हम इस तरह से अपना आन्दोलन का रुख निर्धारित करें, जो उचित हो। मैं यह भी बहुत साफ कहना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा अब फिर कह रहा हूँ, मैं खैट पर्वत पर बैठा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्रीयंत्र पर बैठा हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष जानते हैं। मैं चाहता तो श्रीनगर में गोलाबाजार में बैठ सकता था, जहाँ पर 24 घण्टे लोगों का आवागमन रहता है, बहुत भीड़ होती है। मैं चाहता तो टिहरी में बैठता जिला मुख्यालय में, देहरादून में चाहता तो जिला मुख्यालय में बैठता जहाँ सब लोग मुझे देखते। आखिर वह कारण क्या था कि मुझे श्रीयंत्र पर जाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, उससे पूर्व देहरादून में हमारे कुछ आंदोलनकारी बैठे और वे कचहरी में बैठे और वहाँ पर जो तमाम लोगों की भीड़ होती थी तो अखबार छपता था क्योंकि वह कचहरी है वहाँ पर वकीलों को तो एक बार कचहरी में आना ही है, वहाँ पर भी आ जाते थे तो और अधिक भीड़ बढ़ जाती थी। श्रीनगर में हमारे कुछ लोग बस अड्डे पर बैठे तो वहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब होने लगा, जिससे जनता परेशान होती है आवागमन में बाधा होती है। इस तरह की तमाम घटनायें जो घट रही थी। पौड़ी में आप भी बैठे और हम भी बैठे। पौड़ी के आंदोलन का मैं बहुत अधिक जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों के व्यंग्यात्मक विचार होते थे तो मजबूर होकर हमें उन स्थानों पर जाना पड़ा यह महसूस कराने के लिए कि हम वाकई में उत्तराखण्ड राज्य चाहते हैं, इसके लिए हम अपना सब कुछ खोने को तैयार हैं। इसलिए हम उन स्थानों पर गये जहाँ पर आदमी पहुँच नहीं सकता था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि पुलिस के डर से तो चलिये ठीक है लेकिन वे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह जगह कौन सी जगह थी श्रीयंत्र पर, जहाँ रात को तो छोड़िये दिन में भी लोग खड़े नहीं होते थे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पुलिस गोली मारने वाली थी। कुलदीप बेचारा मर गया, ये बच गये। हमारे आदमी इनको मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गये तो बच गये।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, बैठ जाएँ। वह भी मेरे आदमी थे जो बचाकर ले गये। (हँसी) कोई बात नहीं वह आपके और मेरे आदमी एक ही बात है। चलिये ठीक है। आपने मुझे बचाया। अभी आप यह भी कह रहे थे कि जिसकी परमात्मा रक्षा करता है उसको कोई नहीं मार सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन बस इतना है जैसा कि हमारी बहन अमृता जी ने कहा, बहुत सुंदर उन्होंने कहा लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई बच्चा एक बार गलती करता है तो निश्चित रूप से उसे माफ कर देना चाहिए। दो बार करे तो भी उसे माफ कर देना चाहिए लेकिन यदि उसकी आदत ही पड़ जाए तो इलाज होना ही चाहिए। महाभारत में कुछ विद्वानों ने अपने विचार रखे कि यदि दुर्योधन, जो द्रौपदी का चीर हरण उस सभा में कर रहा था जहाँ बड़े–बड़े महाबली भीष्म पितामह, द्रोण आदि बैठे थे, अगर उन्होंने उस समय उसे रोक लिया होता तो वह महाभारत कभी नहीं होती। (मेजों की थपथपाहट) तो आज यह आवश्यकता पड़ गयी है, हम सब लोगों की इस तरह की महाभारत फिर न हो जाए, कोई बड़ी घटना न हो जाए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ही विवेक पर, आप पर निर्णय छोड़ता हूँ। धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल"निशंक")–

श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव रखा वह काफी गम्भीर और आज की परिस्थितियों में निश्चित रूप से विचारणीय है। श्रीमन्, दोनों पक्षों में विचारणीय है। पहला विषय तो यह है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, यह भी दुखद पक्ष है। पहली बार सम्भवतः निलम्बन की इस ढंग की कार्यवाही हुई और कुल मिलाकर यह घटना बहुत ही दुःखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमन्, आपके सान्निध्य में सदन की कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष–

निलंबन वर्ष, 2008 में भी हुआ था।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, वर्ष, 2005 में भी हुआ था। हम तो चाहते हैं कि अभी यह निलंबन नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन जो घटना घटी वह दुखद हुई। श्रीमन्, यह उत्तराखण्ड के न्याय का सबसे बड़ा मन्दिर है। मान्यवर, विधान सभा की एक–एक गतिविधि पर उत्तराखण्ड का एक–एक बच्चा, एक–एक क्षण देखता है। यह राज्य जिन विषम परिस्थितियों में और जिस संघर्ष के कोख से पैदा हुआ है। हमने देश और दुनिया के

लोगों को तब भी यह कहने की कोशिश की कि हम जिस राज्य को बनाना चाहते हैं, वह भारत का एक मॉडल राज्य होगा, उसकी अपनी कार्य संस्कृति होगी और इसलिए हम सभी सदन के सदस्य इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि हमारी विधान सभा जो उत्तराखण्ड देवभूमि की विधान सभा है। श्रीमन्, विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी इस विधान सभा से कोई ऐसी बात बाहर न निकले जिससे इस राज्य पर धब्बा लगे और इसलिए यह चिन्ता का विषय पूरे सदन का है और हर सदस्य का है। मान्यवर, हमने सरकार की ओर से बार–बार आपसे बहुत ही विनम्रता से अनुरोध किया है कि यह सरकार हर हाल में सदन को चलाना चाहती है। श्रीमन्, हम जानते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। आज कोई इधर बैठा है कल उधर बैठा है, कहीं भी बैठेगा, लेकिन जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुनकर आता है तो जनता की समस्याओं के लिए यही सदन है। जब जनता की समस्याओं को वह सामने रखता है और उन समस्याओं के विषय पर चर्चा होती है और उसके समाधान की कोशिश होती है। लेकिन यह बात भी सही है कि इतना पवित्र स्थान तो धरना स्थल नहीं बन सकता है। मान्यवर, यह चर्चा का स्थान तो हो सकता है, लेकिन यह धरना का स्थान तो नहीं हो सकता है। बातचीत के तहत समस्याओं का समाधान हो सकता है और अपनी बात को रखने का सबको पूरा हक है, लेकिन फिर जवाब को सुनने का और उसके समाधान को हम मिलकर करेंगे। श्रीमन्, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके सान्निध्य में एक–एक मिनट, आपके निर्देशों का यह सरकार पालन करना चाहती है और आगे भी करती रहेगी।

मान्यवर, मैंने कल सुबह नेता प्रतिपक्ष जी से टेलीफोन पर बात की थी और हरक सिंह जी से मैंने अनुरोध भी किया था और हम लोग इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि सदन में चर्चा भी हो जाए और जो नये सदस्य हैं उनको अपनी बात रखने का भी मौका मिल जाए तो अच्छा होता। श्रीमन्, सरकार की जवाबदेही भी बनती है और सरकार जवाब भी देना चाहेगी। इसलिए मैंने उनसे बहुत विनम्रता से अनुरोध किया था और मैं आभारी हूँ नेता प्रतिपक्ष जी का कि उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि हम भी एक बार किशोर भाई से बातचीत कर लेंगे। श्रीमन्, आपसे चर्चा भी हुई थी और हम चाह रहे थे कि एक बार उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन वे सम्भवतः इधर नहीं थे। आपसे भी मेरी बातचीत हुई थी और मैंने आपसे भी अनुरोध किया था कि हम हर हाल में आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं और सदन को भी चलाना चाहते हैं। हर विषय पर बातचीत करना चाहते हैं और हर विषय को व्यवस्थित तरीके से आपसे चर्चा के बाद अन्तिम स्वरूप देना चाहते हैं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के बाद मैंने नेता बसपा माननीय शहजाद जी से भी अनुरोध किया था। जो भी बिन्दु होंगे हम लोग बैठ कर बातचीत कर लेंगे और सदन का समय खराब न हो तो ज्यादा अच्छा होता और मेरी भी चिन्ता रही है और मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूँ कि जो घटना हुई है वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन चलाना हमारी प्रतिबद्धता है। मैं जरूर चाहूँगा श्रीमन्, आपके सान्निध्य में इस पवित्र मंदिर की आस्था

कहीं किसी भी दिशा में कम न हो, इसकी पवित्रता बरकरार रहे। यह पूरा सदन आपके साथ है, आपके निर्देशों के अनुरूप है और मैं केवल सत्ता पक्ष की ओर से ही नहीं बल्कि हम सब लोग श्रीमन्, आपके सानिध्य में यहाँ पर सदन में हैं। इसलिए हम सब आपको आश्वस्त भी करना चाहते हैं श्रीमन्, आपके निर्देश का हर हाल में पालन होगा, जो भी आपका आदेश होगा हम उन आदेशों को, मर्यादाओं को, संसदीय परम्पराओं को बल्कि एक कदम आगे बढ़कर, उत्तराखण्ड की विधान सभा आपके सानिध्य में, एक अच्छा उदाहरण पेश करके श्रीमन, आगे आयेगा और मैं नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमन्, कि वे भी एक बार थोड़ा सा बातचीत कर लें, ताकि आगे से कम से कम इस तरीके की घटनाएँ न हों और जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है मैं बिलकुल सहमत हूँ और मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमन्, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव रखा है उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है श्रीमन्, उस पर विचार कर लिया जाए।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, निश्चित रूप से हम सब लोग चाहते हैं कि इस सदन की परम्परा, इस सदन की मर्यादा जन समस्याओं को उठाते हुये बनी रहे, और मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से, क्यों शहजाद जी, भट्ट जी, आप सत्ता पक्ष में हो लेकिन आपकी ओर से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतना तो अधिकार है ही मेरा आप पर। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारे माननीय सदस्य अपनी बात को रखेंगे। चूँकि जो हमारे पाँच अन्य सदस्य हैं किशोर उपाध्याय जी को छोड़कर उनका तो केवल 5 बजे तक सदन के सत्र तक का धरना था, वो तो अनशन पर नहीं थे वह वैसे ही समाप्त हो गया है। लेकिन माननीय उपाध्याय जी, जो अनशन पर हैं, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनका निलंबन अगर वापस होता है कि वे सदन के परिसर में आमरण अनशन पर या किसी अन्य अनशन पर नहीं बैठेंगे। यह हमारा विधान मण्डल का भी निर्णय है और इस पर हमारी माननीय शहजाद जी से भी बातचीत हुई है, भाई बेनाम से भी और पुष्पेश त्रिपाठी से भी बात हुई है और यह हमने निर्णय लिया है कि हमारा कोई भी सदस्य किसी जन समस्या पर अपने दल की और समस्याओं की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत परिस्थितिवश 'वेल' में तो आयेगा लेकिन आमरण अनशन जैसी और अनशन जैसी स्थिति नहीं पैदा हो, इस तरह का निर्णय हमने लिया है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और हमने अपने माननीय किशोर उपाध्याय जी को, कल ही हमारे कॉंग्रेस विधान मण्डल दल की जो बैठक हुई थी और शहजाद जी से जो बातचीत हुई थी। माननीय आर्य जी ने और हमने माननीय किशोर उपाध्याय जी को यह अवगत करा दिया है कि यह विधान मण्डल दल का निर्णय है, अगर आपका निलंबन वापस होता भी है तो उन परिस्थितियों

में आप विधान सभा के बाहर अनशन करने का, पूरे प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है अनशन करें, प्रदर्शन करें अपनी मॉगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं, वह एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम सदन सुचारू रूप से चले इसके लिए सदन के 'वेल' में कोई आमरण अनशन और अनशन जैसी स्थिति नहीं होगी चाहिए यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ।

विधान सभा सदस्यों के निलम्बन का असमाप्त भाग निरस्त करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री राजेश जुवॉठा एवं श्री मयूख महर के निलम्बन का असमाप्त भाग निरस्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2009 10 के वार्षिक लेखा विवरण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2009–10 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री तस्लीम अहमद जी की पहली सूचना है, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद एवं श्री हरिदास तथा तीसरी सूचना श्री रणजीत रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा तथा श्री प्रीतम सिंह की सूचना प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से अटल खाद्यान्न योजना के सम्बंध में श्री नारायण पाल आदि की सूचना को नियम–58 में सुन लूँगा और शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' पर आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2009–10) का द्वितीय प्रतिवेदन

*सभापति (श्री सुरेश चन्द जैन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2009–10) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी 'वेल' से अपने स्थान पर चले गये)

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009–10) का ग्यारहवां प्रतिवेदन

सभापति (*श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009–10) का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी पुनः 'वेल' से आकर खड़े हो गये।)

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का सोलहवां प्रतिवेदन

सभापति (श्री प्रेमानन्द महाजन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का सत्रहवां प्रतिवेदन

सभापति (श्री प्रेमानन्द महाजन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन

सभापति (श्री प्रेमानन्द महाजन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री जीत सिंह गुनसोला जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' से अपने–अपने स्थान पर चले गये और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता दल श्री शहजाद एवं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल तथा श्री हरिदास पूर्ववत् 'वेल' में खड़े थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद हरिद्वार के रुड़की विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुड़की शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने के संबंध में याचिका

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ''जनपद हरिद्वार के रुड़की विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुड़की शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मुकेश धीमान, निवासी–108 सत्ती स्ट्रीट रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री खड़क सिंह बोहरा, सदस्य विधान सभा द्वारा परिवहन मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री खड़क सिंह बोहरा, माननीय सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2010 द्वारा यह अभिसूचित किया कि भारत सरकार ने उत्तराखण्ड के तीन शहरों नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) के अन्तर्गत चयनित किया। इस योजना की नोडल एजेन्सी नगर पालिका परिषद् तथा नगर निगम को बनाया गया था। राज्य स्तर पर श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक राज्य समिति गठित की गयी है, जिसमें इन नगर क्षेत्रों के सभी सम्मानित विधायकों को भी नगर पालिका तथा राज्य स्तर पर पदेन सदस्य बनाया गया। इस योजना के अन्तर्गत नैनीताल नगर के विकास के लिए कई योजनाओं के प्रस्ताव किये गये तथा इनमें से एक नैनीताल नगर तथा आस–पास के क्षेत्र की जनता की सुविधा

के लिए 25 सिटी बसें खरीदने का प्रस्ताव किया गया। जिसका अनुमोदन राज्य समिति द्वारा किया गया तथा इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार इन स्वीकृत सिटी बसों का संचालन नगर पालिका नैनीताल से करीब 40 कि0मी0 के दायरे में किया जाना था, इनके संचालन की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम को दी गयी।

उत्तराखण्ड राज्य के परिवहन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2010 को इनका लोकार्पण नैनीताल से करीब 35–40 कि0मी0 दूर काठगोदाम हल्द्वानी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत काठगोदाम डिपो में श्री बंशीधर भगत, माननीय परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन से कराया गया तथा इस लोकार्पण समारोह की न तो उनको कोई जानकारी दी गयी और न ही नगर पालिका परिषद नैनीताल को इसकी कोई सूचना दी गयी। उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा ऐसा कृत्य करके उनके विशेषाधिकार का हनन किया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में माननीय परिवहन मंत्री द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दिनांक 10 अप्रैल, 2010 को प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम से आख्या प्राप्त की गयी, आख्या में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) नैनीताल श्री मुकेश सिंह के अनुसार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों का मेन्टेनैन्स कार्य काठगोदाम डिपो में होना सुनिश्चित कराया गया था। इसी कारण से इन बसों के संचालन का उद्‌घाटन हल्द्वानी बस अड्‌डे से किया गया। उद्‌घाटन की सूचना जिलाधिकारी, नैनीताल को दी गयी थी परन्तु अनभिज्ञता के कारण श्री खड़क सिंह बोहरा, सदस्य विधान सभा को आमंत्रित नहीं किया जा सका। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा श्री मुकेश सिंह को उक्त कृत्य के लिए भविष्य हेतु सचेत कर दिया गया है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा मा0 विधायक से खेद प्रकट करते हुए श्री मुकेश सिंह को क्षमा करने का अनुरोध किया गया तथा माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय सदस्य से परिवहन निगम की ओर से दिनांक 08 सितम्बर, 2009 को खेद प्रकट किया गया।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना तथा माननीय परिवहन मंत्री के अभिकथन के दृष्टिगत प्रश्नगत विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है और तद्‌नुसार मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। (व्यवधान)

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री नारायण पाल अपने स्थान पर चले गये एवं अन्य माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े थे।)

श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा शिक्षा मंत्री एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा यह अभिसूचित किया कि दिनांक 14 फरवरी, 2009 को माननीय शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जनता दरबार का आयोजन जिला प्रशासन/जिला अधिकारी द्वारा सरकारी खर्चे पर सरकारी कार्यक्रम के रूप में आर0एन0आई0 इण्टर कॉलेज, भगवानपुर में आयोजित किया गया, जिसका प्रचार दैनिक पत्रों में भी किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से ए0डी0एम0 हरिद्वार एवं अन्य जिला एवं तहसील स्तर से समस्त अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें जनता की समस्याओं का निदान किया गया। (बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश वेल में खड़े थे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री के निर्देश पर सरकारी कार्यक्रम की सूचना जिलाधिकारी/जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नहीं दी गयी। कार्यक्रम की उन्हें सूचना न देने के कारण वे सरकारी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके। माननीय सदस्य का कथन है कि जनता यहाँ तक कह रही है कि क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण न करने के कारण कार्यक्रम में नहीं आये। जबकि यह सब गलती माननीय मंत्री जी के निर्देश पर जिलाधिकारी/जिला प्रशासन की है और गलती का खामियाजा उन्हें क्षेत्रीय जनता में भुगतना पड़ रहा है। माननीय सदस्य का कथन है कि मा0 मंत्री जी के निर्देश पर जिलाधिकारी/जिला प्रशासन ने उनकी मानहानि की है। जिससे उन्हें बहुत भारी आघात लगा है। इस प्रकार से माननीय मंत्री जी अन्य कार्यक्रमों में भी क्षेत्रीय विधायकों की मानहानि कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है। इसलिए मा0 मंत्री जी एवं जिलाधिकारी के खिलाफ मानहानि एवं विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपर्युक्त सूचना के संबंध में माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2011 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद हरिद्वार अन्तर्गत आर.एन.आई. इण्टर कॉलेज, भगवानपुर में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम की सूचना माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र राकेश जी को न दिए जाने के प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0गर्ग को अपने दायित्वों का सही उत्तर निर्वहन न करने के कारण भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

उपर्युक्त सूचना के संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2009 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि

मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2009 द्वारा समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 11 फरवरी, 2009 से दिनांक 17 फरवरी, 2009 के मध्य "सरकार जनता के द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत मा0 मंत्रीगण द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनता खुलकर अपनी बात माननीय मंत्रीगण के समक्ष रख सके तथा माननीय मंत्रीगण के जनपद भ्रमण कार्यक्रम की प्रति संलग्न कर विभागीय सूचनाओं सहित स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे तथा उक्त पत्र की प्रति समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित निर्धारित कार्यक्रमानुसार स्थल पर उपस्थित रहने तथा कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित की गयी तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उप जिलाधिकारी हरिद्वार/रुड़की/लक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

जिलाधिकारी हरिद्वार का कथन है कि माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक के 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम का आयोजन आर0एन0आई0 इन्टर कॉलेज, भगवानपुर में किये जाने की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार विकास खण्ड स्तरीय क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कराया गया था परन्तु माननीय विधायक भगवानपुर को इस कार्यक्रम की सूचना विशिष्ट रूप से खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर द्वारा नहीं दी गयी। यद्यपि मा0 विधायक भगवानपुर को विशिष्ट रूप से सूचना प्रेषित नहीं की गई है, परन्तु मा0 मंत्रीगण के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कराया गया था। उल्लेख किया गया है कि जनपद स्तर पर जो भी सार्वजनिक समारोह आयोजित किये जाते हैं, उनमें संबंधित क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हेतु विशेष ध्यान रखा जाता है तथा भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान रखा जायेगा कि जनपद में होने वाले सार्वजनिक समारोह में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हेतु आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाए। इस हेतु सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि उनके द्वारा माननीय विधायक को विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया गया है, इसलिए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को भविष्य हेतु चेतावनी निर्गत कर दी गयी है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी तथा भविष्य के लिए दिये गये आश्वासन के आलोक में एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0गर्ग को अपने दायित्वों का सही निर्वहन न करने के कारण भविष्य के लिए सचेत कर दिये जाने के फलस्वरूप मैं उक्त सूचना को मानहानि एवं विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रथम अवसर था। उन्हें सचेत कर दिया गया। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, चेतावनी भी दण्ड ही है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो उचित नहीं है, यह तो पीठ पर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाने के इच्छुक नहीं हैं तो उनकी किसी बात का संज्ञान न लिया जाए। मैंने पहले भी इसके लिये अनुरोध किया था कि कृपया अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान) इसके साथ ही मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब सदन में अपनी बात को रखें तो सही भाषा का ध्यान रखें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रभारी मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 द्वारा यह अभिसूचित किया कि दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को जिला ऊधमसिंह नगर के प्रभारी मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल जी द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर की जिला योजना की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। इस बैठक की सूचना जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के किसी जन प्रतिनिधि सदस्य को नहीं दी गयी। प्रभारी मंत्री द्वारा समय–समय पर अधिकारियों को बुलाकर जिला योजना की समीक्षा की जाती रही है, परन्तु ऐसी बैठकों की जिले के विधायकों और सांसद को भी सूचना दी जाती है। उन्हें उक्त बैठक की कोई सूचना नहीं थी। इस बैठक में जिले के एक विधायक व भा0ज0पा0 के संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति से प्रभारी मंत्री द्वारा जिले के जन प्रतिनिधियों की अनदेखी की गयी है। जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति एक संवैधानिक समिति है और इसके जनप्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं ब्लॉक

प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। कोई भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी इसका सदस्य नहीं होता है। जिला प्रभारी मंत्री के इस कृत्य द्वारा जिले के जन प्रतिनिधियों की अवमानना हुई है और संविधान के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थाओं का उल्लंघन हुआ है। इसलिए प्रभारी मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल के खिलाफ अवमानना की सूचना दी गई।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपर्युक्त सूचना के संबंध में जिला ऊधमसिंह नगर के प्रभारी मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल जी ने अपने पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि उक्त दिवस को उनके द्वारा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं बुलाई गयी थी बल्कि उसके स्थान पर विभागीय अधिकारियों के साथ मात्र समीक्षा बैठक की गयी थी। अवगत कराया गया है कि जनप्रतिनिधिगणों को बैठकों की सूचना संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से दी जाती है। श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव, कार्मिक अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन ने उपरोक्त के संबंध में अवगत कराया है कि मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे।..........

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जिसमें केवल विभागीय अधिकारियों को ही उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा आमंत्रित किया गया था तथा मा0 प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को सम्पन्न हुई जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में मा0 सांसद सहित सभी संबंधित विधायकों को आमंत्रित किया गया था। डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, मा0 विधायक जसपुर भी उक्त बैठक में उपस्थित रहे। डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा, तत्कालीन माननीय परिवहन मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री ऊधमसिंह नगर एवं अपर सचिव, कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराई गयी वस्तुस्थिति की जानकारी के फलस्वरूप मैं उक्त सूचना को अवमानना के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ज्वलन्त मुद्दा है जो गरीब किसान है, जो मजदूर है दलित है, असहाय है, उनकी समस्याओं से संबंधित मुद्दा है माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आज तो नहीं हो सकता है, विनिश्चय आ चुका है।

श्री शहजाद—

मान्यवर, गरीब की बात हम इस सदन में नहीं कह सकते (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नहीं, गरीब की बात सबसे पहले सुनी जाती है।

श्री शहजाद—

तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है। (तत्पश्चात् श्री शहजाद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग कर चले गये।)

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2011 की बैठक में दिनांक 23 मार्च से दिनांक 24 मार्च, 2011 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है.—

मार्च, 2011
23 बुधवार

वित्तीय वर्ष, 2011–12 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
4. उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

मार्च, 2011
24 गुरुवार

वित्तीय वर्ष, 2011–12 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(सदन का परित्याग कर बाहर गये माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर आकर बैठ गये।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम—58 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें 1—हाजी तस्लीम अहमद, 2—चौ0 यशवीर सिंह, 3—श्री केदार सिंह रावत, 4—श्री तिलक राज बेहड़, श्री गोपाल सिंह राणा तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 5—श्री यशपाल बेनाम, 6—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा श्री जोत सिंह गुनसोला, 7—श्री दिनेश अग्रवाल, 8—डा0 हरक सिंह रावत, 9—श्री गोपाल सिंह राणा, 10—श्रीमती अमृता रावत, 11—श्री सुरेन्द्र राकेश, 12—श्री नारायण पाल तथा 13—श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1—चौ0 यशवीर सिंह, 2—श्री केदार सिंह रावत, 3—श्री तिलक राज बेहड़, श्री गोपाल सिंह राणा तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 4—श्री दिनेश अग्रवाल तथा 5—श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचनाओं को नियम—58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री अध्यक्ष—

चौ0 यशवीर सिंह जी, कृपया ग्राह्यता पर अपने विचार रखें।

***श्री सुरेन्द्र राकेश**—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना नहीं ली गई, नियम—58 में देता हूँ तो तब भी नहीं आती है, नियम—310 में देता हूँ तो तब भी नहीं आती है और नियम—53 में देता हूँ तो तब भी नहीं ली जाती है, कौन सी परिधि है जिसमें देनी चाहिए। रुड़की में तहसीलदार द्वारा फर्जी प्रमाण—पत्र बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

यह सूचना नहीं ली जायेगी तो कौन सी सूचना ली जायेगी। मैं दो बार सूचना दे चुका हूँ, इसको सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, तहसीलदार द्वारा फर्जी प्रमाण—पत्र बनाये जा रहे हैं। इससे बड़ी तात्कालिक घटना और क्या हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना को ले लिया जाय। फर्जी प्रमाण—पत्र द्वारा नौकरियाँ प्राप्त की जा रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। (घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री0 महावीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। यह अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है। क्योंकि इसमें वे छात्र एवं छात्राएं हैं, जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 की परीक्षा पास की है, ये उनके भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने आग्रह किया था सरकार से, कि उन्हें बी0टी0सी0 कोर्स में प्रवेश दिया जाए। उनकी बात को सुनकर दिनांक 12.12.2006 को सरकार ने एक शासनादेश पारित किया जिसमें व्यवस्था दी गई उन छात्र व छात्राओं के लिए, जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 की परीक्षा पास की हो उन्हें बी0टी0सी0 कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1994 तक लागू रही परन्तु 1994–95 व 1995–96 के छात्र व छात्राओं को यह सुविधा प्राप्त नहीं करायी गई। जब कि अन्य जिलों में यह सुविधा बरकरार है और उन छात्रों को नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है। इससे परेशान होकर ये छात्र–छात्राएं माननीय हाई कोर्ट की शरण में गये और वहाँ दो माननीय न्यायाधीशों ने उनकी बात को सुना और उनके पक्ष में 8.12.2010 को निर्णय दिया। मेरे पास निर्णय की प्रति भी है। जिसमें निर्णय दिया गया कि उन्हें नियुक्ति का आदेश दिया जाए। मान्यवर, तीन–चार साल बीत चुके हैं, कोर्ट का आदेश अपनी जगह है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार को भी कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार उनके भविष्य को देखते हुए इस ओर अवश्य ही ध्यान देगी।

*शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, शासनादेश संख्या–448/XXIV(1)2006–45/2004, दिनांक 13.06.2006 द्वारा राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु 4895 पद स्वीकृत किये गये। प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए केवल संस्थागत उपाधिधारकों को मान्य किया गया। तत्पश्चात शासनादेश संख्या–597/XXIV(1)2006–45/2004, दिनांक 06.07.2006 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के लिए 53 सीटें अतिरिक्त निर्धारित की गई। इस प्रकार कुल 4965 सीटें संस्थागत अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित की गई। शासनादेश संख्या–884/XXIV(1)2006–45/2004,दिनांक 18.10.2006 द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया में पत्राचार उपाधिधारकों को भी उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाओं के अन्तिम आदेश के निर्णयाधीन के प्रतिबंध के साथ आवेदन अनुमति प्रदान की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्राचार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाधिधारकों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात् 19.07.2007 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। शासनादेश संख्या–1013/XXIV(1)2007–15/2004, दिनांक 12.12.2007 द्वारा पत्राचार उपाधिधारकों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु वर्ष, 2007–08 में जनपदवार, आवंटित सीटों के सापेक्ष मेरिट सूची में चयनित हेतु स्थान पाने वाले संस्थागत अभ्यर्थियों को प्रभावित किये बिना मेरिट सूची में चयन हेतु स्थान पाने वाले पत्राचार माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु वर्ष, 2007–08 के लिए चयनित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्णय के अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों में पत्राचार बी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु 561 सीटों की पृथक से व्यवस्था की गई जिसमें जनपद हरिद्वार को 161 सीटें आवंटित हैं। उपरोक्त चयन का आधार प्रशिक्षण वर्ष की श्रेष्ठता एवं योग्यता थी। इसलिए निर्धारित सीटों के सापेक्ष उसी आधार पर वर्षवार श्रेष्ठता एवं योग्यता थी। इसलिए निर्धारित सीटों के सापेक्ष वर्षवार श्रेष्ठतानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। यह भी अवगत कराना है कि जनपदों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उपलब्धता में कमी अथवा अधिकता के कारण जनपदों में चयन वर्ष में भिन्नता होना स्वाभाविक है तथा एक ही जनपद में विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर के चयन में अन्तर हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, नियमित बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता किये जाने से प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नियमित बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार कर धरने के माध्यम से आन्दोलन किया जा रहा है। अब तो देहरादून में विधान सभा के बाहर इनका आंदोलन प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान प्रशिक्षण सत्र की विज्ञप्ति की प्रवेश परीक्षा शासनादेश संख्या–66/XXIV(1) 2005–2006 के अनुसार आयोजित की गई थी। यह प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त, 2009 को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्पन्न हुई जिसका परिणाम दिनांक 17.09.2009 को घोषित किया गया किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 26 अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, जो वर्तमान नियमित बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण सत्र चल रहा है, जिसके लिए प्रशिक्षु जिम्मेदार न होकर विभाग एवं सरकार जिम्मेदार है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य नोटिस पढ रहे हैं, नोटिस तो आपको दे रखी है, यह प्रक्रिया नहीं है। मान्यवर, उसकी ग्राह्यता पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, जो वर्तमान में नियमित बी0टी0सी0 प्रशिक्षण चल रहा है। इसकी प्रवेश परीक्षा का दिनांक 17.09.2009 को रिजल्ट घोषित हो गया था और 23 अगस्त, 2009 को यह परीक्षा हो गयी थी और जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वह इससे भी विलम्ब 26 अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ किया गया। मान्यवर, जो टी0ई0टी0 की अनिवार्यता की गयी है वह केन्द्र सरकार की दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के तहत है। मान्यवर, यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इस पर अनिवार्यता लागू नहीं की जानी चाहिए। मान्यवर, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग संख्या–3 खण्ड–1 दिनांक 25 अगस्त, 2010 के पृष्ठ–5 पर अंकित बिन्दु संख्या–5 में भी यह उल्लिखित किया गया है। यदि सरकारों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में नियुक्तियाँ विनियम, 2001 के अनुसार ही की जाएं। मान्यवर, जो नियुक्ति बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम की विज्ञप्ति है, वह शासनादेश वर्ष, 2005–2006 के अनुसार दिनांक 23 अगस्त, 2009 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी। जिसके तहत यह चयन वर्ष, 2009 में कर दिया गया और प्रशिक्षण दिनांक 26 अप्रैल, 2010 में प्रारम्भ कर दिया गया। मान्यवर, जो अध्यापक चयन की प्रक्रिया है यह विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से ही शुरू की गयी है। एक तो इस पर लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत भी खण्ड–5 के धारा 5.1.2 के खण्ड–ख है, उसके अनुसार राज्य सरकार को इसमें छूट के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि दिनांक 31 मार्च, 2011 के पूर्व तक और उसमें छूट का भी प्राविधान किया गया है और छूट ली जा सकती है। मान्यवर, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। उन प्रशिक्षुओं के भविष्य को लेकर है और पूरे पठन–पाठन और पूरे शिक्षा जगत के लिए भी है। मान्यवर, इस पर सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को गंभीरता से परशमू करके यदि छूट ली जा सकती है तो मान्यवर, क्या सरकार उसमें छूट लेने की कार्यवाही 31 मार्च, 2011 से पूर्व करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट:-

माननीय अध्यक्ष जी, बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बिन्दु संख्या-23(1) के अनुसार, जिसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह 23(1) में है। उसमें यह कहा गया है कि पाँच एकल बच्चों को विद्यालय में ट्रांसफर करना है। मान्यवर, 23(2) के अनुसार जिस राज्य में अगर कोई ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं हैं जो ट्रेनिंग करा पाते हैं और न ही उचित संख्या में प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार ने व्यवस्था की है कि उनको तत्काल नियुक्ति दी जाए और पाँच साल के अन्दर उनको ट्रेनिंग करायी जाए और उस ट्रेनिंग के बाद उनको टी0ई0टी0 करायी जाए और जब वे टी0ई0टी0 कर लेंगे तो वह फिर अध्यापक के लिए पात्र होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भ्रम की स्थिति बनी है वह बी0टी0सी0 के पद नाम को लेकर बनी है और बी0टी0सी0 की नियुक्ति जारी नहीं हुई थी। मान्यवर, वर्ष, 2005 में तत्कालीन सरकार ने एडसिल को इसकी नियुक्ति करने का अधिकार दिया था उससे कहा था कि आप इसकी परीक्षा कराएं और किसी कारण से वर्ष, 2005 में तत्कालीन सरकार द्वारा घोषित उस संस्था ने कोई भी नियुक्ति नहीं करायी।

श्री केदार सिंह रावत:-

मान्यवर, प्रक्रिया तो प्रारम्भ हो गयी नियुक्ति की।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट:-

मान्यवर, जो बी0टी0सी0 है उसकी नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी, वह बेसिक टीचर सर्टिफिकेट की हुई थी जिस प्रकार बी0एड0 है। वह भी एक सर्टिफिकेट है, एक डिप्लोमा है, डिग्री है। बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है, वह एक प्राईमरी बेसिक के टीचिंग के लिए है। उस सर्टिफिकेट को अधिकृत माना गया है। और एन0सी0टी0ई0 ने मान्यता दी है लेकिन हम लोग उसमें करते क्या हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसमें भ्रम की स्थिति है कि हमेशा बी0टी0सी0 एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसको हम उन पदों के अगेंस्ट उतने ही लोगों को कराते हैं, परम्परा बनी हुई है। इस कारण से यह सर्टिफिकेट हमने करा दिया लेकिन उस समय के नियुक्ति का आदेश भी मैंने मंगवा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उस नियुक्ति की जो विज्ञप्ति निकली है उसमें केवल बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग की विज्ञप्ति निकली है न कि नियुक्ति की। अगर नियुक्ति की विज्ञप्ति होती तो निश्चित रूप से इन पर टीईटी लागू नहीं होता। मान्यवर, आगे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 8/2010 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1-5 और 6-8 में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं हो सकती है।

मान्यवर, मैंने कल भी एक अन्य विषय पर इसका संदर्भ लिया था और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन एण्ड लिट्रेसी, भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ और जिसमें कहा है क्योंकि पहले वर्ष, 2009 में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ और शिक्षा के अधिकार लागू होते ही सरकार ने कहा कि एन0सी0टी0ई0 (नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन) शिक्षकों के पात्रता के मानक बनाए जाएं और जब एन0सी0टी0ई0 ने शिक्षकों के पात्रता के मानक बनाए तो अंतिम रूप में अन्य जगहों से क्वैरी आई कि क्या हमको टीईटी कराना आवश्यक है ? क्या टीईटी जरूरी है ? एक उत्तराखण्ड राज्य ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों से जब केन्द्र सरकार पर और एन0सी0टी0ई0 पर प्रश्न किये गये तो उन्होंने एक परिपत्र जारी किया कि केन्द्र सरकार द्वारा टीईटी में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। मान्यवर, उत्तराखण्ड की सरकार इनके प्रति कितनी संवेदनशील है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मान्यवर, 2 नवम्बर, 2010 को सचिव, शिक्षा ने एन0सी0टी0ई0 के जो सदस्य हैं श्री विक्रम जी को पत्र लिखकर निवेदन किया कि उत्तराखण्ड राज्य में बहुत से लोग पहले से जो बी0टी0सी0 कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने निवेदन किया कि इसमें केन्द्र सरकार हमको छूट दे दे। केन्द्र सरकार ने कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। एन0सी0टी0ई0 के चेयरमैन से मैंने स्वयं वार्ता की उन्होंने कहा कि इसमें हम नहीं दे सकते हैं। ये हार्ड एण्ड फास्ट है। उसके पश्चात उत्तराखण्ड शासन का ही पत्र 14 जनवरी, 2010 को एन0सी0टी0ई0 के चेयरमैन को गया कि इसमें छूट दी जाए लेकिन मान्यवर, अभी तक इसमें छूट तो छोड़िये जवाब तक नहीं आया। मान्यवर, उसके पश्चात 1 मार्च, 2011 को मैंने स्वयं अध्यक्ष जी को पत्र लिखा और मैंने भी उनसे आग्रह किया कि इसमें छूट दी जाए और हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि केन्द्र हमको छूट दे, जिससे हम इन बच्चों के भविष्य के प्रति कुछ न कुछ करें। मान्यवर, यह सरकार इतनी संवेदनशील है कि आज भी हम इसका द्वितीय परीक्षण करा रहे हैं कि अगर कोई गुंजाइश बचेगी, सरकार इनके लिए करेगी। मान्यवर, जहाँ तक प्रश्न है कि सरकार की लापरवाही से इन सबको स्थान नहीं मिला तो मान्यवर, वर्ष 2005 में जारी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा की जिम्मेदारी एडसिल संस्था को दी गयी और एडसिल संस्था को वर्ष, 2008 से लगातार कहा गया कि बी0टी0सी0 की आप परीक्षा करा दें और वह संस्था इनकी परीक्षा कराने में असफल रही। मान्यवर, जारी अधिसूचना के प्राविधानों का पश्चात्‌गामी होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उक्त प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति पर दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद ही विचार सम्भव है। यद्यपि इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के वैधानिक पक्ष पर विचार किये जाने हेतु न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बिन्दु संख्या–23–2 के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट हेतु तभी आवेदन किया जा सकता है, यदि राज्य में पर्याप्त संख्या में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी

उपलब्ध न हो, जबकि राज्य में वर्तमान में एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिनांक 23.08.2010 को जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या–3 (क) एवं (ख) में निर्धारित योग्यता के अनुसार तात्कालिक व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में शर्तधारी प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। मान्यवर, 60–70 हजार बी0एड0 प्रशिक्षक हमारे यहाँ हैं, यह तो उन राज्यों के लिए है जहाँ पर किसी ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वहाँ की राज्य सरकार उनको छूट देगी और उनको अनट्रेंड टीचर के रूप में 5 हजार का मानदेय निर्धारित किया है केन्द्र सरकार ने, वह उनको मिलेगा और 5 साल के अन्तर्गत टीईटी क्वालीफाई करके सहायक अध्यापक प्राइमरी होंगे। मान्यवर, परीक्षा में छूट देने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार इसमें बहुत भ्रामक प्रत्युत्तर दे रही है, एक ओर न्याय और विधि से परामर्श की बात कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, वर्ष, 2010 से पहले यह लागू नहीं हुआ था, (व्यवधान) यह 13 सौ प्रशिक्षितों के भविष्य का मामला है और सरकार गम्भीर नहीं है, इसका परीक्षण करवा लिया जाए, यह मैं माननीय पीठ से अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री केदार सिंह रावत जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी, आपने 2 सूचनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं और मैंने जो आपको अनुमति दी है, जो माननीय श्री तिलक राज बेहड़, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल और श्री गोपाल सिंह राणा जी के हस्ताक्षर हैं तो आप इसी सूचना पर बोलें, दूसरी सूचना पर आप नहीं बोलेंगे।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी पर बोलूँगा। मान्यवर, आपने नियम–58 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी, धन्यवाद और मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद ऊधमसिंहनगर के गूलरभोज क्षेत्र में सन् 1971 में हरिपुरा जलाशय का कार्य प्रारम्भ हुआ था। जलाशय के निर्माण में कोपाबसन्ता, कोपा कृपाली, कोपा लाल सिंह, कोपा सिगनल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छिद्दा गाँव के लगभग 500 किसानों की लगभग 1243 एकड़ भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। इस जलाशय हेतु, किसानों के विस्थापन हेतु वन विभाग से 2781 एकड़ भूमि वर्ष, 1967 में पाँच लाख दो सौ रुपये में सिंचाई विभाग ने ली थी। उपरोक्त भूमि में से 1515 एकड़ भूमि पर जलाशय का निर्माण किया गया था। वर्ष, 1972 में वन विभाग से ली गई भूमि में से 685 एकड़ भूमि किसानों को आवंटित की गयी थी। जिसमें से लगभग 30 एकड़ भूमि को वर्ष, 1972 में बाजार हेतु आवंटित किया गया था, जिसमें से विस्थापितों, भूमिहीनों व प्रतिष्ठानों हेतु आवास, दुकान एवं अन्य संस्थाओं आदि को दी गयी थी। जिसमें से लगभग 500 परिवार, 150 दुकानें, पुलिस चौकी, अस्पताल, मंडी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें, गाँधी आश्रम, बैंक, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज आदि कई संस्थायें चल रही हैं और बरसों से चल रही हैं, पूरा बाजार लगा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा 28 मार्च, 2011 को उक्त बसे हुये परिवारों को एवं संस्थाओं को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। इनको हटाये जाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल के साथ बुलडोजरों आदि की सहायता भी लेने की तैयारी की जा रही है। यदि जिला प्रशासन की हठधर्मिता से तोड़ा जाए या मान्यवर, यदि इनको हटाया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे, ये लोग घर से बेघर हो जायेंगे, इनका आशियाना छिन जायेगा, इनको रोजी-रोटी के लाले पड़ जायेंगे। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर जो पक्के भवन बने हुए हैं, बैंक हैं और जो बाजार हैं, यदि इनको तोड़ा जाता है तो उनको मुआवजा दिया जाए और जो इनसे भूमि ली गयी है, इसके पट्टे बना दिये जाएं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय गोपाल राणा जी ने जो विषय उठाया है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह विषय मान्यवर, सिर्फ गूलरभोज का ही नहीं है, यह जो तमाम जलाशय जो तराई के एरिया में हैं, उनसे सम्बन्धित है। मान्यवर, सन् 1960 से 1970 के दशक में यह भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, ऐसी भूमि तोमडिया डेम में की गयी और अन्य डेमों में भी की गयी और वहाँ पर उन किसानों को उसके एवज में दूसरी जमीनें दी गयी जो उस समय वन भूमि थी, वह सिंचाई विभाग ने ली और जब सिंचाई विभाग से भूमि मिल गयी और पट्टे भी मिल गये चाहे वह किसी अज्ञानता के कारण या अन्य किन्हीं कारण से, ऐसे मामले लम्बित रहे। मान्यवर, खसरे खतौनी में, राजस्व में उनके पट्टों को रेगुलराइज नहीं किया गया। मान्यवर, वर्ष, 1980 में वन भूमि अधिनियम लागू हुआ तो जितनी भी ऐसी भूमि थी वह वन विभाग में ही दर्ज रह गयी। मान्यवर, गूलर भोज में वर्ष, 1967 में सिंचाई विभाग द्वारा वन विभाग को जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, वह रू0 556200 सिंचाई विभाग ने वन विभाग को

दिया। यानी कि उसका पूरा का पूरा मुआवजा सिंचाई विभाग ने दे दिया और कमी यह रह गयी कि वर्ष, 1980 में जब यह वन अधिनियम लागू हुआ, तब वह जमीनें वन भूमि के नाम पर ही रह गयी। मान्यवर, एक पी0आई0एल0 पड़ती है और उसमें सरकारों द्वारा उसे गम्भीरता से नहीं लिया गया। मान्यवर, ऐसा ही मामला मेरे क्षेत्र में सबका का है और वहाँ पर हमने प्रदेश सरकार से बार–बार आग्रह करके पूरा का पूरा प्रकरण केन्द्र सरकार को भिजवाया। सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी, जो इसमें अधिकृत है, उसमें इस मामले को भिजवाया गया, वहाँ पर अभी यह मामला विचाराधीन है। वहाँ के लोग बचे हुए हैं और अभी भी उन्होंने अपनी जमीन दी और उन्हें दूसरी जमीन मिली है, वह वन के नाम ही है इनके नाम अभी तक जमीन स्थानान्तरित नहीं की गयी है मान्यवर, सरकार द्वारा तो यह किया जाना चाहिए था कि इस पूरे के पूरे प्रकरण को पहले ही भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी को भेजा जाना चाहिए था। इसकी एक प्रक्रिया है न तो सरकार ने इसकी प्रक्रिया को अपनाया।

मान्यवर, दूसरा तरीका यह है कि सन् 2006 में भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम लागू हुआ और इस अधिनियम के अंदर एक पैरा यह भी है कि अगर विकास कार्यों के लिए भूमि ली जाती है, तो वह भूमि यदि स्थानान्तरित की जायेगी तो वह भूमि उनके नाम कर दी जायेगी। मान्यवर, यह व्यवस्था वर्ष, 2006 के अधिनियम में है और यहाँ पर यही प्रकरण है कि लोगों से जमीनें ली गयी विकास कार्यों के लिए और एक जलाशय बना। मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है, क्योंकि यह पूरे तराई के मामले हैं और इसमें सरकार को कहीं न कहीं एक नीतिगत फैसला भी लेना होगा। मान्यवर, वर्ष, 2006 के वन अधिनियम (परम्परागत वनवासी अधिनियम) के अन्तर्गत यह पूरे के पूरे तमाम जलाशय हैं उसका मामला केन्द्र सरकार को इसके अन्तर्गत लेना चाहिए चूँकि यह भूमि जो लोगों की राजस्व भूमि थी वह अधिग्रहीत की गयी उनको दूसरी जगह बसाया गया, पर उनको राइट्स नहीं मिले। या तो इसके अन्तर्गत लिये जाएं या तो जैसे हमारा सबका मामला गया है, जैसे पूर्व प्रदेश सरकार ने एक पूरा का पूरा केस बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा, वह केन्द्र सरकार में विचाराधीन है। मान्यवर, अगर इस तरीके से इन चीजों को सरकार गम्भीरता से लेती तो आज यह स्थिति न बनती। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इसमें अभी भी समय है हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं, सरकार जा सकती है और वहाँ पर यह कहे कि इस तरह से ये मामले रहे, इनकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं हुई। अब हम इस तरह से दोबारा इनका परीक्षण करके इस अधिनियम के अन्तर्गत इसको करना चाहते हैं सरकार अपनी मंशा जाहिर करे और जो ये लगभग 500 परिवार हैं इनको बेघर होने से बचाया जाए और इनकी तुरन्त कोई न कोई व्यवस्था सरकार करे चूंकि यह तात्कालिक और बहुत ही गम्भीर विषय है, यह सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि कई जगहों का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक विस्तृत चर्चा इस सदन में हो।

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

मानीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने और कल माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी और श्री गोपाल सिंह राणा जी ने इस सदन के सम्मुख जो विषय रखा है, वह बहुत ही गंभीर विषय है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष के दस्तखत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो बता दीजिए।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा नहीं है। मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (व्यवधान) पूरी ताकत के साथ। (व्यवधान) स्वास्थ्य खराब है लेकिन प्रदेश की जनता के लिए खराब नहीं है।

(माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री मातवर सिंह कण्डारी जी द्वारा बैठे–बैठे कहा गया "आपने किशोर उपाध्याय को बल क्यों नहीं दिया?") (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके साढू भाई हैं। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा बैठे–बैठे कहा गया–"मान्यवर, किशोर के बिना इनका दिल नहीं लग रहा, बार–बार उनका जिक्र कर रहे हैं।")

श्री अध्यक्ष–

आपका दिल लग रहा है क्या उनके बिना ? (व्यवधान) शायद आपका भी नहीं लग रहा होगा।

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। निश्चित रूप से जैसा कि डा० सिंघल जी ने कहा है, इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि प्रदेश सरकार का क्या जवाब आएगा। कहा जाएगा कि यह माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देशित है, निर्णीत है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हर मामले के लिए रास्ता निकल सकता है। अगर प्रदेश सरकार इसमें ठीक से पैरवी करेगी और पहल करेगी तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। जब मैं राजस्व मंत्री था तो मेरे सम्मुख भी अनेक मामले आए लेकिन जनहित में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में ऐसे मामलों में जमकर पैरवी की, पहल भी की। ऐसा नहीं है कि अगर प्रदेश सरकार

मजबूती के साथ पैरवी और पहल करें तो कोई न कोई रास्ता न निकले। मैं आपके आसन से सरकार के लिए आपका विनिश्चय चाहता हूँ इस अति गंभीर विषय पर आपकी ओर से विनिश्चय आ जाए। कोई न कोई रास्ता इन किसानों को बेघर होने से, इनको उजाड़ने से बचाने के लिए निकलना चाहिए।

*सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह राणा, विधान सभा क्षेत्र खटीमा तथा माननीय विधायक डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, विधान सभा क्षेत्र, जसपुर की नियम–58 की सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन वर्ष, 1995 में हुआ। यह मामला वर्ष 1965 से 1975 तक का है, यह पुराना मामला है। इसको आप स्वीकार करेंगे और प्रश्नगत 685 एकड़ भूमि में से 30 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजन और बाजार हेतु सुरक्षित रखी गयी थी। यह भूमि अभिलेख में वन भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही है। यह अभी भी वन भूमि है। इसमें से 30 एकड़ भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस पर दुकानें बना दी हैं, अपने आवास बना दिये हैं और इस भूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में श्री बलवन्त सिंह रौतेला जी के द्वारा सरकार के विरूद्ध रिट दायर की गयी और वहाँ पर यह आदेश हुआ कि इस भूमि को खाली कर दिया जाए। फिर जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी। दिनांक 22–06–2006 को अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के आदेश राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से दिये गये। जब सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, हम उसी को स्वीकार करते हैं। अर्थात बेदखली का आदेश देने के लिये कहा गया, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेदखली का आदेश कर दिया है और यदि हम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि अतिक्रमणकारियों को दिनांक 28–03–2011 तक हटाने की तिथि निर्धारित की गई है। जो सूचना मुझे मिली है, उसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त 30 एकड़ भूमि में से अतिक्रमणकारियों को हटाये जाने के लिये चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण कर, इन्हें अन्यत्र पुनर्वास करने हेतु तहसील गदरपुर में ग्राम कोपा, गोविन्दा और रफीनगर में 10.608 हैक्टेयर भूमि, जो राजकीय स्वामित्व की है, में पुनर्वास किये जाने की योजना है। साथ में मुख्य विकास अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अतिक्रमणकारियों में से 111 पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास तथा 90 पात्र व्यक्तियों को दीन दयाल आवास दिये जाने की योजना है। मान्यवर, यह निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और उसको मानना है और सरकार उनका पुनर्वास करने के लिये व्यवस्था भी कर रही है, इसलिये इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मानीनीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, डा0 हरक सिंह रावत तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह एक नीतिगत मामला है, किसानों को जमीन आवंटित की गई है, लेकिन अभी तक उनको अधिकार नहीं मिला है। मान्यवर, वहाँ पर बाजार है, कोई 10 दुकानें तो हैं नहीं कि कहीं पर और बसा दो। ऐसे तो उनकी आजीविका चली जायेगी, मान्यवर, वहाँ पर पूरा बाजार है, लोग आते–जाते हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं पूरी परिस्थिति बता चुका हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूँ, फिर भी जो विस्थापितों के पुनर्वास की बात है, जो पक्ष माननीय सदस्य ने रखा है, उस पर भी विचार कर लिया जाए।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन्दिरा आवास दिये जायेंगे, जब तक उनको पट्टे नहीं दिये जायेंगे, जब तक भूमि रेगुलराइज नहीं होगी, तब तक उन्हें इन्दिरा आवास कैसे दिये जा सकते हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने कहा है कि गूलरभोज में 10 एकड़ भूमि हम उन्हें दे रहे हैं और आवास भी दे रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इन्दिरा आवास उन्हें कैसे दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम उन्हें दीन दयाल उपाध्याय आवास देंगे।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, देहरादून एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और आज यह देहरादून उत्तराखण्ड राज्य की अस्थाई राजधानी भी है। लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देहरादून की स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है, देहरादून में प्रदूषण, चक्का जाम और देहरादून का एक जो वातावरण था, जो यहाँ की गरिमा थी, जो गौरव था, वह दिन–प्रतिदिन नष्ट होता चला जा रहा है। आज देहरादून शहर अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। आज आपको यह नहीं लगता कि आप उसी पुराने देहरादून शहर में हैं, जिसके लिये लोग देहरादून को जानते थे, देहरादून में बसना चाहते थे। आज इतनी जनसंख्या का दबाव देहरादून शहर में पड़ गया है और इतने वाहन हो गये हैं कि शायद ही सरकार को पता हो कि यहाँ पर कितने व्यवसायिक वाहन चल रहे हैं और कितने गैर व्यवसायिक वाहन। इस जाम और प्रदूषण से बचने के लिये हमने क्या किया है, हमने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के माध्यम से जो पैसा मान्यवर, हम ले सकते थे। (व्यवधान) तो आज देहरादून के अंदर जो स्थिति हो गयी है कि देहरादून को हम कैसे व्यवस्थित करें, किस तरह से इसको ठीक करें। हम चौराहों का चौड़ीकरण कर रहे हैं जे0एन0एन0यू0आर0एम के माध्यम से, चौराहों के चौड़ीकरण में हमने कई लोगों को हटा दिया, जबकि उनका पहले पुनर्वास करना चाहिए था तब उनको हटाना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं, देहरादून में आंदोलित हैं, देहरादून में कई लोगों के साथ इस तरह की दिक्कतें आयी हैं, इस तरह की उनके साथ कठिनाई आयी है कि हमने चौराहों के चौड़ीकरण के नाम पर उनको हटा दिया, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं किया और मैं समझता हूँ कि इस तरह से काम करने से हम जो काम कर रहे हैं काम ऐसा होना चाहिए जिससे शहर की बहबूदी भी बनी रहे। शहर के चौड़ीकरण में लोग स्वयं आकर कहें कि शहर का चौड़ीकरण होना चाहिए। चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को हटा देना, उनकी रोजी–रोटी छीन लेना ये ठीक बात नहीं है।

मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि देहरादून के अंदर से जो बाहर मार्ग निकलते हैं, जो देहरादून के बाहर मार्ग निकल रहे हैं उनकी व्यवस्था सरकार समुचित रूप से नहीं कर पायी है। हमने कोई ऐलीवेटेड रोड नहीं बनायी, कोई हमने ओवर हेड ब्रिज नहीं बनाया, कोई हमने ऐसी सड़कें नहीं बनायी जैसे हमारे यहाँ त्यागी रोड से भंडारी बाग तक हमको जो रोड ले जानी थी, फ्लाई ओवर बनाकर वो हम नहीं ले जा पाये। तो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का पूरा फायदा हम राज्य को नहीं दे पाये, जो कि हम राज्य को दे सकते थे। जब हम जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से वो फायदा नहीं उठा पाये तो राज्य सरकार को स्वयं में उसका इंतजाम करना चाहिए कि हम देहरादून की ये सारी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, देहरादून को जाम से मुक्ति के लिए, जो देहरादून का सौन्दर्य था, हमारे पूरे देहरादून के किनारे पर नहरें थी, उसका एक वातावरण बनता था, वो भी हमने सड़कों के चौड़ीकरण में बंद किया है कि ट्रैफिक की ज्यादा समस्या होगी तो उनको बंद कर दिया, लेकिन हम अभी तक कुछ कर नहीं पाये। हमारे यहाँ पर कितने स्टॉपेज हैं, हमारे यहाँ देहरादून में जो सिटी बसें हैं, जो

हमारे यहाँ विक्रम हैं या दूसरे जो यातायात के साधन हैं, हमारे कितने स्टॉपेज हैं, ये मेरे ख्याल से सरकार को ज्ञान भी नहीं होगा। उन स्टॉपेज में क्या हमने सुविधाएं दी हैं, क्या वहाँ सुलभ शौचालय हैं, क्या वहाँ पानी की व्यवस्था है, क्या और व्यवस्था है ? ये भी आज तक सरकार व्यवस्थित नहीं कर पायी है। तो मान्यवर, ये बहुत आवश्यक है कि देहरादून के दृष्टिकोण से भी आज हम देहरादून को देखें तो प्रदूषण का लेवल कितना है।

देहरादून इतना प्रदूषित हो गया है कि आप कहीं देहरादून में जा रहे हों और रूमाल से अपना मुँह पोछें तो एकदम कालापन नजर आता है। यह देहरादून के लिए शोभनीय बात नहीं है। आज मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जो हमारे एलीवेटेड मार्ग हैं, क्योंकि देहरादून जब बसा था तो बहुत कम पॉपुलेशन के लिए बसा था, लेकिन आज देहरादून की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गयी है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एलीवेटेड रोड बनाये, हमारे जो ओवर हैड ब्रिज बनाने की बात है, चाहे दूसरी चीजें बनाने की बात हो, उसको बनाने के लिए सरकार को द्रुत गति से काम करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गुणवत्ता ठीक नहीं है। आप यदि स्वयं चौराहों का निरीक्षण करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं जाएं और चौराहों पर देखें कि जो आपने डिवाइडर लगा दिये हैं, तो डिवाइडर अभी पूरी तरह से चौराहे बने भी नहीं हैं कि डिवाइडर टूट गये हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है और डिवाइडर लगे इस तरह से हैं कि वो चौड़ीकरण में और अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। चौराहों का चौड़ीकरण ऐसा होना चाहिए कि ट्रैफिक ठीक तरीके से निकले और जाम की स्थिति न हो। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं ये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस शहर को बचा लीजिए। इस शहर में कितने जो एंट्री प्वाइंट हैं। आज हमारी दिक्कत क्या है जो एंट्री प्वाइंटों के नाम पर हम ट्रक्स खड़े कर देते हैं जगह–जगह। जितने हमारे प्वाइंट हैं वहाँ ट्रक खड़े कर देते हैं। कहीं पर सेल्स टैक्स के एंट्री प्वाइंट बना दिये हैं जहाँ से वसूली होती है। क्या कहते हैं उसको वसूली प्वाइंट। (व्यवधान) मैं तो उन्हें वसूली प्वाइंट कहता हूँ, वो वसूली प्वाइंट हैं। मैंने उनको नाम दिया है वसूली प्वाइंट, सरकार का राजस्व वसूल करते हैं न। (व्यवधान) आप क्यों नाराज हो रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो वसूली प्वाइंट हैं, जिनमें सरकार का राजस्व वसूल होता है। आप वहाँ जाकर देखेंगे कितनी विकट स्थिति है। मान्यवर, किस तरह से वहाँ अनियंत्रित तरीके से वाहनों को खड़ा रखा जाता है और किस तरीके से वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। इन सब बातों पर सरकार को विचार करना चाहिए। यह अति अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि इसमें सब कार्यवाही को रोककर सदन में इस बात की चर्चा हो, इस पर विचार–विमर्श हो। क्योंकि देहरादून का अपना अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, उसको बचाने के लिए काम करने की अतिशीघ्र आवश्यकता है।

*गन्ना विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने नियम—58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर देहरादून शहर से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसमें मुझे अवगत कराना है कि वैसे तो यह 4—5 विभागों से संबंधित विषय है और इस संबंध में जैसा माननीय विधायक जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष—

4—5 विभागों को मिलाकर नगर विकास बन गया है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, देहरादून में जो आपने नो एन्ट्री प्वाइंट की बात कही है। देहरादून में 5 नो एन्ट्री प्वाइंट हैं, इसमें पहला सब्जी मण्डी निरंजनपुर पटेल नगर से शहर के अन्दर, दूसरा प्वाइंट बल्लूपुर चौक से शहर के अन्दर, तीसरा प्वाइंट रिस्पना तिराहे से शहर के अन्दर, चौथा प्वाइंट मसूरी डायवर्जन से शहर के अन्दर और पाँचवां प्वाइंट सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से शहर के अन्दर की तरफ है। ये जो नोएन्ट्री प्वाइंट हैं इन पर प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक जो भारी वाहन हैं उनको निषेध किया गया है और प्रचार—प्रसार की दृष्टि से भी सबको मालूम हो कि यहाँ पर भारी वाहन निषेध हैं, इसके लिए प्रचार—प्रसार भी किया गया और बोर्ड भी लगाये गये हैं और लगभग इसका पालन भी पूर्णतया किया जा रहा है और इससे अलग शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए लगभग 6 स्थानों पर मार्गों को बन्द किया गया है। इसमें दून अस्पताल चौक से तहसील चौक, हिमालयन आर्म्स, कबाड़ी मार्ग से दून चौक तक, परेड ग्राउन्ड के चारों तरफ की रोड, जब स्कूलों की छूट्टी होती है उस समय कर्जन रोड दर्शन लाल चौक से जैंसडाउन चौक तक, पुराने बस अड्डे से दून अस्पताल तक, यह 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहता है। मान्यवर, जहाँ तक शहर में पार्किंग की माननीय विधायक जी ने चर्चा की है। इस समय शहर में चार ऐसे स्थान हैं जिनका प्रयोग इस समय हम पार्किंग के लिए कर रहे हैं, पंटापर, कुमार स्वीट के सामने दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग है, दीनदयाल पार्क के बाहर दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग है, टैलीफोन एक्सचेन्ज के पास दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग है, इसी प्रकार रिस्पना पुल के पास ट्रेकर स्टैन्ड भी बना हुआ है। आपने कहा कि सरकार को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आपने कहा कितने वाहन हैं और कितने पंजीकृत हैं, कितने बड़े हैं, कितने व्यवसायिक वाहन हैं इसकी जानकारी भी दे देता हूँ। देहरादून जनपद में प्रति वर्ष लगभग 35 हजार वाहन पंजीकृत होते हैं। इस समय जनपद में व्यवसायिक पंजीकृत वाहनों की संख्या 27169 है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, टोटल वाहन कितने हैं ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय, लगभग 35 हजार हर वर्ष पंजीकृत होते हैं। गैर व्यवसायिक पंजीकृत वाहन 434626 हैं, यह निश्चित है कि इस समय बहुत बडा दबाव शहर के ऊपर इन वाहनों का है। सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि मान्यवर, देहरादून शहर को हम बहुत अच्छा और सुन्दर बनायें और इसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की दृष्टि से फर्स्ट फेज में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आपने ओवर ब्रिज नहीं बनाये आदि बातें कहीं। मान्यवर, भारत सरकार से जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फर्स्ट फेज जिन मदों में पैसा मिल सकता था उसमें सीवरेज और पानी एवं चौराहे। यह सब हमने लिये हैं। अकेले सीवरेज के लिए ही 150 करोड से ज्यादा की योजना हम लोगों ने ली है जिस पर काम चल रहा है, 100 करोड से ज्यादा पानी की योजनाएं हैं। आप लोगों के ही क्षेत्र में हैं। सब पर काम चल रहा है। मान्यवर, चौराहों के चौडीकरण का काम आपने स्वयं ही कहा इस समय चल रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सबसे बडा प्रश्न खडा किया गया था जो लोगों का विस्थापन हुआ है उनके पुनर्स्थापन का प्रश्न है।

श्री मदन कौशिक–

अभी आ रहा हूं। जरा धैर्य तो रखें। जहाँ तक इस चीज का सवाल है आप स्वयं उस समय उपस्थित थे जब हम लोगों ने चकराता रोड के चौडीकरण का कार्यक्रम किया था जिस दिन शुरुआत की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, आप भी थे, स्वयं माननीय विधायक जी थे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो हम लोगों ने ही शुरु की थी।

श्री मदन कौशिक–

मैं तो उस पर भी नहीं जा रहा हूँ किसने शुरु की, हाउस में तो कितने ही लोग बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह तो बता दीजिए कि उसमें पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए हमने विरोध किया था।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, यह तो अपनी बात को दांये—बांये घुमा रहे हैं कि विधायक जी वहाँ पर गये थे, लेकिन सामने तो कौशिक जी हैं। (हँसी)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आपको यह कहने में संदेह क्यों हो रहा है, हिचकिचाहट क्यों हो रही है। आपने तो विरोध इसलिये किया था क्योंकि पुनर्वास की व्यवस्था नहीं थी, अब पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, जैसा कि हाउस में सुनने को मिलता है, उस दिन आप भी वहाँ पर थे, माननीय विधायक जी ने उसी मंच से हजारों लोगों के बीच में कहा कि जितना अच्छा काम यह सरकार कर रही है, मैंने आज तक नहीं देखा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय कौशिक जी, मुझसे अपनी सरकार का सार्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं। (व्यवधान) मैंने चूंकि कहा कि वर्ष, 2006 की योजना, जो कि कॉग्रेस सरकार की योजना है और आज आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैं वहाँ पर गया था और मैंने यही कहा था। (व्यवधान) धन्यवाद किस बात का, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप इतने चिन्तित क्यों हैं। कौशिक जी, आप सभी बातों को उसमें क्यों उलझा रहे हैं, हम तो पॉजीटिव आदमी हैं, कम से कम तुम्हारी तरह निगेटिव तो नहीं हैं। इन्होंने मेरी तरफ इंगित कर कुछ बातें कहीं, इसलिये जवाब देना जरूरी है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, चकराता रोड पर घंटाघर का जितना चौड़ीकरण था, किस तरह से प्रभावितों को हम वहाँ पर विस्थापित करेंगे। आप भी उस मीटिंग में रहे, हमने माननीय विधायक जी को भी बुलाया था।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत कह रहे हैं, माननीय कौशिक जी, आप मुझे यह बता दें कि आपने किस माध्यम से मुझे बुलाया था। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरी तरफ इंगित करके कहा कि मुझे बुलाया गया था, मुझे क्षेत्र का विधायक होने के नाते भी आज तक कभी भी इन योजनाओं के बारे में, जो शहर में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चाहे

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजनायें हों या चाहे कोई और योजना हो, वर्ष 2007 के बाद किसी भी बैठक की सूचना तक नहीं दी गई, यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने तो एक शिलान्यास किया था और उसमें आपको बुलाया था और यदि दोबारा भी करेंगे तो फिर भी बुलायेंगे। मान्यवर, उसमें जो विस्थापन होना था, सबकी हमने योजना बनाई है कि कितनी दुकानें वहाँ पर थीं और उन दुकानों को हम कहाँ ले जायेंगे। उन दुकानदारों से हमारी बात हुई है, उनको सन्तुष्ट किया गया है, उनके साथ ही हमारी बैठक हुई है। (व्यवधान)

मान्यवर, जितना विस्थापन होना था, उसकी समुचित व्यवस्था की गयी। आपने कहा कि पुराने शहर को नया शहर बना रहे हैं। यह इस सरकार का काम है और कर रही है और एक अच्छा सौन्दर्यीकरण इस शहर का करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि देहरादून एक राष्ट्रीय स्तर का शहर है और है भी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, हर एक लाइन पर टीका–टिप्पणी मत करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय बंशीधर भगत जी भी कुछ कह रहे हैं कि पाँच साल की गन्दगी है वह एकदम दूर हो जायेगी ? उसको पूरा होने में कम से कम दस साल चाहिए, अभी तो चार ही साल हुए हैं। (व्यवधान) मान्यवर, चौराहे के चौड़ीकरण का काम सरकार कर रही है। जिन चौराहों पर विस्थापन की दिक्कत आ रही है उसके लिए मीटिंग भी हो रही है। और वहाँ के जो दुकानदार हैं जिनको विस्थापित किया जाना है, किस प्रकार से करें उसकी बैठक भी कर रहे हैं। मान्यवर, जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है निश्चित रूप से यह सरकार इस मामले में बड़ी गंभीर भी है। जहाँ थोड़ी सी शिकायत होती है वहाँ हम कार्रवाई करने में भी नहीं चूकेंगे। मैं आज ही पी0डब्ल्यू0डी0 को इस बारे में निर्देश देता हूँ कि वे खुद जाकर देखें। माननीय विधायक जी जिस चौराहे की बात कर रहे हैं, यदि वहाँ कोई भी कमी होगी तो हम तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे चाहे जे0ई0 हो या ए0ई0 हो। जहाँ पर सवाल आया है कि स्टोपेज कितने हैं उसकी भी सूची है आप कहें तो उसको भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, वह बहुत लम्बी है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उसके अवस्थापना की सुविधा बता दें। क्या–क्या दे रहे हैं ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, शहर के विभिन्न स्टोपेज निर्मित हैं उसमें बैठने की व्यवस्था की है और बिजली की व्यवस्था की है और जो रोड पटरी पर बने हैं उनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चूँकि वे रोड की पटरी पर इस तरह बने हैं, शौचालय अपनी जगह पर हैं। लेकिन वहाँ पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। मान्यवर, द्वितीय चरण आयेगा उसमें देहरादून शहर के लिए हम व्यापक और माननीय विधायक जी का भी क्षेत्र है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। हम एक योजना बना रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कब तक बनायेंगे, वर्ष 2012 के बाद ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अग्रवाल जी, जब भी बनायेंगे, आप चिन्ता मत करें और उसमें आपको भी बुलायेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, पैसा तो केन्द्र सरकार का आ रहा होगा।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार का क्या पैसा, वह तो मिलता ही रहता है, इसमें केन्द्र सरकार क्या करेगी। मान्यवर, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि देहरादून को अच्छा शहर बनायें और अस्थायी राजधानी के अनुसार हम कह रहे हैं। इसलिए माननीय विधायक जी ने जो जिज्ञासा उठायी है उस सूचना को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अब अगली सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन जी की है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद इसके आगामी विकास के लिए प्रदेश सरकार ने कई काम किये हैं। पन्तनगर में सिडकुल क्षेत्र बनाया गया, उसी रूप में बनाया गया। सिडकुल क्षेत्र बनने से काफी लोग बाहर से आए, उद्यमी आये, नौकरी करने वाले आये, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी, आवासीय कालोनी के रूप में इस सरकार द्वारा की गयी। मान्यवर, सिडकुल क्षेत्र में आवास बनाने

के लिए मैसर्स ओमेक्स लिमिटेड को 47.8 एकड भूमि मात्र 27 लाख रुपये में दी गयी व एक अन्य कम्पनी को 47.27 एकड भूमि मात्र 38 लाख में दी गयी और यह भूमि 90 साल के लीज पर दी गयी। 0.5 प्रतिशत के रेट पर दे दी गयी। ये दोनों कंपनियाँ बिल्डर कंपनी हैं। इनको क्यों यह भूमि दी गयी यह हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने इस प्रश्न को सदन में उठाया है। मान्यवर, वर्तमान में जो सिडकुल क्षेत्र की जमीनें हैं। जहाँ फैक्ट्री लगी हुई हैं, वहाँ पर साढे चार हजार रू0 से ऊपर प्रति वर्ग मीटर का रेट है और ये जमीन मात्रा आधा प्रतिशत में दे दी गयी और वहाँ पर बडी बडी बिल्डिंगें बन रही हैं और ये दोनों कंपनियाँ मकान बनाकर मकान की बिक्री कर रही हैं और एक–एक विला 70 से 80 लाख रू0 में बेचा जा रहा है। मान्यवर, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन दोनों कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए इनको दिया गया है इसकी जाँच होनी चाहिए। मान्यवर, जब सरकारी भूमि है, लीज पर दी है तो उस पर सरकारी कानून भी लागू होना चाहिए। वहाँ एस0सी0ओ0बी0सी0 और बी0पी0एल0 के लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जबकि होना यह चाहिए था अगर देना ही था तो सरकारी कंपनी बनाकर उससे बनवाते जैसे उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद है, मकान बनाकर देते उससे लाभ मिलता। मान्यवर, इसमें तो हमें यह लगता है कि पूरा का पूरा घोटाला है, और निश्चित रूप से उसमें यह भी जाँच होनी चाहिए कि हमारे जैसे कितनों के मकान रिश्तेदारों, नातेदारों के नाम हैं। सुनने में तो बहुत कुछ आता है। मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है और सीधा–सीधा प्रदेश सरकार से जुडा हुआ मामला है, आर्थिक हानि का मामला है। इसलिए मैं इसमें सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि जो माननीय विधायक जी ने कहा कि अरबों रुपये की जमीन ऐसे ही दे दी गयी है, दी नहीं गयी है यह लीज रेट पर दी गयी है यह भूमि का मूल्य नहीं है और दूसरी बात जैसा आपने कहा कि वह जमीन जो है ओमेक्स को कुल 0.5 प्रतिशत के दाम पर 27 लाख 8 हजार 252 रू0 में दे दी है और ऐसे ही एसोटेक सुपरटेक 38 लाख 71 हजार 816 रू0 में दे दी गयी है, यह मूल्य उस समय का है। वैसे तो जानकारी के लिए बता दूँ कि यह वर्ष, 2006 का मामला है और बाकायदा निविदा हुई। निविदा में एसोटेक सुपरटेक ने फ्रंट में और ओमेक्स ने पीछे की तरफ के प्लाटों में टैण्डर डाला। टैण्डर प्रक्रिया से यह सब दिया गया और ये जो पैसा था यह लीज रेट करते समय, उस समय 0.5 प्रतिशत कुल मूल्य का जमा करा लिया गया। इन्होंने ये दाम जमा किये और आज की तारीख में जो दाम है वह कुल लीज रेट था। 70 करोड 49 लाख 63 हजार 146 रू0 का जो एसोटेक सुपरटेक का था इसमें से 60 करोड 31 लाख 20 हजार 81 रू0 उसने जमा कर दिया है। (व्यवधान) आप कह रहे हैं 27 लाख 60 करोड रू0 उसने जमा कर दिया है और 13 करोड 12 लाख अभी उसके

ऊपर देनदारी है। ओमेक्स का अगर देखेंगे तो 51 करोड़ 16 लाख 50 हजार रू0 उसकी कुल धनराशि है जिसमें से 51 करोड़ 68 लाख रू0 लगभग जमा हो गया है 53 लाख रू0 अभी देना शेष है। कुल मिलाकर अब तक 1 अरब 15 करोड़ की प्राप्ति हो गयी है, मान्यवर, 43 करोड़ 65 लाख 37 हजार रुपया शेष लेना बाकी है, उसमें बाकायदा पारदर्शिता के साथ निविदा डाली गयी, निविदा लेने के बाद यह शर्तें जो-जो रखी गयी थीं उसके अनुसार पैसों की तारीखें तय की गई थी। मान्यवर, जो 0.5 की बात माननीय विधायक जी कह रहे हैं वह तो केवल इसके लिए एडवान्स के रूप में लिया था और उसके बाद उसको दिनों के हिसाब से बॉटा गया और उन तारीखों पर जैसे-जैसे देना था उस धनराशि को देने का काम किया, कुछ विलम्ब भी हुआ, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यह भूमि कौड़ियों के भाव दे दी, भ्रष्टाचार हुआ यह बिलकुल सत्य से परे है। मान्यवर, 1 अरब 15 करोड़ रुपये की जमीन का पैसा लिया है और 43 करोड़ 65 लाख रूपया और लेना शेष है, इसमें भ्रष्टाचार की कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, सीधा प्रश्न है खुली निविदा हुई है, उसमें खुला टेण्डर करके शर्तें रखी गयी हैं, शर्तों के अनुसार बात रखी, मैं समझता हूँ कि यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि इस पर चर्चा हो इसलिए निवेदन करता हूँ कि इसको निरस्त करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन और माननीय मंत्री श्री वंशीधर भगत जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संचालित अटल खाद्यान्न योजना के विषय में जो सूचना माननीय श्री नारायण पाल जी और हाजी तस्लीम अहमद जी ने नियम-310 के अन्तर्गत दी थी जिसे मैंने नियम-58 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार की संचालित योजना है अटल खाद्यान्न योजना, यह भारत सरकार की जो योजना अन्त्योदय अन्न योजना है, जो पहले से ही चल रही थी, इसका बहुत ही ज्यादा प्रचार-प्रचार किया गया और स्थानीय स्तर पर ही इसका नाम परिवर्तित करके अटल खाद्यान्न योजना किया गया। लगातार हम देखते हैं कि भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं या राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी उपलब्धियों और अपने योगदान को परिभाषित करते हुये इसका क्रेडिट लेने की कोशिश हमेशा की जाती है। मान्यवर, आज आदरणीय श्री दिनेश अग्रवाल जी का एक सवाल तारांकित में था कि इसमें प्रचार-प्रसार में कितना खर्चा किया गया और अन्य सवाल उन्होंने पूछे तो उसमें मैं उत्तर देख रहा हूँ कि सूचनायें

एकत्र की जा रही हैं, तो सवाल का कोई जवाब नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपया प्रचार–प्रसार में खर्च हुआ जबकि भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में बन गयी है कि यह योजना किसकी है और यह योजना, चाहे भारत सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, उसका अगर सही तरीके से क्रियान्वयन हो जायेगा तो जनता को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसी भ्रम की स्थिति जनता के बीच में होगी तो बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यह जो सस्ता राशन सरकार बांटने की चाहत रखती है, जो बात कर रही है तो यह कहाँ से चलाया जा रहा है, कहाँ से क्रय किया जा रहा है और रास्ते में राशन बाँटने का जो व्यय भार उठा रही है उस धन की व्यवस्था कहाँ हो रही है और इसमें कितनी धनराशि व्यय होगी या उसका प्रबन्ध कहाँ से किया जा रहा है। मान्यवर, किस मद से किया जा रहा है, यह बिलकुल एक कनफ्यूज करने वाली स्थिति है।

मान्यवर, सही मायने में अगर यह भारत सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, एक झूठा दिखावा और उसका फायदा लेने की कोशिश है। मान्यवर, जो उपेक्षित लोग हैं जिनको खाद्यान्न मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है और महंगे रेट पर खुले मार्केट में खरीदा जा रहा है तो मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है। मान्यवर, यह मैं जो देख रहा हूँ मैंने माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने नाम का उल्लेख इसलिए किया कि उनके प्रश्न के उत्तर में आया है कि सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। खाद्यान्न से सम्बन्धित जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मामला है, इसमें इतना अधिक भ्रम है जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको इससे लाभान्वित होना है, उन्हें लाभान्वित नहीं किया जा रहा हैं। मान्यवर, बातें आप कितनी भी कर लें आपका जो जवाब देने वाले माननीय मंत्री जी हैं, वह यहाँ पर हैं भी नहीं। मान्यवर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी लंच से पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा, अरे नारायण पाल जी, अभी इसमें सूचनाएं ही एकत्रित की जा रही हैं। मैं चाहता हूँ इसमें जवाब आ जाए जिससे कम से कम हमारी भ्रम की स्थिति कम हो जाए और जो जनता भ्रमित है और आपके नुमाइंदे के रूप में कम से कम हम ही जनता को समझायें कि यह राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है इसका क्रेडिट भारत सरकार को नहीं जाना चाहिए, इसका क्रेडिट राज्य सरकार को जाना चाहिए। मान्यवर, मैं इस पर चर्चा करने की मांग करता हूँ।

*हाजी सलीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा यह कहना है कि यह जो अटल खाद्यान्न योजना है, उसमें कितना हिस्सा भारत सरकार का है और कितना हिस्सा राज्य सरकार का है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि इसमें कितना बी0पी0एल0 को मिला है और कितना ए0पी0एल0 को खाद्यान्न मिल रहा है ? यह बताने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मानवीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आज मैंने जो प्रश्न लगाया था उसके उत्तर में आया था कि सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं तो अब क्या इतनी देर में माननीय मंत्री जी के पास सब सूचनाएं आ गयी हैं ?

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नारायण पाल जी ने और माननीय हाजी तस्लीम जी ने एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से नियम—58 के अन्तर्गत इस सूचना की ग्राह्यता पर अपने विचार प्रकट किये। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य की वर्तमान सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वे योजनाएं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वह अन्तिम व्यक्ति को लक्षित करके बनायी गयी हैं। चूंकि आज की परिस्थितियों में जो आम आदमी का भोजन है, वह अत्यन्त दुरूह हो चुका है और ऐसी परिस्थिति में एकमात्र नजर आम आदमी की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर रहती है। जिसके माध्यम से उसके परिवार की दो वक्त की रोटी इसके माध्यम से निकल पाए। मान्यवर, भारत सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। श्रीमन्, इन तीनों राशन कार्ड धारकों को जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, उनकी दरें निर्धारित हैं और इन दरों में ए0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए जो दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं, उसमें 6 रुपये 60 पैसा प्रति किलो गेहूँ और 8 रुपया 45 पैसा प्रति किलो चावल निर्धारित है। बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को 4 रुपया 65 पैसा प्रति किलो गेहूँ और 6 रुपया 15 पैसा प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है। राज्य की वर्तमान सरकार ने 11 फरवरी से अटल खाद्यान्न योजना के नाम से एक योजना प्रारम्भ की है, उसके आधार पर वर्तमान सरकार ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीमन्, इसके साथ—साथ ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 6 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर जो ए0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, उनकी संख्या 1809874 है। इनके लिए भारत सरकार द्वारा जो नियमित खाद्यान्न हमको आवंटित होता है, वह मात्र 14766 मीट्रिक टन गेहूँ और 2324 मीट्रिक टन चावल है। अर्थात् हमको ए0पी0एल0 कार्ड के सापेक्ष में 17090 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्राप्त होता है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार का ए0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए वर्ष, 2001 से पूर्व जो मानक निर्धारित था, एन0डी0ए0 की सरकार के समय, तब यह तय किया गया था कि 35 किलो

खाद्यान्न प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मिलेगा और उसके आधार पर हमारी जो आवश्यकता है, वह 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल की है। अर्थात् 35 किलो खाद्यान्न हम ए0पी0एल0 कार्ड धारक को उपलब्ध कराएं। इस हिसाब से हमें 36182 मीट्रिक टन गेहूँ और 27136 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता प्रति माह पड़ेगी अर्थात् हमको 63318 मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता 35 किलोग्राम की दर से पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा हमें ए0पी0एल0 में जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, वह मात्र 17090 मीट्रिक टन है। (शेम–शेम) इस स्थिति में हमारी सरकार ने, इस जनप्रिय सरकार ने निर्णय लिया है कि हम किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे और यह हमारी प्राथमिकता है कि अन्तिम व्यक्ति तक हम अपनी समस्त योजनाओं का लाभ पहुँचाएं और इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने यह तय किया है कि प्रत्येक परिवार को हम खाद्यान्न सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से उपलब्ध कराएं और इसके लिए जो अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको राज्य सरकार अपने संसाधनों से अपने आधार पर करेगी। श्रीमन्, माननीय नारायण पाल जी ने जो संशय व्यक्त किया कि आखिर इस योजना में कितना खर्च हो रहा है, यह अन्त्योदय की योजना है या कोई और योजना है।

श्रीमन्, मुझे लगता है कि माननीय नारायण पाल जी को जो संशय हुआ है, निश्चित रूप से उनको कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इस स्थिति के लिए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस योजना में जो भी धनराशि व्यय होगी, इस सब्सिडी को देने के लिए, वह राज्य सरकार अपने संसाधनों से उठाएगी। (मेजों की थपथपाहट) जो अभी तक हमारा अनुमान है, उसके अनुसार 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रतिमाह व्यय भार आयेगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि उस राशि का भार अपने संसाधनों से उठाया जाएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही जनता के प्रति है। भले ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े लेकिन अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुँचायेंगे और किसी भी व्यक्ति को भूखे पेट न सोना पड़े, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है, इसके लिये हम योजनायें लाते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। मान्यवर, चूँकि इस सूचना में हमारी यह महत्वाकांक्षी योजना परिलक्षित होती है, मैं नारायण पाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम से ध्यानाकर्षण किया। इससे यह जानकारी सदन के समक्ष आई कि हम किन कठिन परिस्थितियों में जनता के प्रति जवाबदेह हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सूचना को अग्राह्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नारायण पाल, माननीय हाजी तस्लीम अहमद एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2011 2012 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)—

मान्यवर, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिये खड़े होने में कुछ परेशानी है, क्या मुझे कॉर्डलैस माइक मिल सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठकर भी बोल सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, जब तक खड़ा रह सकता हूँ, तब तक खड़े होकर ही बोलता हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितनी टीका—टिप्पणी होगी, मुझे उतना ही समय लगेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रेम अग्रवाल जी, कृपया शान्त रहें।

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2011—12 के बजट पर पूरे प्रदेश की जनता की, प्रदेश के नौजवानों की, प्रदेश की महिलाओं की, प्रदेश के अल्पसंख्यकों की, प्रदेश के दलितों की, प्रदेश के वृन्द्ध, विधवा और विकलांगों की, प्रदेश के किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों की पीड़ा की, उनके हितों की, उनके जज्बातों की अभिव्यक्ति देने के लिये मौका दिया है। मान्यवर, इसके लिए मैं पुन:—पुन: आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट भाषण मेरे हाथों में है और इसको मैंने शुरूआत से लेकर अंतिम तक इसकी एक—एक पंक्ति, एक—एक अक्षर को समझने की कोशिश भी की है।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")—

मान्यवर, सुना है, नहीं बोला, देखा है बोला। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, बिलकुल सही बोल रहे हैं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, समझने की कोशिश भी की है और इसके शब्दों में न जाकर, इसके वाक्यों में न जाकर, इन वाक्यों, इन शब्दों में प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए उनके घावों पर इस बजट में क्या मरहम लगाने की कोई योजना है या उनके घावों पर नमक के बजाय तेजाब छिड़कने की कोई प्लानिंग सरकार की है। ये देखने की कोशिश की और मैं बहुत गम्भीरता के साथ, सूझबूझ के साथ अंतर्मन से यह कह सकता हूँ, इस

बजट भाषण के पढ़ने के बाद यह कह सकता हूँ क्योंकि यह बजट भाषण प्रदेश की, गांव की सड़क कैसे बनेगी, वृद्ध, विधवा, विकलांग को पेंशन कैसे मिलेगी, नौजवानों के हाथों को काम कैसे मिलेगा, पर्यटन का विकास कैसे होगा, लोगों की प्यास को बुझाने का क्या तरीका होगा, प्रदेश की गरीब जनता के पेट में रोटी डालने का कौन सा उपाय होगा ? (व्यवधान) ये बजट इसकी झलक होती है। और मैं कह सकता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट भाषण का मैंने पहले भी कहा था आपके माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाई 'निशंक' में तो कमजोरी कब से आ गयी। ये सच बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने सच बोलने की कोशिश नहीं की है। भाई 'निशंक' जी। मैं सोचता हूँ कि ये कुर्सी का, पद का आभामण्डल है। जब सचमुच उस गरीब घर से निकला एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचते–पहुँचते, सचमुच उसके मानसिक और व्यवहार में परिवर्तन हो गया। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से इस बजट भाषण में कहीं न कहीं धरातल की सच्चाई, जमीन की हकीकत जरूर परिलक्षित होती। कहीं न कहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लक्ष्य के बहुत करीब हो, बहुत कड़वी सच्चाई कहने की आप में हिम्मत हो, लेकिन सच्चाई के करीब पहुँचने की तो आप कोशिश कर सकते थे, धरातल की हकीकत को समझने की कोशिश आप कर सकते थे, लेकिन न जाने आपकी कौन सी परिस्थितियाँ बनी कि आपने धरातल की सच्चाई को, इस प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक जो आर्थिक तानाबाना है, जो इस प्रदेश की बुनियाद है, जो उत्तराखण्ड का नारा देते हुए मैं कई बार कह चुका हूँ, हमने नारा लगाया था माननीय अध्यक्ष जी, आज भी जब वह नारा मेरे कानों में गुंजायमान होता है कि बद्रीकेदार से आई आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार। जागेश्वर से आई आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार, कोदा झुंगोरा खायेंगे उत्तराखण्ड बनायेंगे। आज भी यह नारा हमारे मन में गुंजायमान होता है, हमने उस समय की तत्कालीन सरकार से कह दिया था, हमने चुनौती देकर कह दिया था कि आपकी सरकार की गोलियाँ कम पड़ जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष जी उस समय की तत्कालीन सरकार को हमने चुनौती देकर उत्तराखण्ड की माता–बहिनों ने, भाईयों ने, नौजवानों ने, कर्मचारियों ने और भूतपूर्व सैनिकों ने कहा था कि आपकी सरकार की गोलियाँ कम पड़ जायेंगी, लेकिन हंसा धनाई का सीना, बलवन्ती चौहान का सीना, भाई राजेश का सीना, भाई बेंजवाल का सीना, और इस उत्तराखण्ड की माता–बहिनों के सीने गोलियों के लिए कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी गोलियाँ कम पड़ जायेंगी। हमने यह कहा था, लेकिन आज 10 वर्ष इस राज्य को हो गये, अभी धूमधाम से 10 वर्ष का उत्सव मनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम उत्तराखण्ड में दौरा करते हैं, उत्तराखण्ड के गाँवों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के मन में यह भाव पैदा होता है, लोग दबी जुबान से कहते चूकते नहीं हैं कि उत्तराखण्ड माँग कर हमसे कहीं कोई भूल तो नहीं

हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई, राज्य बनने के सिर्फ दस वर्षों में अगर प्रदेश की जनता के मानस पटल पर यह भाव पैदा होता है। तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड जैसे नये राज्य के लिए शुभसंकेत नहीं हैं। हमें यह विचार करना होगा कि इन 10 वर्षों में, चाहे विकास के हों, रोजगार के हों, सामाजिक हों, आर्थिक हो या राजनीतिक हों, हर क्षेत्र में हमने जो कदम बढ़ाये हैं कहीं हमारे कदम लड़खड़ा तो नहीं गये। हमें यह विचार करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूँ अगर बजट भाषण में शुरूआत करना चाहूँ तो बजट भाषण, उसमें शब्द अच्छे हो सकते हैं। आंकड़े भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन इन शब्दों के पीछे, इन आंकड़ों के पीछे उत्तराखण्ड राज्य के केन्द्र में जो महिला थी, उत्तराखण्ड राज्य के केन्द्र में जो युवा था, पूरे बजट भाषण में वह गायब है।

(माननीय श्री ओम गोपाल जी द्वारा द्वारा बैठे–बैठे जेण्डर बजट है, कहा गया।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निशंक जी को बताओ मुझे क्यों बता रहे हो। वह तो महिलायें बतायेंगी। अभी तो हम निशंक जी को बतायेंगे और चुनाव में इन सबको बतायेंगे। आने तो दो चुनाव। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी होशियारी से कोशिश की गई है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आप आंकड़ों के साथ चालाकी करोगे, आंकड़ों के साथ चालाकी तो कर सकते हो लेकिन क्या आपकी यह चालाकी प्रदेश के गरीब व्यक्तियों, नौजवानों को रोटी दे सकती है ? आपने कहा कि आर्थिक विकास दर, जब आप वित्त मंत्री थे 2.9 प्रतिशत थी और आज बढ़कर 11.30 प्रतिशत हो गयी है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, यह आर्थिक विकास दर कॉंग्रेस के शासनकाल का जो अंतिम वित्तीय वर्ष, 2006–07 था, तब 11.21 था। माननीय अध्यक्ष जी, अब कितनी विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई है ?

(कई सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं ओम गोपाल जी को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि विधान सभा में आने के लिए इनके लिए भी बैरियर लग गये हैं। (कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) भाई ओम गोपाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको आपका बैरियर नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे और ये लोग जो वर्ष, 2012 में आपका बैरियर लगाने जा रहे हैं। उस बैरियर को हटाकर आप इस सदन तक पहुँच सकते हो। (हँसी) (कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, भाई प्रेम जी इसी तरह बोलते रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि उनको ऋषिकेश से देहरादून तक आने में, माननीय प्रेम जी, यह बैरियर केन्द्र सरकार नहीं लगा रही है। मान्यवर, अगर इस तरह का बजट प्रस्तुत होगा, गरीब के

खिलाफ, नौजवान के खिलाफ बजट प्रस्तुत होगा, तो माननीय 'निशंक' जी, यह बैरियर आपके देहरादून और इस सदन तक आने में लगा रहे हैं। हरक सिंह रावत और केन्द्र सरकार नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय प्रेम जी, वह बैरियर तो हट जायेगा, लेकिन इस सदन में आने के लिए जो बैरियर इस सरकार ने लगाया है वह बैरियर नहीं हटने वाला है। अगर सच्चाई कहोगे तो वह बैरियर हट जायेगा। (कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है और सपने देखने चाहिए, हम सपना देख रहे हैं इस उत्तराखण्ड के उज्जवल भविष्य का, हम सपना देख रहे हैं इस प्रदेश की माता–बहिन के कल्याण का, हम सपना देख रहे हैं इस प्रदेश के नौजवानों का, हम सपना देख रहे हैं जोशीमठ या दूर–दराज के गांव के पानी की उपलब्धता का, हम सपना देख रहे हैं धारचूला में, मंगलौर में किसानों की समस्याओं के निराकरण का, हम सपना देख रहे हैं अल्पसंख्यक भाइयों के स्वाभिमान का, हम सपना देख रहे हैं दलित भाइयों के उत्थान का, अगर यह सपना देख रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं और यह सपना हम हमेशा देखेंगे और तब तक देखते रहेंगे जब तक इस प्रदेश का, (हँसी) (कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अगर अजय जी ने भी समाज कल्याण मंत्री रहते हुए इस प्रदेश के वृद्ध, विधवा एवं विकलांगों के भविष्य का सपना देखा होता और उनके खुशहाली का सपना देखा होता आप मंत्री पद से नहीं हटते। अरे, ऊधम सिंह नगर से क्या नाराजगी हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन माननीय 'निशंक' जी ने तो बंशीधर भगत जी को भी वनवास दे दिया। कितने महीने का दिया था। माननीय अरविन्द जी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नत से, बड़े लम्बे–लम्बे टीका लगाकर, बड़ी परिक्रमा करके माननीय बंशीधर भगत जी का वनवास समाप्त हुआ है अब उनको पद से हटाने की बात आप कह रहे हैं। (हँसी) अरे, जब कोई मंत्री हटेगा तब ही तो माननीय अजय टम्टा मंत्री बनेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो विकास की दर है कॉंग्रेस के शासन काल में वित्तीय वर्ष, 2006–2007 में 11.24 प्रतिशत थी, जिसको बड़ी उपलब्धि के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, कि हमने 11.30 प्रतिशत कर दी है। कितनी वृद्धि हुई विकास दर में माननीय अध्यक्ष जी, .06 प्रतिशत ? क्यों गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सिंघल जी ? माननीय अध्यक्ष जी, .6 भी नहीं, कौशिक जी कभी–कभी आप जो हैं, माननीया विजया बड़थ्वाल जी कहाँ हैं, आज नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनको बड़ा समझाना पड़ता है क्योंकि ये 800.99 को 809 कह देते हैं और कौशिक जी कहते हैं नहीं सही है। कौशिक जी, ये .6 प्रतिशत की वृद्धि नहीं है ये .06 प्रतिशत की वृद्धि है। 100 में से छठवाँ हिस्सा भी वृद्धि नहीं हुई है .06 प्रतिशत। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये भी निकालना नहीं आ रहा है प्रेम जी, जो दुकान में बैठकर मुझे लग रहा है, आपने खूब चपत लगाई होगी। (हँसी) देखो, मैंने पहले भी कहा था तय कर लो, बीच में टीका टिप्पणी करोगे तो अभी 01.11 हुआ है, अभी भी समझौता कर लो।

माननीय अध्यक्ष जी, इस भारतीय जनता पार्टी ने हम पर 56 घोटाले का आरोप लगाया है और सवा चार सालों में इस सरकार ने चार सौ बीसी करके, चार सौ बीस घोटाले किये हैं और इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक श्री 'निशंक' जी को कल सुन नहीं पाये तो शायद श्री अरविन्द जी आज बदला ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में सबसे अन्त में आय दिखाई है 18340.95 करोड़ और व्यय कितना है यह राजस्व प्राप्तियों और पूँजिगत प्राप्तियों यह दोनों मिलाकर व्यय कितना है, 19356.91 करोड़ रुपया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कैसा सरप्लस बजट है, आप कैसे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपने कहा कि हमने सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन स्वयं तय करेगा कि 690 करोड़ रुपये का घाटा जो टोटल आमदनी में, प्लान और नॉनप्लान मिलाकर जो घाटा है, खर्चा है, व्यय है, वह अधिक है। माननीय श्री प्रेम जी, आपकी दुकान में अगर आमदनी कम हो और खर्चा अधिक हो, बहन श्रीमती आशा जी आप अपना घर चलाएंगी तो खर्चा डेढ़ सौ रुपया और आमदनी सौ रुपया हो तो आपकी रसोई कैसे चलेगी ? (व्यवधान) आप धैर्य से सुनें, माननीय श्री 'निशंक' जी में कितना धैर्य है वे बहुत धैर्य से सुन रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

श्रीमन्, कम से कम इस सदन ने माननीय नेता प्रतिपक्ष को कुछ भी बोलने की छूट दी है तो हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैंने एक किस्सा सुनाया था जो मैं अब नहीं सुनाऊँगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

मान्यवर, आप सुना दें क्योंकि आप सुनायेंगे जरूर।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं माननीय श्री निशंक जी को सुना चुका हूँ, श्री सुभाष कुमार जी को सुना चुका हूँ, घर पर भी सुना चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी गैलरी में भी लोग बैठे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं वापस ले लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री निशंक जी ने कहा कि हम कुछ भी कह सकते हैं तो मेरे साथ बड़ी अजीबो—गरीब स्थिति हुई। मैं एक दिन अपने किसी मित्र के यहाँ गया हुआ था तो उन्होंने कहा कि रावत जी, आप क्या लेंगे, विस्की लेंगे या रम लेंगे ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष की तबीयत खराब है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह रावत की तबीयत खराब हो सकती है, हरक सिंह रावत की कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन जब इस प्रदेश की जनता के दर्द की बात आती है तो हरक सिंह रावत का दर्द बौना हो जाता है, हरक सिंह रावत का दर्द पीछे हो जाता है और प्रदेश की गरीब जनता का दर्द ऊँचा हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया था, मेरे मित्र ने कहा, रावत जी कुछ लेंगे, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ थोड़ी देर में पैग लगाने लगे, मैंने कहा, भैया मैंने आपसे कहा है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, फिर भी ये पैग क्यों लगा रहे हो तो वे कहने लगे, रावत जी, आपने ही तो कहा कि कुछ नहीं लूँगा, मैं वही पैग लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा कैसे ? तो उन्होंने कहा, आप बोतल देख लो। मान्यवर, बोतल पर ही शराब की ब्राण्ड का नाम नहीं था। (हँसी) मान्यवर, उस दिन से कहीं जाता हूँ तो यह कभी नहीं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं लूँगा।

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद नहीं होती कि वे ऐसी संगत में बैठें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे लगता है कि आज वह बैरियर लगाना ही पड़ेगा। (हँसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, प्रेम जी कई बैरियरों को तोड़कर आये हैं, इनको पता है कि बैरियर कैसे तोड़े जाएं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे पता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं देहरादून की जेल में था तो मैं जेल से बाहर निकल रहा था, तो भाई प्रेम जी जेल के अंदर जा रहे थे। (हँसी)

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, विषय तो बता दीजिये कि किस कारण से गये थे। यह पता होना चाहिए। मान्यवर, कहीं ऐसा न हो कोई गलतफहमी पैदा हो जाये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सामाजिक आन्दोलन के लिए गये थे।

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, रामजन्म भूमि का प्रकरण था।

डा0 हरक सिंह रावत—

मानीय प्रेम जी, यह कैसे हो सकता है कि सदन को और इस प्रदेश की जनता को आप पर भी भरोसा है और मुझ पर भी भरोसा है कि आप कोई गलत बात के लिए जेल नहीं गये होंगे। आप सामाजिक आंदोलन के लिए ही जेल गये होंगे।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, उस समय आप इधर के थे।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैंने हमेशा कहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हरक सिंह रावत माँ के पेट से भारतीय जनता पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुआ है, बल्कि हरक सिंह रावत माँ के पेट से भारत के नागरिक और उत्तराखण्ड के नागरिक के रूप में पैदा हुआ है। मान्यवर, हमारी पहली आस्था देश के प्रति है, उत्तराखण्ड की जनता के प्रति है, उसके बाद दल के प्रति है और आपकी पहली आस्था दल के प्रति है तथा देश और प्रदेश की जनता के प्रति दूसरे नम्बर पर है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो 690 करोड़ रू0 का घाटा है, इसको कहाँ से पूरा करेंगे ? पब्लिक एकाउंट्स से, या लोक लेखा से ? मान्यवर, यह कौन सा तरीका है। आप प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई की पूंजी है, उससे पैसा लेकर अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो और फिर कहते हो, अपनी पीठ थपथपाते हो। मान्यवर, माननीय 'निशंक' जी का फोटो आज अखबारों में देखने को मिला तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रीफकेस में न जाने कौन सा पिटारा खोल दिया हो जनता के लिए। मान्यवर, उत्तराखण्ड की जनता के साथ आपने धोखा किया है।

(माननीय परिवहन मंत्री श्री बंशीधर भगत द्वारा बैठे—बैठे कहा गया "लेकिन अखबार वालों ने क्यों लिख दिया। धोखा किया तो धोखा किया लिखना चाहिए था।")

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, अभी 6 महीने बाद बताऊँगा कि क्या लिखा है। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डे द्वारा बैठे—बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, खिलाओ। अरविन्द जी, खिलाने की हिम्मत तो होनी चाहिए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी हिम्मत तो हम वर्ष, 2009 के लोक सभा चुनाव में देख चुके हैं। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। (व्यवधान) निजामुद्दीन जी, देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं ? (व्यवधान) आपकी हिम्मत तो अरविन्द जी....

*श्री अरविन्द पाण्डे—

मान्यवर, विकासनगर में देखी थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, ऐसे गली—गली, मुहल्ले में मत लड़ो। पूरे प्रदेश की जनता के सामने जब वर्ष, 2009 में लड़े थे तो जीरो रन। (व्यवधान) हमने तो स्वीकार किया था। माननीय अध्यक्ष जी, इतना आत्मबल होना चाहिए। मैंने इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार किया था।

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)—

मान्यवर, आत्मबल की तो आपकी कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान) आपने बहुत झटके खाये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा था कि यदि इस तरह सरकार के मंत्रीगण खड़े होकर बोलते रहेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

जब आप उनका नाम लेकर पुकारोगे तो वे क्या करेंगे ? (हँसी) आप बंशीधर जी से कहेंगे, बंशीधर, तो क्या वे जवाब नहीं देंगे ? (हँसी) आप जब प्रेम चन्द जी को प्रेम कहेंगे तो क्या वे नहीं बोलेंगे ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रेम को प्रेम नहीं कहूँगा तो क्या दुश्मन कहूँगा ? (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, यह जो 18310.95 करोड़ की आय है, जिसके विरुद्ध 19366.91 करोड़ का व्यय है, इसमें विकास पर कितना लग रहा है ? (व्यवधान) आपने संभावना व्यक्त की है कि 6561.29 करोड़ की वार्षिक योजना होगी। माननीय अध्यक्ष जी, निर्माण कार्य में, जिससे प्रदेश का विकास होगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, पॉलीटैक्निक खुलेंगे, आई0टी0आई0 खुलेंगे, पेयजल की योजनाएं बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, इन सारे विकास के कार्यों पर आप कितना खर्च कर रहे हैं, 13.01 प्रतिशत, वन टेन। इस 19366.91 करोड़ में से विकास के कार्यों के लिए, देहरादून की सड़कों के लिए, नालियों के लिए, शौचालयों के लिए, धारचूला के गाँवों के विकास के लिए, मंगलौर के गाँवों के विकास के लिए, चम्पावत के गांव के विकास के लिये केवल 13.06 प्रतिशत इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ा सवाल आज इस सदन के सम्मुख और प्रदेश की जनता के सम्मुख है कि हम 100 रुपये में से केवल 13 रुपये के आस—पास खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, कल बड़ी—बड़ी बातें हो रही थीं, बड़े—बड़े आंकड़े दिये जा रहे थे, यह सब हवा—हवाई हो गया है। माननीय रणजीत सिंह रावत जी कल एक नारा लगा रहे थे कि "हवा—हवाई सरकार", उस समय मेरी समझ में नहीं आ पाया था, लेकिन रात में जब मैंने इस बजट को पढ़ा, जब मैंने इन आंकड़ों को देखा तो मेरी समझ में आ गया कि माननीय रणजीत सिंह रावत जी जो नारा लगा रहे थे, वह बिलकुल सच है कि यह हवा—हवाई सरकार है, उड़न खटोले पर चलने वाली सरकार है। मान्यवर, यह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कल यहाँ पर बड़े जोर—जोर से

तालियां बजा रहे थे, किस चीज के लिये तालियां बज रहीं थी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े यह बताते हैं, यह आपकी सरकार का ग्राफ है, मुझे आज यह समझ में आ रहा है कि कल जब हमारे सत्ता पक्ष के साथी तालियां बजा रहे थे, वह 'निशंक' जी के लिये नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा, डा0 मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा, प्रदेश की जनता के लिये, प्रदेश के सामाजिक विकास के लिये, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये जो सहयोग दिया जा रहा है, उसके लिये थी। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का राजस्व कितना है, मात्र 25.01 प्रतिशत, अर्थात एक चौथाई। इस प्रदेश की अपनी कमाई कितनी है, 25 प्रतिशत, अर्थात चवन्नी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश सरकार की आमदनी केवल अपनी आय स्रोतों पर, अपने संसाधनों के बलबूते पर, आपका योगदान केवल 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत किसका योगदान। जो 19 हजार राजस्व प्राप्तियों और पूँजी प्राप्तियों हैं, उसमें 75 प्रतिशत का योगदान ? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप के केन्द्र सरकार का और माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि डा0 मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के हाथों में (माननीय सदस्य मदन कौशिक जी द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहा गया।) और केन्द्र सरकार की चेयरपर्सन (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार की चेयरपर्सन माननीय सोनिया गाँधी जैसे मजबूत हाथों में अगर व्यवस्था होगी और माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था जब कृष्ण-राम के हाथों में गयी तो मुक्ति का कारण बन गयी, जब सूरदास और कबीर के हाथों में गयी, गुरु गोबिन्द के हाथों में गयी तो भक्ति का प्रतीक बन गयी, और यही व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, जब नेहरू, शास्त्री जी के हाथों में गयी, ये युक्ति बन गयी और जब व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, झांसी की रानी स्व0 इंदिरा गाँधी के हाथों में गयी तो शक्ति का प्रतीक बन गयी और वही व्यवस्था जब राजीव जैसे नौजवान हाथों में गयी तो उन्नति का प्रतीक बन गयी, (व्यवधान) वो उन्नति का प्रतीक बन गयी और वही व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, जब कमजोर हाथों में गयी तो अशक्ति बन गयी और जब भ्रष्ट, घोटालेबाजों के हाथों में यही व्यवस्था गयी तो विरक्ति बन गयी। स्टर्डिया घोटाला मालूम नहीं, पावर प्रोजेक्ट घोटाला मालूम नहीं सैफ गेम्स का घोटाला मालूम नहीं, कुम्भ मेले का घोटाला मालूम नहीं, (व्यवधान) और माननीय अध्यक्ष जी, जब यही व्यवस्था सोनिया जैसी चेयरपर्सन और मनमोहन सिंह जी के हाथों में गयी, ये सशक्ति का प्रतीक बन गयी, आर्थिक उन्नति का प्रतीक बन गयी। (व्यवधान) निश्चित रूप से लोगों के दिल की बात को कैसे बताऊँ, न आप हमारी बात को सुनते हैं, आपने मन लगाकर सुना होता तो मुझे आज इतनी ऊँची आवाज में कहने की आवश्यकता नहीं होती और एक कवि ने कहा है कि "कोई नाराज है हमसे कि हम कुछ नहीं कहते कहाँ से लायें वो लफ्ज जब वह मिलते नहीं, दर्द की जुबान होती तो बता देते सायं वह जख्म कैसे बतायें" मान्यवर, जो जख्म इस उत्तराखण्ड की जनता के दिलों पर लगे हैं। (बैठे-बैठे किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आप भी तो पराये नहीं हो, यह ठीक

कह रहा हूँ ओम गोपाल जी, मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ, आप इस प्रदेश के भी अपने हो, आप ही लोगों ने जख्म लगाये हैं। वह जख्म कैसे बतायें जो दिखते नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, मुझे मालूम है कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। हमारे शासन काल में, चार वर्षों में, वार्षिक योजना में 14469 करोड़ खर्च हुए और कॉंग्रेस शासनकाल में 11312 करोड़ खर्च हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सम्मुख यह रखना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस के शासनकाल में पाँच वित्तीय वर्षों में वर्ष, 2002-03 में परिव्यय था 1534 करोड़ रुपये का और खर्च हुआ 1452 करोड़ रुपये, वर्ष, 2003-04 में परिव्यय था 1608 करोड़ रुपये का और खर्च हुए 1682 करोड़ रुपये, माननीय अध्यक्ष जी, 110 प्रतिशत खर्च हुआ है। वर्ष, 2004-05 में परिव्यय 1865 करोड़ रुपया था और खर्च हुआ 1825 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में परिव्यय 2734 करोड़ रुपये था और खर्च हुआ 3003 करोड़ रुपये। मान्यवर, 2700 करोड़ रुपये परिव्यय था और कॉंग्रेस के शासनकाल में खर्च हुआ 3000 करोड़ रुपये। वर्ष, 2006-07 में जरूर माननीय अध्यक्ष जी, 4000 करोड़ रुपये का परिव्यय था और 3250 करोड़ रुपये खर्च हुआ, यह माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हुआ कि वर्ष, 2006-07 में चुनाव का वर्ष था। दिसम्बर में आचार संहिता लग गई थी। इसलिए दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष जी कॉंग्रेस के शासनकाल के पाँच वर्षों में 11 हजार 741 करोड़ का परिव्यय था और खर्च हुआ 11 हजार 312 करोड़ रुपये। जो परिव्यय था माननीय अध्यक्ष जी, लगभग उसके आस-पास खर्च हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके शासनकाल में वार्षिक योजना में, मैं अलग-अलग वर्षों का आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। चार वित्तीय वर्षों का आंकड़ा दे रहा हूँ। चार वित्तीय वर्षों में आपका कुल परिव्यय था 21 हजार 755 करोड़ रुपये और आपने खर्च किया है 14 हजार 469 करोड़ रुपये। (शेम-शेम की ध्वनि) कितना लैप्स हुआ है, 7 हजार 286 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के शासन में लैप्स हुआ है। इस प्रदेश के विकास का पैसा लैप्स हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत विद्वान हैं। यह पैसा लैप्स होता है क्या ? परिव्यय और बजट दोनों में अन्तर क्या रहता है यह तो स्पष्ट कर दें।

डा0 हरक सिंह रावत-

जिस तरह से हमारे यहाँ 27 सौ करोड़ का परिव्यय था, हम लक्ष्य से ऊपर पहुँचे। अगर आपका जो टोटल परिव्यय था आपने 100 प्रतिशत खर्च किया होता तो इतनी गुंजाइश होती। आप उस परिव्यय के नजदीक भी नहीं पहुँच पाये। लैप्स से मेरा मतलब लैप्स नहीं है। आपको भारत सरकार द्वारा एक लक्ष्य दिया गया था, चार वित्तीय

वर्षों में 21 हजार 755 करोड तक आप खर्च कर सकते हो। अपनी परिव्यय की सीमा को बढा सकते हो, व्यय इतना तक बढा सकते हो। लेकिन आपके नकारापन के कारण 7 हजार 286 करोड रुपये से इस प्रदेश को वंचित कर गये। माननीय अध्यक्ष जी, यह आंकडे मेरे नहीं हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने जो अपने लिए आंकडे तैयार किये हैं, वह आंकडे हैं। मैं जानता हूँ मैंने पहले ही कहा वे क्या करते। वह यह करते कि यह राशि कहते कि हमने व्यय किया है 14 हजार 600 और कॉंग्रेस ने किया 11 हजार 300 करोड रुपया। हमने इतनी वृद्धि की है। लेकिन यह नहीं कहेंगे कि हमारे समय में, जब आपकी सरकार थी वर्ष, 2002 से पहले वार्षिक योजना 900 करोड रुपया थी तो उस समय एक कि0मी0 सडक पर लगता था 11 लाख रुपया और आज एक कि0मी0 सडक के निर्माण पर खर्च हो रहा है 40 लाख रुपया। जब वार्षिक योजना बढ गई तो खर्च तो बढेगा ही। लेकिन टोटल परिव्यय अगर आपको एक रुपया दिया गया था तो एक रुपये में आपने कितना खर्च किया तो यह आपकी कारीगरी होती। मान्यवर, जब कॉंग्रेस की सरकार थी, मैं अलग–अलग वर्षों का आंकडा नहीं दे रहा हूँ, उस समय टोटल 209 करोड रुपये का परिव्यय था, इसके विरुद्ध स्वीकृत भी, अवमुक्त भी और व्यय भी 209 करोड रुपये खर्च हुआ। मान्यवर, आपकी सरकार में परिव्यय था 326 करोड रुपये का, आप खर्च कर पाये 257 करोड रुपये, 69 करोड रुपये परिव्यय से पीछे रह गये, आपको पीछे रहने की आदात हो गयी है। मान्यवर,

माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का, जो बी0ए0डी0पी0 की योजनायें, हमारी सरकार के शासनकाल में 121.28 करोड रुपये का परिव्यय था, खर्च भी उतना ही रहा। आपके शासनकाल में 201 करोड रुपया था, आप इसके थोडा नजदीक पहुँचे जो कि 198 करोड रुपये खर्च कर पाये, लेकिन हमारे मुकाबले फिर भी नहीं पहुँच पाए। माननीय अध्यक्ष जी, कॉंग्रेस के शासनकाल में जो सडकें स्वीकृत हुई हैं। दिनेश जी बहुत बडी उपलब्धि है, वह 11 हजार 15 कि0मी0 है और कितने पुल बने इसका आंकडा भी दे रहा हूँ और आपके शासनकाल का भी आंकडा दूँगा, तभी तो तुलना होगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ? (हँसी) (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं वही आंकडे दूँगा जिसमें आप फिसड्डी निकल रहे होंगे, मैं मास्टर आदमी हूँ, (हँसी) जहाँ आपकी कमियाँ होंगी वहीं मेरी कलम चलेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शहजाद जी से कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में भी पुल बने होंगे, माननीय तिवारी जी के कार्यकाल में, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) पाँच साल में 397 पुल बने, आप उतने कि0मी0 की सडकें बना पाये, यह भी कॉंग्रेस के शासनकाल की स्वीकृतियाँ हैं। इसमें प्रधानमंत्री सडक की भी हैं, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

वह 9 हजार 919 कि0मी0, आपने पुल कितने बनाये ? मान्यवर, यह सब पुल और इनके शासनादेश और इनके काम कॉंग्रेस के शासनकाल में हो गये थे, ये सब काम जो पूरे इनके कार्यकाल में हुए हैं। मान्यवर, इनके शासनकाल में केवल 273 पुल स्वीकृत हुए हैं। (व्यवधान)

(श्री अधिष्ठाता, माननीय दिनेश अग्रवाल के पीठासीन होने पर।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग में भी कॉंग्रेस के शासनकाल में 56 करोड रू0 के विरुद्ध 50 करोड रू0 के लगभग खर्च हुआ। आपके शासनकाल में 291 करोड रू0 के सापेक्ष 277 करोड खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (मनरेगा) माननीय अध्यक्ष जी, कॉंग्रेस के शासनकाल में संचालित नहीं थी। वर्ष, 2006–07 में भारत सरकार ने इसे संचालित किया तो कॉंग्रेस के शासनकाल में वर्ष, 2006–07 में जो स्वीकृत धनराशि थी, 71 करोड 13 लाख थी जिसके विरुद्ध 48.50 करोड रू0 खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछले चार वित्तीय वर्षों में जो कुल धनराशि स्वीकृति हुई है 1015.01 करोड रू0 हुई है मनरेगा में, जिसके विरुद्ध 814.07 करोड रू0 व्यय हुए हैं। 201 करोड रू0 जो उत्तराखण्ड के नौजवानों को, उत्तराखण्ड की गरीब महिलाओं को, जिससे रोजगार मिल सकता था अगर ये 201 करोड रू0 मनरेगा में व्यय किया जाता तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के लोगों को रोजगार मिल पाता लेकिन इस सरकार की विफलता के कारण ये 201 करोड रू0 का हम उपयोग नहीं कर पाए।

प्रधानमंत्री सडक योजना में माननीय अध्यक्ष जी, कुल धनराशि स्वीकृत हुई थी कॉंग्रेस के शासनकाल में 233.55 करोड रू0। व्यय हुआ माननीय अध्यक्ष जी, 312। माननीय गुनसोला जी, 233.55 करोड रू0 स्वीकृत धनराशि में से 110% अर्थात् 312.23 करोड रू0 धनराशि का खर्च किया कॉंग्रेस सरकार ने (मेजों की थपथपाहट)। अगर हमारी सरकार ने बहादुरी का काम किया है और प्रधानमंत्री सडक योजना को सुचारू रूप से संचालित किया है प्रदेश में, तो इस पर तालियाँ बजायी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सरकार की स्थिति देख लीजिए। टोटल परिव्यय पिछले चार वित्तीय वर्षों में स्वीकृत हुआ है 823.95 करोड रू0 और खर्च हुआ 800.30 करोड रू0 और 23.60 करोड रू0 माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सडक योजना में यह सरकार इस प्रदेश की सडकों के लिए उपयोग नहीं कर पायी। इन्दिरा आवास में माननीय अध्यक्ष जी, कॉंग्रेस के शासनकाल में 145.85 करोड रू0 कुल परिव्यय स्वीकृत हुआ था, इसके विरुद्ध माननीय अध्यक्ष जी, 133.19 करोड रू0 व्यय हुआ। इस प्रकार कुल 12 करोड रू0 व्यय करने में हम पीछे रहे। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान्यवर, जो कुल स्वीकृतियाँ हैं 250.18 करोड रुपया, इसके विरुद्ध इन्होंने व्यय किया है

208.05 करोड़ रुपया, कुल 42 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष जी, इन्दिरा आवास में यह सरकार व्यय नहीं कर पाई, इस प्रदेश के गरीबों को आवास उपलब्ध नहीं कर पाई, यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है। मान्यवर, त्वरित शिक्षा योजना स्वीकृत धनराशि कांग्रेस के शासनकाल में 403 करोड़ रुपया है और माननीय अध्यक्ष जी, व्यय हुआ 392 करोड़ रुपया और इनके 4 वित्तीय वर्षों में परिव्ययता 980.36 करोड़ रुपया है और ये व्यय कर पाये 867.03 करोड़ रुपया। मान्यवर, 113 करोड़ रुपया शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में ये खर्च नहीं कर पाये, जो जीवन–रेखा है। मान्यवर, खेत–खलिहानों का माननीय कृषि मंत्री जी, खेत और खलिहान की सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा तो पैदावार नहीं होगी और पैदावार नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में कांग्रेस के शासनकाल में 988.78 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था 5 वित्तीय वर्षों में, मेरे पास हर वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं, लेकिन मैं कुल मिलाकर आंकड़ा दे रहा हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपके माध्यम से।

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अधिष्ठाता जी, क्यों यह परिपाटी है, यह सामान्य विवाद में कि जो नीतिगत विषय हों उन्हीं का उल्लेख हो, लेकिन हम अगर ब्यौरेवार या मदवार चर्चा करने लगे तो समय ज्यादा लगेगा उस पर चर्चा हो, आप कहें तो मैं उद्घृत भी कर सकता हूँ, समय–समय पर इस विषय पर जो दृष्टांत आये हैं, जो माननीय अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिये गये हैं, उन सब में यही निर्णय दिया गया है कि सामान्य नीतिगत विषयों पर सामान्य विवाद होता है और विभागवार अनुदानवार चर्चा करने लगेंगे तो यह उचित भी नहीं रहेगा और परिपाटी भी नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, परिपाटी भी नहीं है और अगर आप कहें तो मैं बता दूँ कि 16 फरवरी, 1965 को माननीय अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय को बता सकता हूँ, 21 फरवरी 1958 को क्या निर्णय माननीय अध्यक्ष पीठ से दिया गया है और ये सारे निर्णय इसी विषय पर हैं कि नीतिगत चर्चा ही सामान्य विवाद में होती है और माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो सरकार की नीतियाँ हैं उन नीतियों की आलोचना–समालोचना कर सकते हैं, लेकिन आप विभाग की मदवार चर्चा कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं विभाग की मदवार चर्चा नहीं कर रहा हूँ और अगर विभाग के मदवार चर्चा करने लगा तो बहुत लम्बा हो जायेगा।

*काजी मो0 निजामुद्दीन—

मान्यवर, यदि माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो उनको भी बीच में टोकने की परिपाटी भी नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, अगर परिपाटी का परिपालन हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इस विषय को निश्चित रूप से व्यवस्था के प्रश्न के जरिये रखा जा सकता है, यह परम्परा है और हम जो परम्परा डालेंगे वही आगे की परम्परा बनेगी।

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बजट भाषण पर कह रहा हूँ और बजट में इस प्रदेश के विकास में आप क्या कुछ कर पाये, क्या उम्मीदें आपसे हैं, एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सरकार को आइना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान्यवर, अगर मैं विभागवार, मदवार कहूँगा तो 10 घण्टे भी कम पड जायेंगे, मैं तो हर वित्तीय वर्ष की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो कॉग्रेस के शासनकाल में 5 वर्ष में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन जवाब देंगे तो उस दिन वे हमको हमारा आइना दिखायेंगे, हम उनको आइना दिखा रहे हैं, आपकी सरकार को आइना दिखा रहे हैं। मान्यवर, आप में हिम्मत होनी चाहिए, दर्पण में अपनी शक्ल देखने की। माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल योजना में 01 हजार 6 करोड रुपये का परिव्यय था चार वित्तीय वर्षों में इनकी सरकार में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पिछले चार वर्ष में आप कुछ नहीं कर पाये, तो अब इनसे कोई उम्मीद नहीं कि इस वित्तीय वर्ष में कुछ कर पायेंगे। मान्यवर, इन्होंने खर्च किया 826 करोड रू0। मान्यवर, पेयजल में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह आंकडा देखकर मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेयजल के क्षेत्र में। पेयजल आपके पास है।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, मेरे पास तो सब कुछ है, यह एक कलैक्टिव रिसपॉसिबिलिटी है।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, ठीक है यह तो होती है। मुझे लगता है कि जब तक मैं दूसरे विभागों, कृषि विभाग की बात कर रहा था, मुख्यमंत्री के विभाग की बात कर रहा था तो संसदीय कार्य मंत्री जी को नियमावली नहीं दिखायी दी क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खुद चाहते थे कि मुख्यमंत्री से सम्बन्धित विभागों का सदन के अंदर खुलासा हो, लेकिन जैसे ही मैंने पेयजल पर बात शुरू की तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रदेश के गरीब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को उनकी प्यास को बुझाने के उपाय करने के बजाय नियमावली का हवाला देकर हरक सिंह रावत की आवाज को बंद करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली का हवाला देकर माननीय मंत्री जी इस सदन में भले ही मेरी आवाज को बंद करना चाहें, लेकिन यह हरक सिंह रावत की आवाज विपक्ष की आवाज है। हरक सिंह रावत की आवाज तो दब सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की आवाज नहीं दब सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की आवाज में इस प्रदेश के प्यासे लोगों की आवाज है, जिनको जाड़े के दिनों में भी, वर्षा के दिनों में भी, जो पांच–पांच किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते रहे, नीचे गदेरे में जाकर, वह भी बर्षाती कीड़े का पानी लाते रहे, ऐसा पानी जिससे प्रदेश में संक्रामक रोग फैल गये, महामारी फैल गयी और उसका नतीजा हुआ कि लोग हाहाकार में जी रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो यह सरकार है यह कॉग्रेस पर आरोप लगाती रही है, केन्द्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि केन्द्र सौतेला व्यवहार कर रही है।

मान्यवर, जब कॉग्रेस की प्रदेश में सरकार थी, तब जवाहर लाल नेहरू नेशनल रिन्यूवल मिशन नहीं था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद और केन्द्र में कॉग्रेस की सरकार होने के बाद यह योजना इस उत्तराखण्ड में शुरू की गयी और माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकता था लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 332 करोड़ रू0 भारत सरकार ने दिया और केवल 167 करोड़ रू0 ही ये खर्च कर पाये, इससे प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था, प्रदेश के विकास पर जो पैसा लगना चाहिए था, वह हम नहीं लगा पाये। मान्यवर, यह खामियाँ कैसे हैं ? राजीव गाँधी विद्युतीकरण में भी यही स्थिति है। त्वरित विद्युत विकास में भी यही स्थिति है। ये अपने लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुँच पाए।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अब एक–एक लाईन में बोल रहा हूँ। अब अगर बीच में बोलोगे तो पूरा–पूरा बोलूँगा।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, धमका नहीं रहा, प्यार से कह रहा हूँ। आप धमकाने की भाषा समझते हैं या प्यार की भाषा समझते हैं ?

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा बैठे–बैठे कहा गया ''हम तो प्यार की भाषा समझते हैं।'')

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं प्यार से ही कह रहा हूँ। अब तो समझ गए ना। (व्यवधान) मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, इसमें 326 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, केवल 256 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। समग्र विकास योजना, बाल विकास योजना, मैं अब अपने आंकड़े नहीं दे रहा, केवल आपके आंकड़े देकर काम चला रहा हूँ। फिर यह मत कहना कि आप अपना आंकड़ा तो दे ही नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, आप तो बड़े अन्तर्यामी हैं। मैं अन्दर ही अन्दर क्या महसूस कर रहा हूँ, वह भी आप समझ जा रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि आप अन्दर ही अन्दर क्या महसूस कर रहे हैं। (व्यवधान) मुझे पीड़ा आपकी भी है।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, मुझे पीड़ा आपकी कमर की भी है।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है, जब आपने प्रदेश की गरीब जनता की कमर तोड़ दी है, तो हरक सिंह रावत की कमर एक हजार बार, एक लाख बार भी टूटती है तो उसकी चिन्ता नहीं है।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा बैठे—बैठे कहा गया ''डॉक्टर ने आपको हिलने—डुलने से मना किया है।'')

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अधिष्ठाता जी, ठीक है, डॉक्टर ने हिलने—डुलने से मना किया है। (व्यवधान) आपको आंकड़े दिखाने से मना नहीं किया, आपको आईना दिखाने से मना नहीं किया है। सदन के सामने सच्चाई रखने से डॉक्टर ने मना नहीं किया है।

(माननीय कृषि मंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा बैठे—बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय त्रिवेन्द्र जी, मुझे आपकी भी पीड़ा मालूम है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि वे अन्दर से क्या सोच रहे हैं, मुझे मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है कि त्रिवेन्द्र भाई और प्रकाश पन्त भाई आप दोनों सोच रहे हो कि अब केवल 7—8

महीनो बचे हैं, हमारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचना अब असंभव जैसा लग रहा है। अब तक तो आप लोगों को लग रहा था कि 'निशंक' जी को हिला–डुला कर....(व्यवधान)

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा बैठे–बैठे कहा गया "जो जैसा होता है, दूसरे को भी वैसा ही समझता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं कह रहा।")

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हाँ, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मैं तो स्वयं एम0ए0 प्रीवियस में मिलिट्री साइंस में मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, मिलिट्री साइंस में मनोविज्ञान है। मिलिट्री में जो लोग होते हैं, क्या उनका मनोविज्ञान नहीं होता ? (व्यवधान) इस सदन में आप लोग बैठे हैं, क्या आपका मनोविज्ञान नहीं है ? इसलिए मैं आपके मनोविज्ञान, आपकी मनःस्थिति को समझता हूँ। आप कह नहीं पाते लेकिन मैंने अपेक्षित शब्द दे दिये, आपकी पीड़ा को, आपकी मनोभावनाओं को। क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ष, 2012 में कॉंग्रेस की सरकार आ जाएगी। फिर वर्ष, 2017 में चुनाव होगा, ना जाने तब हम होंगे या ना होंगे। (व्यवधान)

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, अच्छा भाषण लम्बाई के हिसाब से तो नहीं नापा जाता ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, स्वास्थ्य मिशन में 559 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। ये भारत सरकार की योजना बता रहा हूँ, आपको। जो भारत सरकार ने इस प्रदेश के लिए दी हैं। जिसमें 108 भी है। आप केवल 358 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाए। इसमें लक्ष्य के नजदीक पहुँचने की कोशिश आपने जरूर की लेकिन लक्ष्य फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए। मान्यवर, कृषि विकास योजनाओं में आर.के.वी.वाई. मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि उनकी क्या स्थिति है। 112.26 करोड़ रुपया आपको पिछले चार वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है, आप खर्च कितना कर पाये, मात्र 70.51 करोड़ रुपया, कृषि मंत्री जी, आप भी अपना आईना देख लीजिये, अपनी कारगुजारी देख लीजिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसे ही सीमान्त क्षेत्र योजना में सीमान्त क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार पैसा दे रही है। जब कॉंग्रेस की राज्य में सरकार थी, तब यह योजना यहाँ पर स्वीकृत नहीं थी, केन्द्र सरकार पर जो सौतेले व्यवहार का आरोप लगाता है। जब केन्द्र में कॉंग्रेस की सरकार नहीं थी और प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी, तो यह योजना नहीं थी। आज केन्द्र में कॉंग्रेस की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी यह योजना लागू हुई है। इसमें 41.31 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, आप केवल 29 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये।

मान्यवर, यह इसे खर्च नहीं कर पाये। इसी प्रकार से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जो अनुसूचित जाति के विकास के लिये इनके शासनकाल में भारत सरकार से 3831 करोड़ रुपये मिले और सरकार ने खर्च किया है मात्र 1338.58 करोड़ रुपये। माननीय शहजाद जी, 2485.66 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिये, उनके विकास के लिये खर्च नहीं किये गये थे। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिये 628 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे, लेकिन इसका एक तिहाई मात्र 210 करोड़ रुपये ही सरकार खर्च कर पाई। (शेम-शेम की ध्वनि) केन्द्र पोषित टोटल योजनाओं में वर्ष, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जनवरी, 2011 तक जो टोटल परिव्यय था, वह 21528.33 करोड़ रुपये था, इन तमाम योजनाओं में 2697.26 करोड़ रुपये लैप्स हुआ है। माननीय शहजाद जी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये पिछले चार वित्तीय वर्षों में 155.77 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ था और यह कितना खर्च कर पाये, मात्र 23 करोड़ रुपया। 88.52 करोड़ रुपया, जो प्रदेश के अल्पसंख्यकों के हित के लिये केन्द्र सराकर द्वारा प्रदेश सरकार को मुहैया कराया गया था, वह इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत कार्यक्रमों के कारण, इनके ढीलेपन के कारण, इनके आलस्यपन के कारण, इनकी प्रशासनिक अक्षमता के कारण प्रदेश के अल्पसंख्यकों के विकास पर खर्च नहीं हो पाया है। यह क्यों नहीं खर्च पा रहे हैं, इसी प्रकार से पेयजल में जल संस्थान, वहाँ पर कितने पद खाली हैं। मान्यवर, एग्जीक्यूटिव के 60 पद खाली हैं। सहायक अभियन्ता के 70 पद खाली हैं, जे0ई0 के 222 पद खाली हैं। जो फील्ड के कर्मचारी हैं, जिनसे विकास की योजनाएं बननी हैं, धरातल पर काम होना है, पेयजल उपलब्ध होना है, अगर वो पद खाली होंगे तो ऐसे ही पैसा लैप्स होता रहेगा। पी0डब्ल्यू0डी0 में माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय पंत जी यह मत कह देना कि ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये मैंने विभाग से आंकड़े लिये हैं। मैं बड़े पदों की बात नहीं कर रहा हूँ। कनिष्ठ अभियन्ताओं के, जे0ई0 सिविल के 792 पद सृजित हैं, कार्यरत 434 हैं और 358 पद खाली हैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कनिष्ठ अभियन्ता, जे0ई0 टेक्निकल के 81 पद सृजित हैं 39 कार्यरत हैं, 42 रिक्त हैं। जे0ई0 इलैक्ट्रिकल के 40 पद सृजित हैं, 23 कार्यरत हैं और 17 पद रिक्त हैं। मैकेनिकल में माननीय अध्यक्ष जी, 58 पद सृजित हैं और कार्यरत कितने हैं 50, और 08 पद खाली हैं। कैसे विकास होगा ? विद्यालयी शिक्षा में माननीय अध्यक्ष जी, 86 हजार 612 पद स्वीकृत हैं, 18 हजार 327 पद खाली हैं। बिक्री में माननीय अध्यक्ष जी, कैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, कैसे आपको राजस्व की प्राप्ति होगी, 01 हजार 90 पद खाली हैं। महिला सशक्तीकरण में माननीय अध्यक्ष जी, ये आईना है आपकी सरकार का, महिला सशक्तीकरण का, 14 हजार 460 पद खाली हैं। चिकित्सा और लोक सेवा में, लोक स्वास्थ्य में 04 हजार 321 पद खाली हैं माननीय अध्यक्ष जी, परिवार कल्याण में 01 हजार 155 पद खाली हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये परम्परा है, स्वस्थ परम्परा है हर सदन की, कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो नेता सदन होने चाहिए और जब आय–व्ययक पर चर्चा हो रही हो, सामान्य चर्चा हो रही हो तो वित्त मंत्री जरूर होने चाहिए और मान्यवर, इस टाइम आप स्थिति देख लीजिए कैबिनेट की, न तो वित्त मंत्री मौजूद हैं, न संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण कर रहे हैं और नेता सदन मौजूद न हों, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद न हों और मान्यवर, वित्त मंत्री मौजूद न हों तो ये मजाक है संसदीय प्रणाली का। मान्यवर, निर्देशित कीजिए कि वित्त मंत्री का होना जरूरी है और मैं आपको कई एपीसोड्स ऐसे बता दूं कि राज्य सभा में, लोक सभा में जब आय–व्ययक पर चर्चा हो रही हो और उस समय वित्त मंत्री सदन में न रहे हों तो सदन स्थगित कर दिया गया। वित्त मंत्री का होना बहुत जरूरी है। सदन स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कई बार ऐसा हुआ, स्थगित हुई जब वित्त मंत्री मौजूद न हों और सामान्य बजट पर चर्चा हो रही हो। आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्ष जी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ। वित्त मंत्री स्वयं नेता सदन हैं और ऐसा कोई विषय नहीं है जो स्थगित कर दिया जाय।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आय–व्ययक पर चर्चा हो रही है, कोई भी बात नहीं हो रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियमों में उल्लेख नहीं है इस बात का।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, नियमों से नहीं परम्पराओं से सदन चलते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो भी विषय रख रहे हैं उन विषयों को बाकायदा नोट किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन बातों का संज्ञान ले रहे हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो नेता सदन को उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष के भाषण को बहुत हल्के में लिया जा रहा है।

(श्री अध्यक्ष के आसीन होने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं काजी निजामुद्दीन जी की बात से सहमत हूँ कि यह सरकार बजट के प्रति गम्भीर नहीं है। यह सरकार नहीं समझना चाहती है इस प्रदेश की जनता के दु:ख दर्द को, इस प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा को, इस प्रदेश की महिलाओं की पीड़ा को। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के अन्दर बजट पास किये बिना, इस प्रदेश के चाहे गरीब जनता हो, चाहे मंत्री हो, कर्मचारी हो चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो उसकी सांसें तब चलती हैं जब इस सदन से बजट अनुमोदित होता है, उसको वेतन तब मिलता है, उसको भत्ते तब मिलते हैं, उसकी गाड़ी में तब तेल भराया जाता है, उसके मोबाइल के बिल तब पेमेंट होते हैं, वृद्ध, विधवा, विकलांग को तब पेंशन मिलती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इस बजट को गम्भीरता से नहीं लिया है। इसलिए मैं और मेरा दल इस बजट भाषण का बहिष्कार करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया।)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक छोटा सा विधेयक है, क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा सदस्यों की उपलब्धि एवं पेंशन अधिनियम, 2008 में यह व्यवस्था की गई थी कि सदस्यों को मिलने वाले भत्ते अधिनियम प्रभावी होने की तारीख से अनुमन्य होंगे और सदस्यों की बार–बार मॉग रही कि वेतन के अनुरूप भत्तों को भी 01 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त किया जाय। इसको ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को सम्मानित विधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 4 खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 {उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

धारा 1 का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008 {यथा संशोधित अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2010)} (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(2) धारा 23 क के सिवाय यह दिनांक 01 अप्रैल 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।"

धारा 15 का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 15 के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"परन्तु यह कि यदि किसी सदस्य द्वारा लिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।"

धारा 23–क का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 23–क के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नवत् स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर दिया जायेग; अर्थात–

"स्पष्टीकरण–1– सदस्य तथा पूर्व सदस्य के सम्बन्ध में आश्रित से ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता या माता अभिप्रेत है।

"स्पष्टीकरण–2– 'पूर्व सदस्य' से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय से पेंशन प्राप्त कर रहा है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र द्वारा जारी राष्ट्रीय परमिट पर किसी माल वाहन के उत्तराखण्ड राज्य में संचालन पर प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए 5000.00 रुपये अतिरिक्त कर देय है। सम्पूर्ण भारत क्षेत्र में माल वाहनों के निर्बाध संचालन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन कर दिनांक 08–05–2010 से यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार पत्र सम्पूर्ण भारत के लिये जारी किया जाए और उसे प्रदान करने वाला प्रत्येक राज्य ऐसे प्रत्येक वाहन से प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समेकित फीस वसूल कर उसे केन्द्रीयकृत राष्ट्रीय परमिट खाते में जमा किया जायेगा और उसका वितरण आनुपातिक आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों एव संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य किया जायेगा। राष्ट्रीय परमिट की नई व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए कराधान अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। अतः संशोधन करने हेतु मैं इजाजत चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 4 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011
{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह दिनांक 08.05.2010 से प्रवृत्त होगा।

धारा 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात :–

"(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय तथा उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन, जिनके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान कर दिया है, को छोड़कर कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थित–

(क) उत्तराखण्ड के भीतर अधिकारिता युक्त, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची; या

(ख) उत्तराखण्ड में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिए उत्तराखण्ड के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के सम्बन्ध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहाँ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा;

परन्तु यह कि इस प्रकार उद्गृहीत अतिरिक्त कर, उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उद्गृहीत होता।''

धारा 10 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

''(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।''

तृतीय अनुसूची का संशोधन

4. मूल अधिनियम की ''तृतीय अनुसूची'' का खण्ड (ख) निरसित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

श्रीमन, उत्तरांचल वन विकास निगम के कार्य संचालन में जो हमारा अधिनियम है, 1974 उस अधिनियम में जहाँ–जहाँ पर उत्तरांचल शब्द आया है और जहाँ–जहाँ पर उत्तर प्रदेश शब्द आया है, उसको केवल उत्तराखण्ड किये जाने का यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस पर विचार करने हेतु मैं आपकी अनुज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत के गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम का संशोधन

2\. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल या "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ–वहाँ वह शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

3\. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—3 खण्ड—1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, प्रदेश के नवयुवकों को विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक् अकादमी (उजाला), भवाली, जनपद नैनीताल में देश के 13 अन्य राज्यों की भाँति उत्तराखण्ड राज्य में शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार एक उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, उक्त विश्वविद्यालय का परिसर न्यायिक एवं विधिक अकादमी (उजाला), भवाली के परिसर में उपलब्ध 07 एकड़ भूमि में प्रस्तावित है। उक्त भूमि के अतिरिक्त अकादमी के समीप यू0पी0डिजिटल्स, जो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम तथा शासन के पर्यटन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में है, कुछ भूमि सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल के अध्यासन में है और आवश्यकता पड़ने पर समीपवर्ती क्षेत्रों यथा भीमताल क्षेत्र में शेष भूमि शासन द्वारा उपलब्ध कराकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। अकादमी में उपलब्ध सुविधाओं का भी आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग किया जा सकता है। प्रश्नगत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था किए जाने हेतु उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2010 दिनांक 01 नवम्बर, 2010 को प्रख्यापित कर दिया गया है, जिसकी वैधता आगामी छः माह अर्थात् अप्रैल 2011 तक होगी, वर्तमान विधान सभा सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, विधान सभा से पारित होने तथा महामहिम श्री राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त यह अधिनियम हो जायेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उक्त विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (विजिटर) होंगे। उत्तराखण्ड उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। मान्यवर, इसमें 7 एकड़ उपलब्ध हो गयी है और 50 लाख रुपया इसके निदेशालय को दिया गया है, यह देश में 14 वाँ विश्वविद्यालय हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 49 खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011
{विधेयक संख्या वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड राज्य के भवाली, नैनीताल में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए—

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2\. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;

(एक) "शिक्षा परिषद्" से विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(दो) "बार काउंसिल" से उत्तराखण्ड की राज्य बार काउंसिल अभिप्रेत है;

(तीन) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(चार) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(पाँच) "शासी परिषद्" से विश्वविद्यालय की शासी परिषद् अभिप्रेत है;

(छः) "विहित" से विनियमावली द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(सात) "कुल सचिव" से विश्वविद्यालय का कुल सचिव अभिप्रेत है;

(आठ) "विनियमावली" से विश्वविद्यालय की विनियमावली अभिप्रेत है;

(नौ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(दस) "विश्वविद्यालय" से उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ग्यारह) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3. (1) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी, जिसका शास्वत और उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरुद्ध सभी वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों को कुलसचिव द्वारा कुलपति की सहमति से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जायेगा एवं इस तरह के वादों और कार्यवाहियों के प्रक्रम कुलपति को जारी तथा उनके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भवाली, नैनीताल में होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे; अर्थात–

(क) विधि और विधिक प्रक्रियाओं तथा विधि की भूमिका के अध्ययन और ज्ञान को राष्ट्रीय विकास में प्रसारित और अग्रसारित करना;

(ख) छात्र और अनुसंधानविद् में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विधान, विद्यमान में विधि सुधार और तत्समान के सम्बन्ध में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना;

(ग) विधिक ज्ञान का संवर्धन करने और विधि एवं विधिक प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन का दक्ष माध्यम बनाने के लिए व्याख्यानों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, परिसंवादों, निवार्चिका सभाओं, विमर्श गोष्ठी और सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;

(घ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और;

(ङ) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक आवश्यक या सम्बन्धित हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :-

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हों;

(दो) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विधिक ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(तीन) विधिक तथा न्यायिक सुधार पर बल देते हुए विधि तथा न्याय के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(चार) किसी उपाधि या उपाधि पत्र (डिप्लोमा) हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(पाँच) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधियाँ एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(छः) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को विहित रीति से प्रदान करना;

(सात) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(आठ) सभागृहों के साथ–साथ छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख–रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(नौ) ऐसे विशेष केन्द्रों, विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों या शोध के लिए अन्य इकाईयों की स्थापना करना तथा उन्हें अनुदेशित करना जो विश्वविद्यालय के विचार में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों;

(दस) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;

(ग्यारह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिकीय और अन्य पदों का सृजन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जायें;

(चौदह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित पदों का सृजन करना;

(पन्द्रह) आचार्यों, उपाचार्य/सहायक आचार्यों, प्रवक्ता के रूप में या विश्वविद्यालय के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(सोलह) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(सत्रह) अनुसंधान पत्रों तथा पाठ्य सामग्री के मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(अट्ठारह) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके सम्बन्ध में तय किया गया हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, संयोजित करना;

(उन्नीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान–प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हो, विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, संयोजित करना;

(बीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी ऐसे कक्षा–कक्षों, अध्ययन हॉलों, पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और रख–रखाव उपलब्ध कराना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(बाईस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों के सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(तेईस) किसी ऐसे भूमि, भवन या संकर्म को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख–रखाव करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान–प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

परन्तु यह कि जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(पच्चीस) भारत सरकार सम्बन्धी और अन्य वचन–पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रमाण करना;

(छब्बीस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाईसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(सत्ताइस) किसी लिखित को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;

(अट्ठाइस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(उन्तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा, वह ठीक समझे, धन जुटाना और लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(तीस) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(इकतीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय, जैसे- पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;

(बत्तीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे;

(तैंतीस) समय-समय पर विश्वविद्यालय के मामलों तथा प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए आवश्यक विनियमों को बनाना एवं उन्हें परिवर्तित, रूपान्तरित तथा विखण्डित करना;

(चौंतीस) इसकी सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को विश्वविद्यालय के कुलपति या किसी समिति अथवा किसी उप समिति या किसी एक या अधिक सदस्यों अथवा इसके अधिकारियों को प्रदान करना।

विश्वविद्यालय के अध्यापन।

6. (1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा शासी परिषद् के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलाध्यक्ष

7\. (1) भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(3) कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जाँच कराये जाने के अपने आशय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसी निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और उसे सुने जाने का अधिकार होगा।

(5) कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सम्बन्ध में कुलपति को लिख सकेगा और कुलपति, कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदान की हो, शासी परिषद् को संसूचित करेगा।

(6) शासी परिषद् ऐसे निरीक्षण या जाँच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति को संसूचित करेगी।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

8\. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(एक) शासी परिषद्;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) विद्या परिषद्;

(चार) वित्त समिति; और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायं।

शासी परिषद् 9. शासी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य परामर्शी निकाय होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे;

(दो) विश्वविद्यालय के कुलपति;

(तीन) विधि मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार अथवा यदि मुख्यमंत्री स्वयं विधि मंत्री भी हैं तो उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री;

(चार) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश;

(पाँच) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड विधान सभा के दो सदस्य, जिनमें से एक सत्ता पक्ष तथा एक विपक्ष का होगा;

(छः) उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता;

(सात) भारत की बार काउंसिल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

(आठ) उत्तराखण्ड बार काउंसिल के अध्यक्ष;

(नौ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा आयोग के सदस्यों में से नामित व्यक्ति;

(दस) दो प्रख्यात अधिवक्ता, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(ग्यारह) दो प्रख्यात अधिवक्ता, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(तेरह) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(चौदह) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(पन्द्रह) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;

(सोलह) कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

(सत्रह) कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

(अठारह) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी;

(उन्नीस) निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी;

(बीस) कुलाधिपति द्वारा नामित उत्तराखण्ड के दो जिला न्यायाधीश, जिनका न्यायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र का व्यापक अनुभव हो तथा जो नैनीताल के जिला न्यायाधीश न हों।

शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि

10\. (1) शासी परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए, तीन वर्ष होगी।

(2) जब कोई व्यक्ति शासी परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर लिया जाय तो वह यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापस ले लिया जाय, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

(3) शासी परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाये या ऐसे दाण्डिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कुलाधिपति से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना शासी परिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(4) शासी परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) शासी परिषद् में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नाम निर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, कोई रिक्ति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता;

शासी परिषद् की शक्तियाँ

11\. शासी परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात :—

(एक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कुलपति के नाम की सिफारिश करना;

(दो) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों, ऐसी शक्तियों को छोड़ कर, जहाँ वे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों, का प्रयोग करना;

(तीन) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए उपाय करना;

(चार) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाकारों और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना, जैसा उचित समझा जाए।

(पाँच) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उप–समिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(छः) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के प्रभावशाली क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।

शासी परिषद् के अधिवेशन।

12. (1) शासी परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और इसके अधिवेशन के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जायेगी।

(2) कुलाधिपति शासी परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) शासी परिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि शासी परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो कुलाधिपति या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत देगा।

(5) यदि शासी परिषद् द्वारा आत्यायिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो कुलाधिपति शासी परिषद् के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृ किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाय। इस प्रकार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में शासी परिषद् में शासी परिषद् के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और कागज–पत्रों को शासी परिषद् के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन–पत्र और वित्तीय प्राक्कलन कुलपति द्वारा शासी परिषद् के समक्ष उसकी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद्

13. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबन्ध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य परिषद् में निहित होगी, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों पर नियंत्रण और प्रशासन रखेगी।

कार्य परिषद् का गठन

14. (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

(एक) कुलपति;

(दो) शासी परिषद् के पाँच सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) उत्तराखण्ड बार काउंसिल के अध्यक्ष;

(चार) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(पाँच) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(छ.) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(सात) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;

(आठ) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल;

(नौ) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक वरिष्ठ आचार्य।

(2) कुलपति कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा।

कार्य परिषद् की पदावधि

15. (1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद् का सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्य परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग पत्र दे दें या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिय दोष सिद्ध ठहरा दिया जाय या कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय या कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद् के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद् के तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद् के सदस्य स्वयं द्वारा कार्य परिषद् का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति, पुनः नाम निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग पत्र कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(5) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति ऐसे प्राधिकरण से सम्बन्धित व्यक्ति, जो नियुक्ति या नाम निर्देशन करने का हकदार हो, द्वारा यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

16. धारा 11 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :-

(एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे सम्बन्धित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करना;

(दो) समय-समय पर नियुक्ति के लिए धारा 21 के अधीन उस रीति से गठित, जैसी विहित की जाय चयन समिति की सिफारिश पर आचार्य, उपाचार्य/सहायक आचार्य, प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष अध्यापन कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारण करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर

सम्पत्ति के क्रय करने में विनिहित करना और समय–समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन में परिवर्तन करना;

(छ.) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना;

परन्तु यह कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) विश्वविद्यालय से अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश असंतुष्ट अनुभव करें, कि किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;

(दस) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय–समय पर ऐसे विनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित अथवा विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को, विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जाएं।

कार्य परिषद् की बैठकें

17. (1) कार्य परिषद् छः मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक के लिए 15 दिन से अन्यून की नोटिस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमैन) कार्य परिषद् के बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य आपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद् का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो यथास्थिति, कार्यपरिषद् का अध्यक्ष (चेयरमैन) या उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

कार्य परिषद् द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

18. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई विनियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद् किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन के लिए या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी मामले में जाँच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है और उन्हें कार्य परिषद् के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद्

19. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद् का गठन

20. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, अध्यक्ष शासी परिषद् के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(तीन) उत्तराखण्ड सरकार के न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो अपर सचिव से निम्न स्तर का न हो;

(चार) उत्तराखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर सचिव से निम्न स्तर का न हो;

(पाँच) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;

(छः) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी;

(सात) उत्तराखण्ड बार कांउसिल का एक नाम निर्देशिती;

(आठ) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(नौ) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हों;

(दस) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक–एक सदस्य विश्वविद्यालय के उप–आचार्य और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद् का सदस्य हो, वहां उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।

(4) विद्या परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद् के अध्यक्ष (चेयरमैन) की छुट्टी के बिना विद्या परिषद् के तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद् की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद् के सदस्य उस दिनांक से जिस पर वे विद्या परिषद् के सदस्य होते हैं, तीन वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुन: नाम–निर्देशन या पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद् का कोई सदस्य विद्या परिषद् के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग–पत्र विद्या परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार करते ही त्याग–पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद् में कोई रिक्ति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिए, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम–निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य

21. इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् को उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात :–

(एक) शासी परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने–अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद् को किसी संकाय के समापन या उप–विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय–समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पांच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छ:) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना और समितियाँ नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) शासी परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुए अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियों और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उनके लिए तिथि नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियों, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिदान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना जो विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किये जाते हैं; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

विद्या परिषद् के अधिवेशन

22. (1) विद्या परिषद् किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु न्यून्तम दो बार अधिवेशन करेगी।

(2) विद्या परिषद् का अध्यक्ष विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

वि0 समिति 23. (1) विश्वविद्यालय की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्;

(एक) कुलपति;

(दो) शासी परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) उत्तराखण्ड के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो अपर सचिव की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो;

(पाँच) उत्तराखण्ड के न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो अपर सचिव की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो;

(छः) उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो अपर सचिव की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो;

(सात) विश्वविद्यालय के कुल सचिव;

(आठ) वित्त अधिकारी—सदस्य सचिव।

(2) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात्,

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद् को वित्तीय मामलों की सिफारिशें करना।

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना।

(तीन) कार्य परिषद् को सिफारिशें करने के लिए सर्वाधिक लेखा विवरणों पर विचार पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद् या कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद् को अपना विचार देना और सिफारिश करना;

(4) वित्त समिति छः माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) कुलपति वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

चयन समिति

24. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा;

(ख) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो ऐसे पद जिसके लिए चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(ग) (एक) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये और कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;

(दो) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो वहां कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।

(3) जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा पद स्थापित किये जाने के लिए किसी दाता के विन्यास प्राप्त किया जाय वहां उस पद को भरे जाने के प्रयोजन से दाता को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

25. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) विभागाध्यक्ष;

(तीन) कुलसचिव;

(चार) वित्त अधिकारी;

(पाँच) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायं।

कुलपति

26. (1) विश्वविद्यालय का कुलपति, कुलाधिपति की सिफारिश पर जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्,

(क) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ख) शासी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति।

(3) उपधारा (4) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छः मास पूर्व और जब कभी भी शासी परिषद् द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनांक से पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समिति शासी परिषद् को कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति शासी परिषद् को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी। शासी परिषद् इन नामों की कुलाधिपति से सिफारिश करेगी। शासी परिषद् कुलाधिपति को विचार करने के लिए कुछ अन्य नामों को भी उनकी अकादमिक योग्यताओं तथा अन्य विशेषताओं के साथ अग्रेषित कर सकेगी।

(4) कुलपति, जिनका विधि, न्याय तथा अकादमी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव हो या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों अथवा जो एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि का आचार्य रह चुके हों, अपने पद ग्रहण के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, जो भी पहले हो, पद धारण कर सकेंगे;

परन्तु यह कि शासी परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकेगा और शासी परिषद् द्वारा ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलपति की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(6) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुल

सचिव द्वारा शासी परिषद् के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो शासी परिषद् का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर छः माह की अनधिक अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।

(7) यदि शासी परिषद् की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि शासी परिषद् को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो शासी परिषद् ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे अधिमानतः छः माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कुलपति को हटाने हेतु कुलाधिपति को सिफारिश कर सकेगी, जो इस सिफारिश को राज्य सरकार को अग्रत्तर कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेंगे।

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए शासी परिषद् यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक;

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(9) कुलपति .—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों का समुचित पालन कर लिया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ होंगी।

(ख) कार्य परिषद् के विनिर्दिष्ट और सामान्य निर्देशों के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) शासी परिषद् कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए निमित्त आवश्यक हो;

(9) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से सम्बन्धित समस्त शक्तियाँ होंगी।

(10) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिए तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति में मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए सूचित होगा।

विभागाध्यक्षगण 27. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए विभागाध्यक्ष होगा।

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वही होंगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

कुल सचिव 28. (1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कुलपति के परामर्श से सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों में से की जा सकेगी। वह उतनी अवधि के लिए किसी सरकारी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है, जितनी कुलपति उचित समझे।

(2) कुल सचिव, कार्य परिषद् विद्या परिषद् और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुल सचिव :–

(एक) कार्य परिषद् और कुलपति के सभी निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा, जिन्हें कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सुपुर्द करें;

(तीन) कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य समिति और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;

(चार) कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, संकायों, और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा;

(पाँच) कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(छः) विश्वविद्यालय के अधिवेशनों की कार्य सूची, जैसे ही वे जारी की जाती है और प्राधिकरणों के अधिवेशनों के कार्यवृत्त की प्रतियां अधिवेशन के आयोजन के एक माह के भीतर कुलाधिपति को भेजेगा;

(सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति न सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद् का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए उसके निर्देश लेगा;

(आठ) कुलपति के निर्देशों के अन्तर्गत तथा इस प्रकार के अभिवचनों अथवा उनके सत्यापन तथा प्रक्रमों के प्रचालन इत्यादि जैसा कि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिशित है, इस आधार पर यह प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जायेगा कि कुलपति ने ऐसा करने के लिए कुल सचिव को अधिकृत नहीं किया है।

(नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा, जैसा कि कार्य परिषद् का कुलपति द्वारा इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय–समय पर समनुदेशित किया जाय।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे।

वित्त अधिकारी 29. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) वित्त अधिकारी-

(क) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा–विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण में करेगा।

(ख) मतदान को छोड़कर, कार्य परिषद् के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करेगा जो इस अधिनियम या विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ङ.) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या अपेक्षा किये जाने पर अपने परामर्श के आधार पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजियाँ अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच, विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें।

(3) किसी कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि कुलपति उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी

30. (1) इस प्रयोजन के लिए बनाये गये विनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, विनियमों द्वारा तथा विहित सेवा शर्तों को समावर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी और इसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को सम्बन्धित

अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय द्वारा एकल व्यक्ति अधिकरण जिसे शिक्षा अधिकरण के नाम से जाना जायेगा, जैसा राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के टी0एम0ए0 पई फाउंडेशन प्रति कर्नाटक राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 355, में निर्देशों के अनुपालन में अधिसूचित किया है, को संदर्भित किया जायेगा।

विनियम बनाने की शक्तियाँ

31. (1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकती है;

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप से राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाये और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा-

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद् निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी, अर्थात्–

(एक) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(दो) विश्वविद्यालय सम्बन्धी पाठ्यक्रमों और सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अध्यापन संचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी;

(तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(चार) संकायों, विभागों, हालों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(पाँच) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;

(छः) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या उसका स्तर;

(सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति;

(आठ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएँ;

(2) विद्या परिषद् को उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों पर विनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(3) जहाँ कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति, को अपील कर सकती है और कुलाधिपति, के आदेश द्वारा निर्देश देगा कि प्रस्तावित विनियम को अनुमोदन के लिए शासी परिषद् के अगले अधिवेशन में रखा जायेगा तथा शासी परिषद् के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनाँक से प्रभावी होगा, जैसा कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

परन्तु यह कि यदि विनियम का अनुमोदन शासी परिषद् द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जायेगा।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त विनियम शासी परिषद् के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और शासी परिषद् को कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये किसी विनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।

पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति

32\. (1) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष से कम से कम एक बार आयोग का गठन करेगा।

(2) आयोग में विधिक क्षेत्र में प्रख्यात तीन अन्यून शिक्षाविद् होंगे जिसमें से एक, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त, ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसी कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जायं।

(4) आयोग ऐसी जाँच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति को अपनी सिफारिश करेगा।

(5) कुलाधिपति आयोग की सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय की निधि

33\. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(तीन) राज्य बार काउंसिल द्वारा दिया गया कोई अंशदान;

(चार) निजी व्यक्तियों या संस्था द्वारा दी गयी कोई वसीयत; दान, विन्यास या अन्य अनुदान;

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय; और

(छ.) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त कोई निधियां सम्मिलित नहीं होंगी।

(2) विश्वविद्यालय की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय की निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा। 31. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय की लेखा सम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, कुलपति, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, की जायेगी।

(3) लेखों का, जब सम्परीक्षा हो जाय, प्रकाशन कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति शासी परिषद् के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) शासी परिषद् द्वारा उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। शासी परिषद् उससे सम्बन्धित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद् शासी परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद् शासी परिषद् को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वित्तीय प्राक्कलन।

35\. (1) कार्य परिषद्, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे शासी परिषद् के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद्, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो तो वह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्यायिकता के मामलों में, विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है, जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के सम्बन्ध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहां शासी परिषद् के उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

36\. (1) धारा 25 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या कदाचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

संविदाओं का निष्पादन।

37\. विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं ऐसे अभिव्यक्त की जायेगी, जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और उनका निष्पादन कुलपति की सहमति से कुल सचिव द्वारा किया जायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा विधि,उपाधि, डिप्लोमा आदि का प्रदान किया जाना

38\. विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

मानद उपाधि

39\. यदि किसी स्थिति में विद्या परिषद् के दो–तिहाई सदस्य सिफारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात व्यक्तित्व के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो शासी परिषद् किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे सिफारिश किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

उपाधि या डिप्लोमा का प्रत्याहरण

10. (1) शासी परिषद् कार्य परिषद् की सिफारिश पर शासी परिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले शासी परिषद् के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकारी को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो, जिसमें शासी परिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।

(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए।

(3) शासी परिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जाएगी।

(4) शासी परिषद् द्वारा किये गये विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(5) ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति का अन्तरण

11. राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे; विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्ध के लिए भवनों, भूमि और जंगम या स्थावर किसी अन्य सम्पत्ति को अन्तरित कर सकती है।

अनुशासन

12. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निर्देशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने या युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

प्रायोजित योजनायें

13. इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी विश्वविद्यालय किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियां प्राप्त करें तो-

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, निधि से पृथक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा रखी जायेगी और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी वर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों अथवा निकायों की कार्यवाहियों का अविधि-मान्य न होना

14. (1) इस बात के होते हुए भी कि शासी परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा कि,

(क) उसमें कोई रिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(ग) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर यदि ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

कठिनाइयों का निवारण

15. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के प्रथम अधिवेशन के सम्बन्ध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन किये जाने के पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमावली के.......

उपबंधों के संगत कोई कार्य कर सकती है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम और विनियमावली में उपबंधित रीति से की गयी हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति और ऐसे समुचित प्राधिकरण, जैसा गठित किया गया हो, कि इस निमित्त रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगा और उस पर विचार करेगा;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों से पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

परन्तु अग्रत्तर यह और कि प्रत्येक ऐसा आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

16. इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, शासी परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अधीन होते हुए इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता है, जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई विनियमों द्वारा किया जाता है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम या विनियमों द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

17. कोई वाद, अभियोजना या विधिक कार्यवाहियों, विश्वविद्यालय, कुलपति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी, और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी विनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

18. इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, प्रभावी होंगे।

निरसन एवं अपवाद — 49. (1) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम क तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–49 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री बिशन सिंह चुफाल, हाजी तस्लीम अहमद, श्री शेर सिंह गढ़िया, श्री केदार सिंह रावत, काजी मो0 निजामुद्दीन, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती अमृता रावत, श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष, 2003 में सिंगाली से बस्तड़ी तक 2.5 कि0मी0 मार्ग स्वीकृत होने के पश्चात् भी निर्माण हेतु द्वितीय फेज की धनराशि न आने से जनता में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 परिवारों को बिजली देने के लिए लगाये गये ट्रान्सफार्मरों के फुंक जाने पर न बदलने के संबंध में माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

देहरादून शहर में सर्वे चौक से रायपुर तिराहे और रायपुर तिराहे से सहस्त्रधारा रोड एवं आई0टी0 पार्क तक लोक निर्माण विभाग की सड़क की दयनीय हालत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जनपद देहरादून में सर्वेचौक से रायपुर तिराहे (सहस्त्रधारा तिराहे तक) मार्ग का रख–रखाव का कार्य अनुरक्षण मद से किया जा रहा है तथा सहस्त्रधारा तिराहे का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (JNNURM) के अन्तर्गत प्रगति पर है। इस क्षेत्र में जलभराव की भीषण समस्या है, इसलिये इस मार्ग पर सहस्त्रधारा तिराहे से रायपुर की ओर 100मी0, आई0टी0पार्क की ओर 100 मीटर लम्बाई तथा सर्वेचौक की साइड में रिस्पना नदी पुल तक सी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के साथ ही नाली निर्माण का कार्य किया जाना है।

माह अक्टूबर, 2010 में इस मार्ग पर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया किन्तु क्षेत्रवासियों को पानी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रायपुर से सहस्त्रधारा होते हुए दिलाराम चौक तक 45 से0मी0 व्यास की पेयजल लाइन को भूमिगत करने का निर्णय जल निगम द्वारा लिया गया।

जल निगम द्वारा पेयजल लाइन को भूमिगत करने का यह कार्य दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के दिनांक 07 मार्च, 2011 तक किया गया। जिस कारण इस अवधि में मार्ग निर्माण कार्य बाधित रहा।

लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर खोदे हुए भाग में पत्थर कुटाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सी0सी0 मार्ग निर्माण का कार्य माह मई, 2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। रायपुर तिराहे से सहस्त्रधारा रोड आई0टी0 पार्क तक मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 है जिसके अन्तर्गत लगभग 3.00 कि0मी0 लम्बाई में वर्षाकाल में भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। इस क्षतिग्रस्त हिस्से में पैच मरम्मत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण मार्ग पर मरम्मत कार्य धनराशि प्राप्त होने पर आपदा मद से कराया जाना प्रस्तावित है।]

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पौड़ी के डांडा नागराजा, कोलागातल, सबदरखाल, घुड़दौड़ी एवं ढिकालू में स्वैप मोड के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल पम्पिंग योजनाओं पर कोई प्रगति न होने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन कोतवाल द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[1– (1) डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना– योजना शासनादेश संख्या–760/उन्तीस (2)/60–2(49 पेय)/2005 दिनांक 19.10.2006 द्वारा स्वीकृत है। दिनांक 30 नवम्बर, 2006 से ग्रामीण क्षेत्रों में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) कार्यक्रम लागू होने के फलस्वरूप योजना का प्राक्कलन स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनः गठित किया जा रहा है। प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही गतिमान है, जिसे मार्च, 2011 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना में कुल प्रस्तावित 27 ग्राम पंचायतों की 112 बस्तियों एवं 62 संस्थाओं तथा 07 नग बाजारों के विरुद्ध समस्त बस्तियों में पूर्ण साध्यता अध्ययन एवं नियोजन चरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(2) कोलापाताल पम्पिंग पेयजल योजना– दिनांक 30 नवम्बर, 2006 से ग्रामीण क्षेत्रों में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) कार्यक्रम लागू हो जाने के फलस्वरूप योजना का प्राक्कलन स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन विरचन एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है। योजना में पड़ने वाली वन भूमि के क्लियरेंस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) सबदरखाल, घुड़दौड़ी पम्पिंग पेयजल योजना– सबदरखाल, घुड़दौड़ी पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन विरचन एवं सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। योजना का फेज–1 का प्राक्कलन माह जून, 2011 तथा विस्तृत प्राक्कलन माह दिसम्बर, 2011 तक विरचित किया जाना लक्षित है।

(4) ढिकवाल गांव पम्पिंग पेयजल योजना– योजना का प्राक्कलन राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, जिसकी लागत रु0 2020.00 लाख है परन्तु 30 नवम्बर, 2006 से ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सकल क्षेत्र में समरूप नीति लागू हो जाने के फलस्वरूप पुनः योजना का प्राक्कलन स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च, 2011 तक विरचित किया जाना लक्षित है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2— मा0 प्रधान मंत्री जी के द्वारा जिन पांच पेयजल योजनाओं के लिए रु0 100.00 करोड़ की स्वीकृति दिये जाने की घोषणा की गयी थी, उन पर केन्द्र सरकार द्वारा धनावंटन नहीं हुआ। राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिये 90:10 के अनुपात में केन्द्र सरकार से धनावंटन की मांग की गयी परन्तु केन्द्र सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई। योजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है—

(क) जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के दन्या सहित अनेक ग्राम सभाओं की पेयजल योजना हेतु सरयू बेलक (दन्या) का प्राक्कलन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जून, 2011 तक विरचित किया जाना लक्षित है।

(ख) जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के दोडम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जून, 2011 तक विरचित किया जाना लक्षित है। योजना से 05 ग्राम पंचायतों के 06 राजस्व ग्रामों की 21 बस्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) जनपद टिहरी के अन्तर्गत घण्टाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना में 211 बस्तियां सम्मिलित हैं। योजना का प्राक्कलन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित किया जा चुका है। प्राक्कलन परीक्षणाधीन है। योजना के अन्तर्गत 211 बस्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(घ) जनपद पौड़ी की मुण्डेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना पूर्व में जिला प्लान से स्वीकृत की गयी थी। योजना तत्पश्चात राज्य सेक्टर ग्रामीण पेयजल योजना मद से शासनादेश संख्या—2308/उन्तीस—2 (49पेय)/2005 दिनांक 19.10.2006 द्वारा स्वीकृत की गयी है। योजना में 61 बस्तियां एवं 27 विद्यालय सम्मिलित हैं। वर्तमान में योजना पर राज्यांश मद से रू. 647.61 लाख एवं केन्द्रांश मद में रू. 531.85 लाख कुल रू. 1179.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक योजना पर रू. 581.253 लाख का व्यय करते हुए 40 प्रतिशत भौतिक/वित्तीय प्रगति प्राप्त की जा चुकी है।

(ङ.) जनपद पौड़ी की डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना— उपरोक्त बिन्दु संख्या—1 (1) के अनुसार।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल दिनांक 24.03.2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक 23 मार्च, 2011

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–31 पर

परिशिष्ट 1

क्र0 स0	योजना/प्रस्ताव का नाम	विभाग द्वारा कृतकार्यवाही का विवरण।
1	2	3
1.	विकास खण्ड बीरोंखाल के ग्राम भरोली में हनुमान मंदिर का सौन्दर्यीकरण	कार्यालय पत्र सं0 397 दिनांक 08/12/10 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
2.	विकास खण्ड पोखड़ा के ग्राम गिलखेरा में शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	कार्यालय पत्र सं0 398 दिनांक 08/12/10 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
3.	विकास खण्ड बीरोंखाल के ग्राम डांग में शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	कार्यालय पत्र सं0 399 दिनांक 08/12/10 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रखरखाव, संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
4.	विकास खण्ड बीरोंखाल की ग्राम सभा काण्डातल्ला के अन्तर्गत तीलू रौतेली शहीद स्मारक स्थल तक डामरीकरण तथा शिवमंदिर का सौन्दर्यीकरण	जिला, योजनान्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2009–10 में रु0 1.45 लाख की धनराशि निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को अवमुक्त की गयी।
5.	मैथोडिस्ट चर्च चोपड़ा, पौड़ी तथा श्रीनगर के जीर्णोद्वार हेतु प्रस्तुत रु0 21.77 लाख का प्राक्कलन स्वीकृति के सम्बन्ध में।	कार्यालय पत्र संख्या–436, दिनांक 21/12/2010 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
6.	कोटा महादेव में पर्यटन आवास गृह का निर्माण	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त किये जा रहे है, तथा स्थलीय निरीक्षण प्रस्तावित है, तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
7.	विकास खण्ड बीरोंखाल की ग्राम सभा सीली तल्ली के कोटेश्वर स्थित शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	कार्यालय पत्र संख्या–244, दिनांक 23/07/2010 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।

1	2	3
8.	बैजरों में दरिया देवता का सौन्दर्यीकरण	प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र रख–रखाव संचालन, विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
9.	ग्राम में दरिया देवता का सौन्दर्यीकरण	तदैव
10.	ग्राम डुमैला मल्ला में दुर्गा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत तथा रू0 1.80 लाख की धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध।
11.	ग्राम डुगाब में महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	प्रस्ताव से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव, संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
12.	वीडियाडांग में विन्देश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण	तदैव
13.	विकास खण्ड एकेश्वर में ग्राम सतपाली में मंदिर सौन्दर्यीकरण	कार्यालय पत्र संख्या–396, दिनांक 08/12/2010 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
14.	ग्राम बगडी गाड में अनुसूचित जाति के कुल देवता मंदिर सौन्दर्यीकरण	जिला योजना 2010–11 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आगणन पर्यटन निदेशालय को प्रेषित तथा स्वीकृति अपेक्षित।
15.	ग्राम धौडगांव में मंदिर का सौन्दर्यीकरण	जिला योजना 2010–11 में प्रस्तावित तथा योजना आगणन गठित करवाकर तकनीकी परीक्षण हेतु प्रेषित।
16.	ग्राम सलाण के अन्तर्गत दीवा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	राज्य योजना के अन्तर्गत आगणन गठित करवाये जा रहे है।
17.	ग्राम माल्ड के अन्तर्गत पोखरखाल के मंदिर का सौन्दर्यीकरण	प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव, संचालन, विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
18.	ग्राम लाटिबौ में पाण्डियाल देवता मंदिर का सौन्दर्यीकरण	तदैव
19.	ग्राम रिंगवाडी में भगवती के मंदिर का सौन्दर्यीकरण	तदैव

1	2	3
20.	ग्राम सभा मथाणा के अन्तर्गत भूमिया देवी के मंदिर का सौन्दर्यीकरण	राज्य योजना के अन्तर्गत गठित करवाकर कार्यालय पत्र संख्या–71 दिनांक 08/5/2009 को पर्यटन निदेशायल को प्रेषित।
21.	सन्तुधार में सीता जलप्रभात के मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रू0 20 लाख योजना के अन्तर्गत आगणन गठित कर मुख्यालय को प्रेषित
22.	विकास खण्ड पोखड़ा के गढ़री में प्राचीन शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	कार्यालय पत्र संख्या–372, दिनांक 20/09/2010 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
23.	विकास खण्ड बीरोंखाल के पब्लिक इण्टर कालेज ललितपुर में शिवालय मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।	कार्यालय पत्र संख्या–247, दिनांक 23/07/2010 प्रस्तावक से भूमि सम्बन्धित प्रपत्र, रख–रखाव संचालन विवादरहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 विधान सभा/410–05–02–2013–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)